खण्ड-322, अंक-2
शुक्रवार, 17 वैशाख, शक संवत् 1898
(7 मई, 1976 ई0)

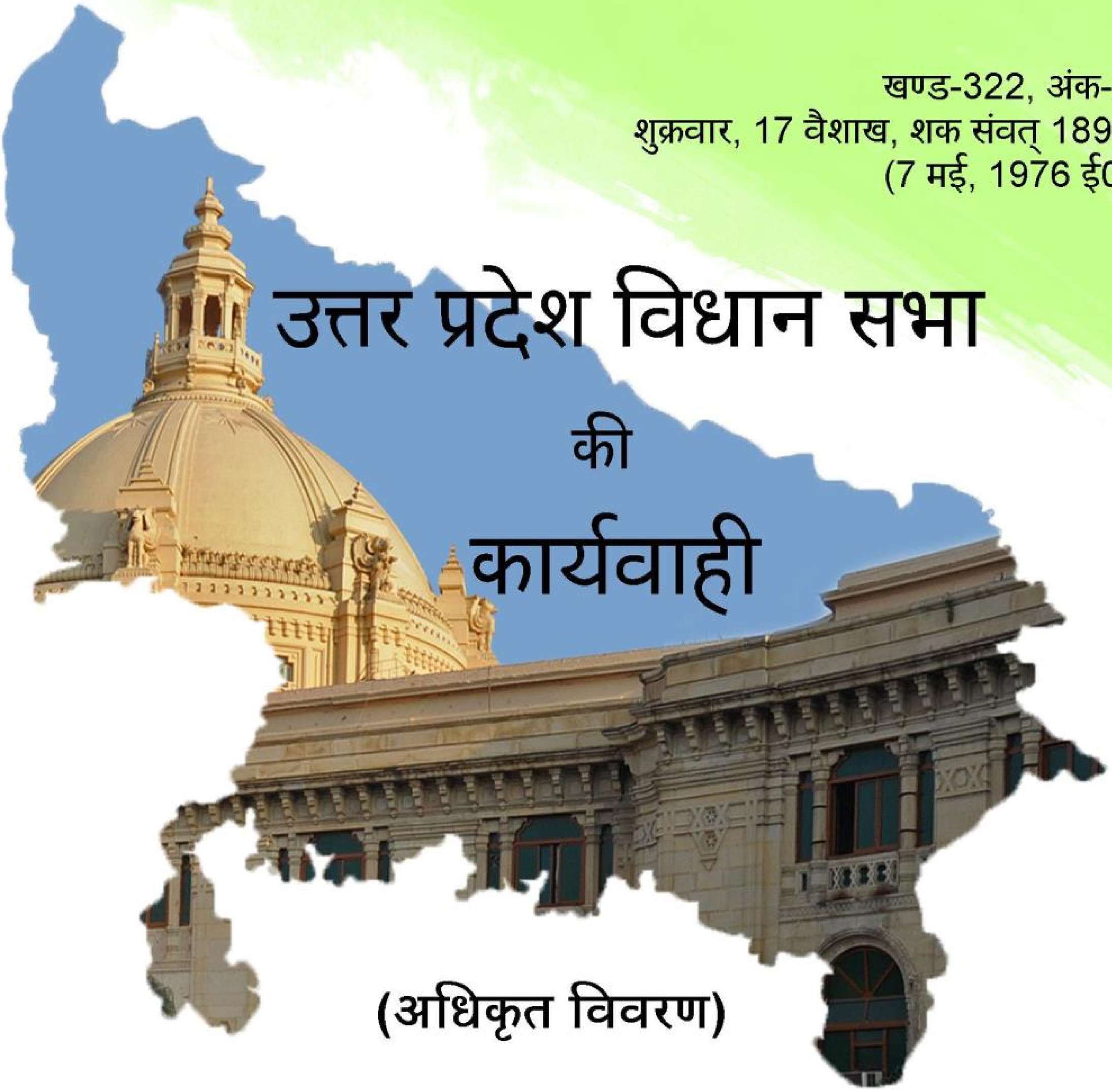

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 322 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	115–117
प्रश्नोत्तर	118–140
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1975–76) का सप्तम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	140—141
सदस्य विधान सभा, श्री सूबेदार प्रसाद को मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध किए जाने के सम्बन्ध में सूचना	141
सदन से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु कतिपय सदस्यों के प्रार्थना-पत्र	141—143
आयुर्वेदिक कालेज के बी0ए0, एम0एस0 तथा यूनानी तिब्बिया कालेज के एफ0 एम0 बी0 एस0 के छात्रों को इन्डियन मेडिसिन बोर्ड द्वारा डिग्री देने की मान्यता शासन द्वारा वापस लिए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	143—147
1976-77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 45—सामुदायिक विकास, अनुदान संख्या 66—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण तथा अनुदान संख्या 77—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	147—167
अनुदान संख्या 12—मोटर गाड़ियों पर कर, अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन, अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन, अनुदान संख्या 65—पर्यटन, अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 85—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	167—197
नियम 51 के अन्तर्गत सूचना	197
नत्थियां	198—211

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 7 मई, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—219

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार जमील (एडवोकेट) श्री उर्फ जिमी मियां
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी बिशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दघीच सिंह, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री

धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
ध्रुवनारायण सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुवीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव, श्री
रणधीर सिंह, श्री
रमा पन्त, कुमारी
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह मदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण, पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडे, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—परिवहन मन्त्री, श्री शिव प्रसाद सिंह तथा स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल भी सदन में उपस्थित थे।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 7 मई, 1976

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

बहराइच के सहायक चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*1—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) *(अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1975 में बहराइच जनपद के कौन-कौन सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध अनैतिक कार्य करने की शिकायतें जनता अथवा किन्हीं व्यक्ति विशेष द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी बहराइच को प्राप्त हुयी हैं? और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

प्रश्नगत अवधि में सर्वश्री एजाज अहमद खां, मोहम्मद इकबाल आजमी, कालिका प्रसाद सिंह, मो0 फारूख और विजय प्रताप सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिन पर जांच कराई गई थी। प्रत्येक सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध जांच का विवरण नीचे अंकित है:—

(1) श्री एजाज अहमद खां के विरुद्ध शिकायतें श्री राम चन्द्र पांडेय, सदस्य, जिला परिषद् तथा पतरहिया गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई थीं, जिनकी जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में 1 फरवरी, 3 फरवरी और 24 फरवरी, 1975 को तथा 2 मार्च, 1975 को गांव पतरहिया में जाकर जांच की। गांव में जांच के समय सहायक चकबंदी अधिकारी उपस्थित थे। जांच के बाद सहायक चकबन्दी अधिकारी को निलम्बित करके उसके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(2) श्री मो0 इकबाल आजमी के विरुद्ध शिकायत गौरा पिपरा गांव के श्री राम देव गुप्त ने की थी, जिसकी जांच गांव में ही बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी ने 22 जुलाई, 1975 को शिकायतकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी की उपस्थिति में की। आरोप प्रमाणित नहीं हुए, फिर भी 27 जुलाई, 1975 को सहायक चकबन्दी अधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया गया।

(3) श्री कालिका प्रसाद सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी की शिकायत हरिहरपुर रानी के श्री राम पलटन ने की। इसकी जांच 31 जुलाई, 1975 को ग्रामवासियों और सहायक चकबन्दी अधिकारी की उपस्थिति में चकबन्दी अधिकारी द्वारा की गई। आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, पर इनका स्थानान्तरण 27 जुलाई, 1975 को कर दिया गया।

(4) श्री मो0 फारूख की शिकायत रामपुर धोबियाहार गांव के श्री बंशी ने की थी, जिसकी जांच, ग्रामवासियों और सहायक चकबन्दी अधिकारी की उपस्थिति में 10 नवम्बर, 1975 को चकबन्दी अधिकारी ने की। आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। इनका स्थानान्तरण भी 27 जुलाई, 1975 को इस क्षेत्र से हो चुका है।

(5) श्री विजय प्रताप सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें कुण्डवा तथा परवानागढ़ी के सर्वश्री चन्द्रभाल आदि ने की थी। इन शिकायतों पर जांच सहायक चकबन्दी अधिकारी और ग्रामवासियों की उपस्थिति में 13, 14 एवं 15 नवम्बर, 1975 को चकबन्दी अधिकारी द्वारा की गई। जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। इनके विरुद्ध और कोई कार्यवाही नहीं की गई।

नोट—नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा पूछा गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, पहले नम्बर में जिसके विरुद्ध शिकायतें प्रमाणित हो चुकी हैं तो वह शिकायतें क्या हैं और निलम्बन के पश्चात् क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, चार्जशीट दे दी गयी है। शिकायतें तो बहुत लम्बी हैं।

हरिद्वार के महन्तों की भूमि पर सीलिंग के अन्तर्गत कार्यवाही तथा प्रस्तावित भूख-हड़ताल

*2—श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव) तथा श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार के विधायक ने उनके पास क्या इस बात की कोई सूचना दिनांक 19 फरवरी, 1976 से 25 फरवरी, 1976 के बीच में भेजी है कि उक्त क्षेत्र में महन्तों के कब्जे में पड़ी लगभग 16 हजार बीघा भूमि पर जोतों की हदबन्दी के कानून को लागू करवाने के लिए वहां के लोगों ने 20 मार्च, 1976 से 24 घंटे की भूख हड़ताल करने का फैसला किया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, श्री आर0 के0 गर्ग विधायक, हरिद्वार का मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 19 फरवरी, 1976 को प्राप्त हुआ।

2—जांच के अनुसार महन्तों के निम्नलिखित अखाड़ों के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि है :—

क्रम संख्या	नाम अखाड़ा
1	अखाड़ा पंचायती महानिर्वाणी
2	अखाड़ा पंचायती निर्मला
3	नया अखाड़ा पंचायती उदासीन
4	बड़ा अखाड़ा पंचायती उदासीन
5	अखाड़ा पंचायती निरंजनी

3—इन अखाड़ों के मुख्यालय इलाहाबाद में हैं। इसलिए आवश्यक सीलिंग प्रपत्र जिलाधिकारी, इलाहाबाद को भेजे जा चुके हैं। अतिरिक्त भूमि के अवधारण की कार्यवाही जिला इलाहाबाद में चल रही है।

4—इस बारे म स्थानीय प्रतिनिधियों को सीलिंग में हो रही कार्यवाही के बारे में जिलाधिकारी, द्वारा अवगत करा दिया गया था। अत : प्रस्तावित भूख हड़ताल नहीं हुई।

श्री भीखा लाल—

क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी बताएंगे कि इन लोगों की नोटिस जो इलाहाबाद भेजी गई है, कब पहली बार भेजी गई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह अलग-अलग अखाड़ों की सूचनाएं हैं। इन पांचों अखाड़ों की सीलिंग की पत्रावलियां तहसीलदार, रुड़की ने तहसीलदार, इलाहाबाद, सदर को दिनांक 25 अप्रैल, 1974 को भेजी हैं।

श्री भीखा लाल—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह नोटिस दिनांक 25 अप्रैल, 1974 को दी गई, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक, श्री आर0 के0 गर्ग ने 19 फरवरी को

नोटिस दिया कि यदि उनकी भूमि नहीं निकाली जाती है, तो वह भूख हड़ताल करेंगे और माननीय विधायक के नोटिस देने के बाद ही इस पर कुछ हुआ; तो क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जिलाधिकारी ने कोई कार्यवाही भूमि निकालने के लिए पहले से क्यों नहीं किया ? और क्या इस असावधानी के लिए उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कम्प्रोमाइज करने का अवसर देने के हिसाब से यह भूख हड़ताल स्थगित कर दी गई थी, इसलिए कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं था।

श्री भीखा लाल—

पहले इन लोगों को नोटिस क्यों नहीं दी गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह इन अधिकारियों की लापरवाही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं जानना चाहता हूं कि इन अखाड़ों के अलावा शाहनवाज खां, जो आपके कृषि मन्त्री हैं, को कब नोटिस दी गयी। दी भी गयी या नहीं दी गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्री शाहनवाज खां तथा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ 1960 के सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत पहले कार्यवाही की गई थी, जिसमें श्री शाहनवाज खां की 10.20 एकड़ तथा श्री प्रबोधचन्द की 24.30 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी। उसका कब्जा भी ले लिया गया था। किन्तु सीलिंग ऐक्ट का जब अमेन्डमेंट हुआ तो उसमें पुन: नोटिस दिया गया। श्री शाहनवाज खां तथा श्री प्रबोध चन्द तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध 1974 में ही कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी, दिनांक 16 अप्रैल, 1974 को नोटिसें जारी कर दी गई हैं।

श्री देवकुमार यादव—

मान्यवर, मैंआपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अखाड़ों के सम्बन्ध में क्या यह पहली बार नोटिस दी गई है या सन् 1960 के कानून के तहत भी नोटिस दी गई थी ? यदि हां, तो उसमें कितनी भूमि निकली थी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, इन अखाड़ों की जमीन प्रस्तावित ह, इसका फैसला नहीं हुआ है। मान्यवर, कितना सीलिंग का प्रस्तावित है, अभी यह फैसला नहीं हुआ है।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि यह नोटिस अभी तक गयी कि नहीं, 1960 के कानून के तहत नोटिस गयी कि नहीं गई ? यदि नहीं गयी, तो क्यों नहीं भेजी गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, सूचना के अनुसार मालूम यह पड़ता है कि नई सीलिंग की नोटिस दी थी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, शाहनवाज साहब को 1974 में नोटिस दी गई, तो क्या 1974 से कब्जा हो गया कि नहीं अथवा क्या अभी वह शाहनवाज साहब के ही कब्जे में है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कब्जा प्राप्त करके उनका वितरण भूमिहीनों में कर दिया गया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से नोटिस समय के अन्दर नहीं दी जा सकी। श्रीमन्, सीलिंग का कानून पास हुए बहुत दिन हुए, माननीय गर्ग ऐसे भूख हड़ताल की नोटिस देंगे तभी यह लापरवाही दूर होगी? क्या मन्त्री जी इसमें भूमि चोरों का अधिकारियों के साथ साजिश है, आप लापरवाही कहते हैं, मैं इसको साजिश कहता हूं। तो इतनी बड़ी गम्भीर लापरवाही के लिए क्या इन अधिकारियों को दन्डित करेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, पुराना सीलिंग ऐक्ट जो था, उसमें लापरवाही कई तरह से की थी। उस वक्त कौन अधिकारी थे, क्या थे, इसको तो जांच करने पर ही पता चलेगा। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि घपले काफी हैं। उनका निराकरण पता लगा कर कार्यवाही की जा रही है। इसका ज्यादा विवरण इस वक्त नहीं दिया जा सकता है सन् 1960 में कौन अधिकारी थे, क्या थे?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी यह स्वीकार करते हैं कि घपले हुए हैं और जहां पर मालूम हुए हैं उन पर कार्यवाही की जा रही है। इस घपले के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन्होंने 1960 की वे नोटिस नहीं दिए हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जरूर करेंगे कि नोटिस, क्यों इतनी लेट दी गई।

[7 मई, 1976 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लखनऊ के फफनामऊ गांव सभा की भूमि का अनियमित पट्टा

*1—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि 20 मई, 1975 या उसके आस-पास किसी दिन उन्हें लखनऊ तहसील के फफनामऊ गांव में गांव सभा की भूमि को नाजायज तौर पर दबा लेने के कई मामलों का पता चला? यदि हां, तो सरकार ने इसमें क्या कार्यवाही की?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, मई, 1975 में राजस्व मन्त्री को तहसील लखनऊ का निरीक्षण करते समय गांव सभा फफनामऊ की कुछ भूमि के अनियमित पट्टों की सूचना मिली थी। जांच से पता चला कि वहां दस व्यक्तियों को अनियमित रूप से पट्टे दिए गए थे। अनियमित पट्टों को रद्द करने हेतु परगनाधिकारी, लखनऊ के न्यायालय में धारा 198(2) जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दायर कर दिया गया है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

गोरखपुर जिले के करमैनी घाट पर नाव के डूबने से मृतकों की संख्या तथा उनके परिवारों को दी गई सहायता

*2—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 18 सितम्बर, 1975 को गोरखपुर जिले में 200 बाढ़ पीड़ितों को कैम्पियरगंज ले जाते समय फरेंदा तहसील में एक नाव डूब गयी और लगभग 100 व्यक्ति डूब गए। यदि हां, तो नाव कैसे उलट गयी? कितनी लाशें प्राप्त हो पायीं? क्या सरकार मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का विचार कर रही है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दिनांक 18 अगस्त, 1975 को जिला गोरखपुर की तहसील फरेंदा के करमैनी घाट पर, न कि कैम्पियरगंज से ले जाते समय, एक नाव डूब गयी जिससे 18 व्यक्ति डूब गए नाव पर इसकी क्षमता से अधिक संख्या में सवारियां होने के कारण नाव डूब गयी। 11 व्यक्तियों की लाशें प्राप्त हुई थीं और सात की लाशें बरामद न हो सकी। मृतक परिवारों के वारिसों को प्रत्येक को 100 रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी है। एक मृतक के परिवार ने आर्थिक सहायता नहीं ली।

गोंडा के थारू जनजाति के लिए रोजगार की व्यवस्था तथा उनके विकास के लिए योजनाएं

*3—श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद की बलरामपुर तहसील के विकास खंड पचपेड़वा एवं जैसंडी के कई ग्रामों में 12 हजार से ऊपर की आबादी में थारू जातियां बसती हैं और कोई रोजी रोजगार न होने के कारण उनका जीवन नारकीय बना हुआ है तथा सरकार की ओर से भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि लगभग 1500 व्यक्तियों को अभी तक भारतीय नागरिक नहीं माना गया है?

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (डाक्टर चरण सिंह)—

जी हां, गोंडा जनपद के बलरामपुर तहसील के विकास खंड पचपेड़वा एवं जैसंडी के ग्रामों में 12,000 से ऊपर की आबादी में थारू जाति बसती है—कृषि, पशुपालन, कुक्कुट आदि धंधे के अतिरिक्त 80 प्रतिशत थारुओं के पास कृषि योग्य भूमि है और 20 प्रतिशत खेतिहर मजदूर भी हैं। उनके लिए शैक्षिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और आवास की सुविधाओं की अनेक योजनायें संचालित हैं। यह सही नहीं है कि लगभग 1500 व्यक्तियों को अभी तक भारतीय नागरिक नहीं माना गया है बल्कि भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा '3' (1) के अनुसार वे स्वतः भारतीय नागरिक हैं।

*4—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रकार के लगभग 40 ग्रामों की आबादी वाले क्षेत्र मे पीने के लिए पानी, पढ़ने के लिए स्कूल, जान माल की रक्षा के लिए पुलिस, पूरी मजदूरी की व्यवस्था, खेती सिंचन के लिए कोई प्रबन्ध आदि जीवन-निर्वाह के कार्य सरकार द्वारा न किए जा सके हैं। जिसके कारण लोगों में विशेष असन्तोष है? यदि हां, तो सरकार इस नारकीय जीवन से उबारने के लिए कोई कार्य करने जा रही है? यदि हां, तो वह क्या है?

डाक्टर चरण सिंह—

बलरामपुर तहसील के विकास क्षेत्र, पचपेड़वा एवं जैसंडी के 54 ग्रामों में थारू जाति के लोग रहते हैं? थारुओं के विकास और सुरक्षा तथा जीवन निर्वाह के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसका विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 198 पर।)

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

अध्यक्ष महोदय, यह विवरण देखें। विवरण में लिखा हुआ है कि जनपद गोंडा में अनुसूचित जनजातियों (थारूओं) के निवास के लिए विभिन्न योजनाएं। मान्यवर, हमने सवाल किया है केवल पचपेड़वा एवं जैसंडी विकास खंड के कई गांवों के लिए। इसमें योजनाओं का दिया है। नोटिस में निश्चित दो विकास खण्डों का नहीं, बल्कि पूरे जिले

की है। जो उत्तर दिया गया है, उससे इन 54 गांवों के सम्बन्ध नें जानकारी नहीं हो सकती है। मेरा कहना है कि इन गांवों और 2 ब्लाकों के बारें में निश्चित सूचना आनी चाहिए। इसमें सप्लीमेंटरी प्रश्न हो ही नहीं सकते हैं। यह पूरे जिले का विवरण है जबकि मैंने केवल 2 ब्लाकों, पचपेड़वा एवं जैसंडी के बारें में ही प्रश्न पूछा था ?

श्री अध्यक्ष—

वहीं पर थारू रहते हैं। ऊपर और नीचे का क्या सवाल है ? अगर पूरे जिले में वे 54 ही गांवों में रहते हैं, तो आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

इन 54 गांवों में से किन-किन गांवों में सुरक्षा, पढ़ने के लिए और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है ?

डाक्टर चरण सिंह—

जहां पर थारुओं की ज्यादा आबादी है, गोंडा, बहराइच और लखीमपुर जिलों में जहां पर थारू जाति के लोग रहते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए एक योजना बनाई गई है और इसमें ये गांव भी आ जाते हैं, जिनके बारे में माननीय सदस्य पूछ रहे हैं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन गांवों में पीने के पानी के लिए कुयें, पढ़ने के लिए पाठशालायें बनी हैं ? मैं यह प्रश्न केवल 2 ब्लाक के बारे में ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप सूची देखें। इसमें दिया हुआ है कि वर्ष 1969-70 में 9 और वर्ष 1970-71 में 7 कूपों का निर्माण हुआ है और 8 व 2 हाथ के नल लगाये गए हैं। किस-किस जगह है, यह तफसील का प्रश्न है। आप बता दें कि किस गांव के बारे में गलत सूचना है ?

श्री राम सुन्दर पांन्डेय—

दोनों विकास खंडों में 1500 इन थारुओं की आबादी है, लेकिन इनके लिए न पढ़ने की और न पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। उसी जानकारी के आधार पर मैंने यह प्रश्न पूछा है। हमारे पास बहुत सी चिट्ठियां आई हैं कि इन गांवों में कोई प्रबन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जो सूची दी गई है उसमें 383 के बारे में सूचना दी गई है। यह कोई सवाल है कि किस-किस गांव में लगे हैं। यदि इतने ब्योरे में पूछना है तो आप अतारांकित प्रश्न करके पूछ लें या चिट्ठी लिखकर पूछ लें। बहुत सूचना तुच्छ प्रकृति की होती है। आप यह कह सकते हैं कि इस लिस्ट को आप देखिए, इसमें गल्तियां हैं। तब आप प्रश्न इनके ऊपर कीजिए।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

मेरे पास स्पष्ट सूचना है।

श्री अध्यक्ष—

आप सही हो सकते हैं, लेकिन जिस सूचना के आधार पर बयान दिया गया है वह अभी जवाब के हिसाब से सीमित है। अब आप चैलज कीजिए वह अलग बात है। तब आपको हक है, आप जैसे चाहे पूंछ लीजिए, एक-एक कुएं के बारें में 800 से ज्यादा विकास खंड हैं।

पशु-चिकित्सक, झींझक, कानपुर की स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना

*5—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के झींझक के पशु चिकित्सक का भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी की शिकायतों के आधार पर तबादले का आदेश वर्ष 1975 में किया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

पशुपालन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

आदेश केवल यह थे कि यदि प्रश्नगत पशु-चिकित्सक क झींझक में 6 वर्ष हो गए हैं, तो उनको स्थानान्तरित कर देने पर विचार किया जाय। चूंकि उनकी वहां इतनी अवधि नहीं हुई, स्थानान्तरण नहीं किया गया।

*6—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त।]

*7—श्री ऊदल—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 8वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 पर स्थानान्तरित।]

गौरी कलां बांदा में सीलिंग की कार्यवाही

*8—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम गौरी कलां विकास खंड जसपुरा, तहसील व जिला बांदा ने किन-किन किसानों की कितनी-कितनी भूमि सीलिंग के अन्तर्गत निकाली गई है? और इस भूमि का वितरण हरिजन भूमिहीनों में कर दिया गया है? यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक कर दिया जाएगा?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ग्राम गौरी कलां विकास खंड जसपुरा तहसील व जिला बांदा में अभी तक किसी खातेदार की कोई भूमि सीलिंग के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित नहीं हुई है। अत: भूमि पट्टे पर उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

*9—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

बहराइच में तहसीलवार व परगनावार हरिजनों को भूमि का आबंटन

*10—श्री कमला प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जून, 1975 से 1 फरवरी, 1976 तक बहराइच जिले में तहसीलवार तथा परगनावार कितनी भूमि हरिजन भूमिहीनों को कहां-कहां आबंटित की गई और आबंटित भूमि पर कब्जा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बिजनौर के तहसीलदार, श्री मदन गोपाल शर्मा के विरुद्ध आरोपों की जांच

*11—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री मदन गोपाल शर्मा सांबिक तहसीलदार, धामपुर, जिला बिजनौर के विरुद्ध विजिलेंस की जांच के आदेश मुख्य मन्त्री जी ने 1974-75 में दिए थे? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी के आदेशानुसार श्री मदन गोपाल शर्मा तहसीलदार के विरुद्ध आरोपों की छानबीन करायी गयी। सतर्कता अधिष्ठान की आख्या के फलस्वरूप उनके विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक नहीं पायी गयी।

*12—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[6वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 पर स्थानान्तरित।]

*13—श्री ऊदल—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 8वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 पर स्थानान्तरित।]

*14—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[30 अप्रैल, 1976 को तारांकित प्रश्न संख्या 31 पर उत्तरित।]

बाराबंकी के ग्राम इचौलिया के हरिजनों का भूमि आबंटन सम्बन्धी कथित प्रार्थना-पत्र

*15—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम इचौलिया पं० प्रतापगंज, जनपद बाराबंकी के हरिजन भूमिहीनों ने दिनांक 19 फरवरी, 1975 को मन्त्री जी के एक प्रार्थना-पत्र भूमि आबंटन कार्य में बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिया था? यदि हां, तो उसमें किस अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी और जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं।

अत: जांच करवाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

मान्यवर, यह हरिजनों का परिपत्र भी मिला था और मेरे संलग्नक के साथ, उसका उत्तर भी दिया कि बाराबंकी में इस वक्त नहीं है। तो यह मिसप्लेस हो सकता है इसका पता लगा करके इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसका काफी पता लगाया गया। मैं यही कहूंगा कि दोबारा दे दें तो मैं उसकी जांच करा लूं, क्योंकि वह पत्र मिल नहीं रहा है।

एफोरेस्टेशन डिवीजन, फैजाबाद के सेवा निवृत्त फारेस्टर की ग्रेच्युटी तथा प्राविडेन्ट फन्ड

*16—श्री राममूर्ति (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एफोरेस्टेशन डिवीजन, फैजाबाद में माह जून से दिसम्बर, 1975 के मध्य कितने फारेस्टरों तथा अन्य कर्मचारियों का कम्पलसरी रिटायरमेंट किया गया है? क्या यह सही है कि ऐसे कर्मचारियों में से अधिकांश की न तो अभी तक पेन्शन स्वीकृत की गयी और न ही उनके प्राविडेन्ट फन्ड तथा ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा उनके पेन्शन की स्वीकृत करा कर उनकी उपलब्धियों का भुगतान कब तक करा दिया जाएगा?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

एफोरेस्टेशन डिवीजन, फैजाबाद में माह जून से दिसंबर, 1975 के मध्य केवल एक फारेस्टर का कम्पलसरी रिटायरमेंट किया गया है।

यह सही है कि उनकी पेन्शन अभी महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से स्वीकृत नहीं कराई गई है तथा उनके प्राविडेन्ट फन्ड तथा ग्रेच्युटी के भुगतान के आदेश पारित नहीं हुए हैं। परन्तु सम्बन्धित फारेस्टर की ग्रेच्युटी का 75 प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया है तथा उनको अन्तरिम पेन्शन दी जा रही है।

नया सरदारी खेड़ा, लखनऊ स्थित सुन्दर नगर हरिजन बस्ती के कतिपय हरिजनों के मकानों को खाली कराया जाना

*17—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित) तथा श्री हुबराज (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि नया सरदारी खेड़ा, आलमबाग, लखनऊ स्थित सुन्दर नगर हरिजन बस्ती (चमर टोलिया) जो पिछले 60 साल से हरिजनों से आबाद थी, को कुछ व्यक्तियों ने पुलिस की मदद से जनवरी, 1976 में उखाड़ फेंका जिसके सम्बन्ध में वहां के हरिजनों ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 24 जनवरी, 1976, श्री लक्ष्मी शंकर यादव, कांग्रेस प्रधान, उत्तर प्रदेश की संस्तुति में दिनांक 28 जनवरी, 1976 के साथ हरिजन समाज कल्याण मन्त्री को भेजा था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उन हरिजनों के प्रति किए गए अत्याचार के लिए कौन-कौन दोषी पाए गए तथा हरिजनों के प्रार्थना-पत्र पर अन्य क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर चरण सिंह—

जी हां। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नया सरदारी खेड़ा, थाना कृष्णानगर स्थित सुन्दर नगर हरिजन बस्ती (चमर टोलिया) दिनांक 16 जनवरी, 1976 को मैनेजिंग आफिसर आफ रिजनल सैटिलमेंट कमिश्नर, लखनऊ के यहां से चार बेदखली वारन्ट श्री भोला व श्री पोजई पुत्र मैकू, श्रीमती मूला स्त्री छेदा, श्री कन्धई पुत्र श्रीछेदा और कल्लू पुत्र गुलाब निवासीगण नया सरदारी खेड़ा थाना कृष्णानगर के विरुद्ध थाने पर प्राप्त हुए थे। इसी की तामील में पुलिस द्वारा उपरोक्त लोगों के मकान खाली कराए गए थे। जो वैधानिक है। हरिजनों को जिनके मकान खाली कराये गये हैं, अदालत में चारोजोई की हिदात की गयी है।

जो मकान उपरोक्त वारन्ट द्वारा खाली कराए गए हैं उनके अलावा कोई मकान पुलिस द्वारा खाली नहीं कराया गया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष जी, यह मामला स्वत: जहां माननीय मन्त्री जी रहते हैं, ठीक उन्हीं के मोहल्ले का है। एक हरिजन वहां पर मन्त्री जी को मालूम भी है, करीब 60 साल से बसे हुए हैं। जिसकी जमीन पर बसे हैं, वह श्री महमूद अली जो कि विधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं और वह मर गए हैं, उनका कोई यहां नहीं रहता है। इसलिए वह जमीन कस्टोडियन की हो गयी और कस्टोडियन जनरल के पास जब वह जमीन आ गयी, तो बनवारी लाल ने नीलामी में वह जमीन ले ली। बनवारी लाल लावारिश मर गए। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि शिव कुमार यह जमीन खाली करवा रहे हैं, तो किस हैसियत से करवा रहे हैं ?

डाक्टर चरण सिंह—

यह सच है कि यह मेरे क्षेत्र का मामला है और मैंने वह मौका भी देखा है। लेकिन कानून के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। यह इबैकुई प्रापर्टी डिक्लेयर हुई थी और उसका संचालन सैटिलमेंट कमिश्नर कर रहे हैं। यहां पर चार आदमियों के वारंट जारी हुए थे, उनसे खाली कराया गया है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 17 माननीय सदस्य, श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा पूछा गया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं तो यह पूछ रहा हूं कि शिवकुमार जो खाली करवा रहे हैं, वह किस हैसियत से करवा रहे हैं । मान्यवर, अभी बहुगुणा जी के जमाने में एक कानून पास हुआ कि 31 मार्च, 1974 के पहले जिस मकान पर हरिजन आबाद है, उसको खाली नहीं करवाया जा सकता, यहां पर 1332 फसली में उनका इन्दराज दर्ज है। किस कायदे से वह खाली करवा रहे हैं। अगर ट्रेसपासर्स इस तरह की धांधली करेंगे तो उसकी क्या रेमिडी है ?

डाक्टर चरण सिंह—

सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कानून है। जब रिफ्यूजी आए थे तो वह अपनी सम्पत्ति पाकिस्तान में छोड़ आए थे। शिवकुमार की अपनी प्रोपर्टी की एवज में यह हो, तो इसकी जानकारी कराई जाय। इसको पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अभी तो यह चार फेमीलीज यहां से गयी हैं। हो सकता है बाकी के खिलाफ भी बेदखली हो। क्या माननीय मन्त्री जी जो सैटिलमेंट कमिश्नर हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे ताकि जो आगे निकाले जाने वाले हरिजन हैं, उनकी रक्षा की जा सके ?

डाक्टर चरण सिंह—

जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं तो चाहता हूं कि मेरे विभाग से किसी भी हरिजन को तकलीफ न हो। अगर सेटिलमेंट आफिसर के साथ मिलकर कोई फैसला निकल सकता है तो जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन कानून की जो पाबन्दी है, उसका उल्लंघन मैं कैसे कर सकता हूं ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि शिवकुमार किस हैसियत से खाली करवा रहे हैं ?

डाक्टर चरण सिंह—

इसके लिए सूचना चाहिए ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मान्यवर, जिन हरिजनों का यहां से उजाड़ा गया है तो क्या मन्त्री जी उनको बसाने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे ?

डाक्टर चरण सिंह—

मान्यवर, हमारे विभाग में जो पहले निर्णय लिया गया था, उसके हिसाब से 20 लाख रुपए का व्यय इस पर बैठता था। कल ही हमारी कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है जो अभी भी विचाराधीन है। शहरों में जो हमारे हरिजन भाई हैं, उनके पास और कोई जगह नहीं है जो उनको उजड़ा जाता है, उसके बदले में उनको बसाने के लिए, नगरपालिका और नगरमहापालिका में एक समिति हो गई है, जो इस बात का प्रबन्ध करेगी कि कहां पर उनको बसाया जाय। जो हमारा शिड्यूल कास्ट हाउसिंग बोर्ड बना है, उसके अन्तर्गत उनको पैसा भी दिया जायगा और बसाया भी जायगा।

फर्रुखाबाद के राजेपुर ब्लाक के अन्तर्गत चकबन्दी की मांग

*18—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सदर, जिला फर्रुखाबाद के राजेपुर ब्लाक की क्षेत्र समिति ने दिनांक 22 अप्रैल, 1974 को सर्वसम्मति के प्रताव पारित कर यह अनुरोध राज्य सरकार से किया है कि इस विकास खन्ड में चकबन्दी कराने की शीघ्र व्यवस्था की जाय ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जी हां। राजेपुर ब्लाक के ग्रामों में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्र समिति का 22 अप्रैल, 1974 का प्रस्ताव जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ था। चकबन्दी एक आयोजनागत कार्य है, जिस पर होने वाले व्यय तथा किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा पहले से ही निश्चित कर ली जाती है। पंचम योजनाकाल को शेष अवधि में चकबन्दी के प्रसार पर निर्णय लेते समय इस प्रस्ताव पर ध्यान दिया जायगा।

श्री विमल प्रसाद तिवारी---

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह निर्णय कब लिया जायगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यह तो चकबन्दी में टार्गेट हो जाते हैं। साल खत्म होने के बाद अब तो दूसरे साल में लेने का समय है। क्योंकि साल मार्च से मार्च तक चलता है। मार्च के बाद अगर फिर गांव आ जायेंगे तो लेने की कोशिश की जायगी, दूसरे साल के लिए।

देवरिया से श्री नेत इन्टर कालेज तथा किसानों के बीच भूमि सम्बन्धी संघर्ष

*19---श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के सदर तहसील देवरिया के अन्तर्गत ग्राम इन्द्रपुर में वहां के किसानों की लगभग 29 एकड़ जमीन को बिना मवाजा दिए श्री नेत इन्टर कालेज, इन्द्रपुर ने अपने नाम से पूर्व कागजात में अंकित करा लिया है किन्तु उस पर अधिकार किसानों का ही है और कब्जा करने के प्रश्न पर छात्रों तथा किसानों में संघर्ष होने के कारण थाना गौरी बाजार की पुलिस ने 34 किसानों को अक्तूबर, 1975 से दिसम्बर, 1965 तक कई बार जेल में बन्द किया है ? यदि हां, तो किसानों को मुआवजा दिलाने का या जमीन के बदले जमीन दिलाने हेतु कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीनेत इन्टर कालेज, इन्द्रपुर के नाम ग्राम इन्द्रपुर में 11.20 एकड़ भूमि अंकित है जो उन्हें भूमि अध्याप्ति कार्यवाही के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। दिनांक 6 अक्तूबर, 1962 को इस भूमि पर विधिवत् कब्जा कालेज को दिया गया था। दिनांक 10/11 नवम्बर, 1975 को स्थानीय किसानों तथा कालेज के अध्यापकों, छात्रों और चपरासियों के बीच संघर्ष हुआ और दोनों तरफ से मुकदमें दायर किए गए, जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। कृषकों को प्रतिकर भुगतान के लिए सूचित किया गया परन्तु उन्होंने भुगतान नहीं लिया।

बांदा शहर की देशी शराब की दूकानों पर छापा

*20---श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि बांदा शहर के तीन देशी शराब की दूकानों पर नवम्बर, 1975 में, आबकारी विभाग के उच्च अधिकारी ने छापा मार कर 2600 लीटर स्प्रिट से साफ की गयी शराब बरामद की और उस शराब को मौके पर ही नष्ट करा दिया ? यदि हां, तो क्या उस अधिकारी को मौके पर शराब नष्ट कराने का अधिकार था ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

प्रश्न गत छापे में स्प्रिट से साफ की गई कोई शराब बरामद नहीं हुई बल्कि 2666 बल्क लीटर जल मिश्रित शराब पायी गई। उक्त छापे के दौरान दूकान पर पायी गई त्रुटियों हेतु अनुज्ञापियों के आवेदन-पत्र पर प्रश्नगत शुल्क का आरोपण एवं उसे वसूल कर जल मिश्रित शराब मौके पर नष्ट कर दी गई ?

टिहरी और उत्तरकाशी में पंचायत वन नियमावली लागू किए जाने की मांग

*21—श्री गोविंद प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुमायू एवं गढ़वाल मन्डल में सिविल फारेस्ट पर नियन्त्रण एवं प्रबन्ध आदि के लिए वन पंचायत अधिनियम में समयानुकूल संशोधन करने हेतु सरकार की संस्तुति देने हेतु सन् 1974 में कोई कमेटी बनायी गयी थी? यदि हां, तो क्या इस अधिनियम को टिहरी और उत्तरकाशी में भी लागू करने के प्रश्न पर विचार करेगी जहां अभी वन पंचायत अधिनियम लागू ही नहीं है?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

इन्डियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 के अधीन बनाए गए पंचायती वन नियमावली, 1972 में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने हेतु सन् 1974 में एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी की संस्तुति के अनुसार टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में भी पंचायती वन नियमावली लागू की जा रही हैं।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

क्या माननीय मन्त्री जी वन पंचायत नियमावली को लागू करने की कोई तिथि निर्धारित करेंगे ताकि इसमें जो अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, वह न हो?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

टेहरी और उत्तरकाशी की जो समिति बनी थी उसने अपनी संस्तुति दे दी है और यह नियमावली बन गयी है। जैसे ही वह ला डिपार्टमेंट से आ जाएगी, लागू कर दी जायगी।

तहसील नवाबगंज, बाराबंकी में भूमि आवंटन की कार्यवाही

*22—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री राम सजीवन (जिला बांदा) तथा श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या माल मन्त्री को ज्ञात है कि बाराबंकी जनपद के तहसील नवाबगंज में लगभग 50 गांव सभाओं में भूमि आवंटन का कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं किया गया है और इससे अधिक गांव सभां में सीमांकन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? इस तहसील की आवंटन सम्बन्धी वास्तविक स्थिति क्या है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं।

तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी में कुल 392 गांव हैं जिनमें से एक ग्राम नवाबगंज में अभी तक जमींदारी बिनाश नहीं हुआ है तथा दूसरे ग्राम रमना में कोई भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है। शेष 390 ग्रामों में भूमि आवंटन का कार्य किया गया है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि 390 गांवों में भूमि आवंटन कार्य किया गया है। तो क्या भूमि आवंटन पट्टे बंट गए हैं? सीमांकन हो गया है क्या मतलब समझा जाय?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसके माने यही हैं कि 390 गांवों में आवंटन कार्य किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

किया गया है, लेकिन अभी सम्पन्न नहीं हुआ है। (हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

हो सकता है कि फसल खड़ी हो और उसकी वजह से कब्जा न मिला हो, लेकिन इसकी सूचना नहीं है, प्राप्त कर लूंगा।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

तो फिर इसे स्थगित कर दें, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर चिट्ठी लिख दीजियेगा क्योंकि हो सकता है कि बहुतों में न किया गया हो, कम जमीन हो, जो भी कारण हो।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसमें यह है कि सीमांकन का कार्य चालू है....

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

जिन 390 गांवों में भूमि आवंटन कार्य किया गया है, इसमें से कितने गांव ऐसे हैं जिनमें अब तक सीमांकन कर दिया गया है?

श्री अध्यक्ष—

यह एक में भी नहीं हुआ। वह तो जवाब दे चुके हैं कि अभी सीमांकन का कार्य नहीं हुआ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

मैं गांवों के नाम बताता हूं जिनमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ....

श्री अध्यक्ष—

यह तो लिख कर भेज दीजिए।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

पचास गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक पट्टे बांटे ही नहीं गए हैं। कागज के ऊपर 390 गांवों में आवंटन हो गया होगा। तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

आप जब लिख कर देंगे ही नहीं माननीय मन्त्री जी को, तो वह जांच क्या करायेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आप मुझे नाम लिख कर दे दें मैं जांच अवश्य करा लूंगा।

*23—श्री रघुनाथ—

[उरे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 32 पर उत्तरित।]

राजेपुर ब्लाक, फर्रुखाबाद में बाढ़ तथा सहायता

*24—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद का राजेपुर ब्लाक जो वर्ष 1975 में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित हुआ था, के छात्रों को शिक्षा सत्र 1975-76 में शिक्षा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

फर्रुखाबाद जनपद का राजेपुर ब्लाक वर्ष 1975 की बाढ़ से प्रभावित हुआ था परन्तु बाढ़ग्रस्त घोषित करने के संबंध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है और न ही छात्रों को शिक्षा सत्र 1975-76 में शिक्षा शुल्क से मुक्त किया गया है। केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में कोई धनराशि न मिलने के कारण बाढ़ से प्रभावित छात्रों को यह सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार नहीं किया जा सका।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

श्रीमन्, 1975 की बाढ़ में राजेपुर ब्लाक खंड के 171 गांव बाढ़ से प्रभावित हुये थे और समूची फसल नष्ट हो गयी थी, तो कौन सा कारण है कि उस क्षेत्र को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं, 171 गांव प्रभावित हुये। शासन द्वारा क्यों उसको घोषित नहीं किया गया इसकी तो सूचना इस समय नहीं है, किन्तु जो भी सहायता आवश्यक थी, वह दी गयी है। अगर घोषणा कर भी दी जाती तो भी इससे अधिक सहायता देने का प्रश्न नहीं था।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

औपचारिक घोषणा के कुछ नियम हैं कि बाढ़ इतने लेबिल तक होगी या इतना नुकसान होगा तो उसे घोषित कर दिया जाता है। यहां नुकसान काफी हुआ और वहां के जिलाधीश ने स्वयं माना भी था। औपचारिक घोषणा न होने से निर्धन छात्र छात्रवृत्ति पाने से महरूम रह गये ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

फीस माफी का जहां तक प्रश्न है उसके लिये तो केन्द्र से सहायता मिलती है, वह नहीं मिली थी, इसलिये हम उसे नहीं दे सके थे।

मेरठ के ग्राम दौलतपुर फारखाबाद में सीलिंग की कार्यवाही

*25—श्री राम सजीवन तथा श्री राम पूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ की तहसील सदर के ग्राम दौलतपुर में सीलिंग की कितनी भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी ? उन जमीनों के पट्टे किन-किन लोगों को किए गए ? क्या यह सत्य है कि उक्त जमीनों के आवंटन में बरती गयी अनियमितताओं की शिकायतें शासन को 1976 में प्राप्त हुयी थीं ? यदि हां, तो किन-किन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला मेरठ की तहसील सदर में दौलतपुर नाम का कोई गांव नहीं है। दौलतपुर फारखाबाद उर्फ कायस्त गावड़ी नाम का गांव है। इस गांव में सीलिंग की कोई अतिरिक्त भूमि घोषित नहीं थी। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता है।

श्री राम सजीवन—

इस गांव में कोई सीलिंग की भूमि घोषित नहीं थी तो क्या सन् 60 के कानून के अन्तर्गत भी कोई भूमि इस प्रकार की घोषित नहीं थी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उस नाम का वहां पर कोई गांव ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो बता ही दिया है कि इस नाम का कोई गांव ही वहां नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, वहां इस नाम का कोई गांव ही नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

सन् 60 वाली सीलिंग में जो दूसरे गांव हैं, वे भी नहीं हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दौलतपुर फारखाबाद में इस नाम की कोई जमीन प्राप्त नहीं हुई है इसलिये पट्टे का कोई प्रश्न ही नहीं है।

*26-27—श्री दया राम भास्कर—
[6ठें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

*28—श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—
[6ठें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

हरिजन कल्याण विभाग के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*29—श्री जय नारायण सिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित), रघुवीर (जिला गाजीपुर); श्री रामजी सिंह (जिला गाजीपुर) तथा श्री झिलमिट (जिला गाजीपुर)—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन कल्याण विभाग में कितने ऐसे स्थायी पद हैं जिन पर तीन साल से अधिक कार्य करने वाले कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उनके अभी तक स्थायी न किए जाने का क्या कारण है ?

डाक्टर चरण सिंह—

हरिजन कल्याण विभाग में कुल 789 स्थायी पद हैं जिन पर तीन साल से अधिक समय से कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया है। स्थायीकरण हेतु नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति की जा रही है।

श्री रघुवीर—

जो अस्थायी स्टाफ है उसको 3 वर्ष बाद नियमों के अनुसार स्थायी हो जाना चाहिये था। तो अब तक स्थायी न किये जाने का मूल कारण क्या है ?

डाक्टर चरण सिंह—

मूल कारण यह है कि उनके करेक्टर कन्डक्ट आदि का वेरीफिकेशन आदि नहीं हुआ था। मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं था। 1974 में 535 जगहें थीं, इस पीरियड में बहुत से स्थायी हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक और कारण था। जो गजटेड आफिसर्स थे उनका स्थायीकरण ए0 जी0 की तरफ से हुआ करता था लेकिन ए0 जी0 ने सब रेकार्ड्स हमारे विभाग में भेज दिये हैं। वे सारे कार्य करने में हमारा विभाग लगा हुआ है। फिर भी मैं मानता हूं कि विलम्ब हुआ है, शीघ्र ही उसे करवा दिया जायेगा।

*30—श्री जयराज गौतम—
[6ठें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

पीलीभीत डिवीजन के फारेस्टर का स्थानान्तरण

*31—श्री तेजबहादुर (जिला पीलीभीत)—

क्या वन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि पीलीभीत डिवीजन में शिकायतों के आधार पर 1975 में तत्कालीन फारेस्टर का स्थानान्तरण किया गया था और वे कार्यमुक्त भी कर दिए गए थे ? यदि हां, तो क्या उन्होंने अपने पद स्थानान्तरित स्थान पर स्थान ग्रहण कर लिया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या उनके विरुद्ध शासकीय आदेश न मानने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी और क्या ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

पीलीभीत डिवीजन में 1975 में केवल एक फारेस्टर का स्थानान्तरण कुछ अनियमितताओं की शिकायत पर पीलीभीत डिवीजन से खीरी वृक्षारोपण डिवीजन में किया गया था और वे अगस्त, 1975 में कार्य मुक्त भी कर दिये गये थे। कार्यमुक्त होने के पश्चात् उन्होंने स्थानान्तरित स्थान पर स्थान ग्रहण नहीं किया। अब वे अनधिकृत अवकाश पर चल रहे हैं। उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिये उनके विरुद्ध आवश्यक

कार्यवाही करने के लिये अरण्यपाल, केन्द्रीय वृत्त द्वारा उप अरण्यपाल को लिखा जा चुका है।

श्री तेजबहादुर—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन फारेस्टर ने क्या अनियमितता बरती है और उनको जो आदेश दिये गये थे, वह कब दिये गये थे और क्या दिये गये थे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन्, अनियमितताओं की सूची तो इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी तक जहां पर उनका स्थानान्तरण हुआ है, वहां पर न जाने के लिये इनको चार्जशीट दिया गया है।

श्री तेजबहादुर—

जो आदेश दिये गये थे, कब दिये गये थे और क्या दिये गये थे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

कई बार उनको लिखा गया। वे मेडिकल आफिसर से दरख्वास्त लेकर भेज देते थे और अपनी बीमारी का बहाना करते थे। नियमानुसार दो तीन बार ऐसी दरख्वास्तें देने के बाद उनको मेडिकल बोर्ड के सामने जाना चाहिये था, लेकिन वे नहीं गये। इसके लिये उनको पत्र लिखा जा चुका है। जो चार्जशीट भेजा गया था उसको भी उन्होंने नहीं लिया। इसी तरह वे और पत्रों को भी लौटा देते हैं। अब उनके पत्र का इन्तजार है और यदि चार्जशीट का जवाब नहीं आया तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

*32—श्री धर्म चन्द्र मिश्र—

[6ठें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

आजमगढ़ में विकास-कर की वसूल की गयी धनराशि

*33—श्री रामअधार (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि आजमगढ़ जिले में वित्तीय वर्ष 1973–74 और 1974–75 में कितना रुपया विकास-कर का वसूल किया गया ? क्या यह भी सही है कि विकास-कर का कुछ प्रतिशत ग्राम सभाओं को ग्रामीण विकास के लिये दिया गया ? यदि हां, तो वह प्रतिशत क्या है और कुल कितना रुपया जिले में ग्राम सभाओं को दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*34—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[6ठें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 पर स्थानान्तरित।]

इलाहाबाद में ओले से क्षति तथा दी गई सहायता

*35—श्री राम पूजन पटेल—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष जनपद इलाहाबाद के किन-किन ग्रामों में ओलों के पड़ने के कारण कितने प्रतिशत फसलों की क्षति हुयी है ? सरकार की ओर से उन कृषकों को क्या सहायता दी गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इस वर्ष इलाहाबाद जनपद के ओला प्रभावित 730 ग्रामों के नाम जिनमें फसलों को 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक या इससे अधिक क्षति हुई है, †संलग्न सूची में दिए हुये हैं।

---

†छापी नहीं गयी।

ओला पीड़ित कृषकों को कुल 8,940 रु0 अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया जा चुका है तथा सहायता कार्य जारी है।

श्री राम पूजन पटेल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 720 गांवों को जो 8,940 रुपये की अहेतुक सहायता दी गयी है, वह पर्याप्त है ?

श्री स्वामी प्रासद सिंह—

यह तो श्रीमन्, माननीय सदस्य जानते हैं कि यह तो आंशिक सहायता होती है, इसको पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

श्री राम पूजन पटेल—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्रतिशत क्षतिग्रस्त गांवों को सहायता दी गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, जहां 75 प्रतिशत के ऊपर नुकसान होता है, तो उनको दी जाती है। वैसे जो सूचना दी गयी है उसमें हर गांव के सामने प्रतिशत दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

बहुत तफसील से जवाब मिला है। उत्तर में प्रतिशत दिया है।

श्री राम सजीवन—

माननीय अध्यक्ष जी, ओला वृष्टि के बारे में, मैंने भी नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिये दिया था, आपने स्वीकार किया था।

श्री अध्यक्ष—

वह तो अलग है।

श्री राम सजीवन—

मैं मंत्री जी से दूसरी बात जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

दूसरी बात नहीं एक ही बात कहिये। (हंसी)

श्री राम सजीवन—

इसी प्रश्न के सम्बन्ध में, मैं मान्यवर, पूछना चाहता हूं कि ओलावृष्टि के संबंध में, मंत्री जी वक्तव्य कब देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह उनका काम नहीं है। यह हमारा काम है। (हंसी)

*36—श्री राम रति बिन्द, श्री बैजनाथ यादव, श्री गिरिजा शंकर पाठक तथा श्री नजुराम—

[18 अप्रैल, 1975 को तारांकित प्रश्न संख्या 18 पर उत्तरित।]

कानपुर के सह अमीन, श्री हीरा लाल की सेवा निवृत्ति

*37—श्री राम औतार सिंह भदौरिया (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले की कानपुर तहसील के किसी भू-राजस्व संग्रह अमीन को (श्री हीरालाल को) अद्यावधिक संशोधन फन्डामेन्टल रूल 56 के खंड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके दिनांक 31 जनवरी, 1976 से सेवा निवृत्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। श्री हीरा लाल को जनहित में सेवा निवृत्त करना आवश्यक समझा गया।

श्री राम औतार सिंह भदौरिया—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण थे कि संबंधित कर्मचारी को निकाल दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

जनहित में कह दिया वही कारण है। जनहित कह देना ही कारण है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, हीरालाल, संग्रह अमीन की चरित्र पंजिका में 6 प्रविष्टियां प्रतिकूल, 3 औसत से कम, 6 औसत, 5 संतोषजनक थीं। 1973–74, 1974–75 में इनका कार्य ठीक नहीं पाया गया इसलिये इनको जनहित में निकाल दिया गया।

श्री राम औतार सिंह भदौरिया—

मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूं, मेरी जानकारी के अनुसार. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल कीजिये। जानकारी न दीजिये, प्रश्न कीजिये।

श्री राम औतार सिंह भदौरिया—

यह जो मंत्री जी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों का कार्य असंतोषजनक पाया गया। मान्यवर, मेरी सूचना है कि पिछले 2 वर्षों में इस अमीन का कार्य अच्छा था। दूसरे अमीनों से सबसे अच्छा कार्य था।

श्री अध्यक्ष—

इसकी इजाजत नहीं है। आप किसी व्यक्ति में इन्टरेस्टेड हैं।

श्री राम औतार सिंह भदौरिया—

तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य को गलत इन्फारमेशन दी गयी है। वर्ष 1963 में श्री हीरालाल की जनता को परेशान करने की शिकायत प्राप्त हुयी। शिकायत के आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही में, शिकायत सिद्ध पायी गयी थी। वार्षिक वृद्धि भी रोकी गयी थी। उन्होंने अपील की, वह भी खारिज हो गयी थी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न समाप्त हुए अब मैं फिर दोहराये देता हूं।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री ऊदल—

[6ठें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 11 पर स्थानान्तरित।]

देवरिया के ग्राम बरगहा की बंजर भूमि पर अनधिकृत कब्जे सम्बन्धी शिकायती-पत्र

2—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के जिलाधीश को ग्राम बरगहा विकास खंड नेबुआ नौरंगिया के निवासियों की तरफ से माह अप्रैल तथा मई, 1975 में ग्राम के प्रधान तथा उप प्रधान द्वारा गांव की बंजर भूमि हड़पने के कितने शिकायती-पत्र मिले तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

3—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[6ठें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 18 पर स्थानान्तरित।]

मिर्जापुर के कतिपय वन प्रखंडों में तेंदू पत्ते के कथित टेन्डर एवं काश्तकारों को मिलने वाली सुविधायें

4—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी वन प्रखंड तुर्रा एवं अगोरी वन प्रखंड ओबरा के कितने तेंदु बीड़ी पत्ती जंगल लाटोक का 20 अक्टूबर, 1975 को टेन्डर किया गया और किन-किन जंगल का टेन्डर होना बाकी है ? और उपरोक्त दोनों प्रखंडों एवं राम गढ़ चुर्क रेन्ज जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत स्थानीय काश्तकारों को कौन-कौन सी सुविधायें जंगलात से प्राप्त है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

कथित दिनांक को संदर्भगत वन प्रखंडों के लिये कोई टेण्डर नहीं मांगे गये।

संदर्भगत वन प्रखंडों के स्थानीय काश्तकारों को जो सुविधायें प्राप्त हैं उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. 199–200 पर) ।

तहसील रावट्सगंज, मिर्जापुर में सीलिंग से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का आवंटन

5—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर की तहसील रावट्सगंज में लेखपाल क्षेत्रवार जोत-सीमा अधिनियम के अन्तर्गत कितनी भूमि अब तक निकाली गई तथा इन जमीनों का पट्टा किन-किन भूमिहीन हरिजनों को दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जनपद मिर्जापुर की तहसील रावट्सगंज में नई सीलिंग 1972 के अन्तर्गत अब तक 1317.21 एकड़ भूमि उपलब्ध हुई है। इसमें से 624.27 एकड़ भूमि 457 भूमिहीन हरिजनों में, 105.77 एकड़ भूमि 54 अन्य भूमिहीन व्यक्तियों में वितरित की गई। शेष 587.17 एकड़ भूमि कृषि अयोग्य पाई गई। आवंटियों की लेखपाल क्षेत्रवार सूची* अध्यक्ष महोदय के कक्ष में रख दी गई है ।

6—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।)

लखनऊ में पकड़े गए नकली शराब के कारखाने

7—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम सत्र 1975 के तीसरे मंगलवार के नत्थी "ख" तारांकित प्रश्न संख्या 6 के सन्दर्भ में दिनांक 15 जनवरी, 1975 को लखनऊ में पकड़े गए अवैध नकली शराब के कारखाने तथा उपकरणों में फ्रेन्च वार्निश तथा जहरीले पदार्थ व मिश्रण सामग्री भी पकड़ी गयी थी ? यदि हां, तो कौन–कौन सी सामग्री पकड़ी गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

बरामद हुए सामानों का जो विवरण प्रथम सत्र 1975 के तीसरे मंगलवार को तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में दिया गया था, उनके अतिरिक्त फ्रेन्च वार्निश तथा अन्य कोई पदार्थ अथवा मिश्रण सामग्री नहीं बरामद हुई थी ।

8—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[26 मार्च, 1976 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3 पर उत्तरित ।]

---

*छापी नहीं गयी ।

9—श्री राम मूर्ति—

[6ठें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 17 पर स्थानान्तरित।]

10—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[11वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 20 पर स्थानान्तरित।]

मिर्जापुर के भूमिहीनों को भूमि का पट्टा तथा भूमि का कब्जा

11—श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जुलाई, 1975 से 15 फरवरी, 1976 के बीच मिर्जापुर जिले में कितने व्यक्तियों को कुल कितनी भूमि के पट्टे भूमिहीनों को कृषि कार्य हेतु भूमि देने के कार्य-क्रम के अधीन दिए गए तथा इनमें से कितनों को कब्जा भी प्राप्त हो गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रश्नगत् अवधि में कुल 45, 932 व्यक्तियों को 20, 171.942 हेक्टेयर भूमि का पट्टा दिया जा चुका है। जिसमें से 38,548 व्यक्तियों को 15951.315 हेक्टेयर भूमि का अधिकरण करा दिया गया है।

बहराइच जिले के कतिपय ग्रामों की थारू जनजाति के उत्थान हेतु की गयी कार्यवाही

12—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि बहराइच जिले में थारू जनजाति के लोग केवल सिरसिया एवं मिहीपुरवा विकास खंड के 6–7 गांवों में ही रहते हैं ? यदि हां, तो जनजाति (थारू) के उत्थान के लिये सरकार ने पिछले चार वर्षों में अब तक क्या–क्या कार्य किए हैं ?

डाक्टर चरण सिंह—

बहराइच जिले में थारू जनजाति के लोग सिरसिया विकास खंड के 6 गांवों में एवं मिहीपुरवा विकास खंड के 13 गांवों में रहते हैं। इन जाति (थारू) के उत्थान के लिये पिछले 4 वर्षों 1972–73 से अब तक में निम्नलिखित कार्य किए गये—

क्रम सं0	योजना का नाम	सहायता की धन-राशि	प्राप्त भौतिक लक्ष्य
1	2	3	4
		रु0	
1	भवन निर्माण	51,200	32
2	कृषि विकास	23,500	37
3	कुटीर उद्योग	12,000	24
4	पेयजल सुविधा	14,000	13
5	पुनर्वास योजना	1,69,000	35
6	दशमपूर्व छात्रवृत्ति	38,477	1128

वाराणसी कलेक्ट्रेट के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थायीकरण

13—श्री रामरति बिन्द एडवोकेट (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी के कलेक्ट्रेट विभाग के तृतीय वर्ग कर्मचारियों की संख्या क्या है इनमें से कितने स्थाई हैं तथा कितने अस्थायी हैं ? जो अस्थाई हैं उन्हें स्थायी न करने का कारण क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वाराणसी कलेक्ट्रेट के रेगुलर अधिष्ठान में इस समय तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की संख्या 230 हैं। इनमें से 129 स्थायी तथा 161 अस्थायी कर्मचारी हैं। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी न किये जाने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) स्थायी पदों का अभाव।

(2) कतिपय कर्मचारियों द्वारा ज्येष्ठता निर्धारण हेतु दायर किये गये वाद में न्यायालय द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश।

बहराइच में छोटी पेपर मिल की स्थापना का कथित प्रस्ताव

14—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या वन मंत्री को यह जानकारी है कि फारेस्ट कारपोरेशन द्वारा बहराइच जिले में बीस टन क्षमता वाली घास से छोटी पेपर मिल यूनिट लगाने के लिये विगत तीन वर्ष के अन्दर कोई प्रस्ताव वन विभाग, बहराइच द्वारा शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता है।

प्रदेश में सीलिंग से प्राप्त भूमि तथा उसका हरिजनों तथा भूमिहीनों में आबंटन

15—श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीलिंग की कितनी जमीन प्रदेश सरकार को अब तक मिली है और कितनी भूमिहीनों में वितरित हुई है और भूमिहीनों में कितनी हरिजनों को प्राप्त हुई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत 2,01,739 एकड़ भूमि पर सरकार की ओर से कब्जा लिया गया है और उसमें से 1,24,914 एकड़ भूमि भूमिहीनों में वितरित कर दी गई। भूमिहीनों में 79,078 एकड़ भूमि हरिजनों को दी गई है।

2—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1976 तक 89710 एकड़ भूमि पर कब्जा लिया गया। उसमें से अब तक 47010 एकड़ भूमि भूमिहीनों को वितरित की जा चुकी है। भूमिहीनों में 37,159 एकड़ भूमि हरिजनों को दी गई है। वितरण का काम जारी है।

आजमगढ़ के ग्राम राम रायपुर की चकबन्दी से सम्बन्धित कथित शिकायती पत्र

16—श्री दयाराम भास्कर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी के सिलसिले में ग्राम राम रामपुर सदर परगना, निजामाबाद, आजमगढ़ के हरिजनों के नाम चक काटने में अनियमिततायें बरती गयीं जिसके सम्बन्ध में जिला अधिकारी आजमगढ़ तथा मुख्य मंत्री को वर्ष 1975 में अनेक प्रार्थना-पत्र दिए गए ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रश्नगत जिले में ग्राम राम रामपुर नाम का ग्राम नहीं है। राम रायपुर के नाम का ग्राम अवश्य है जिसमें चकबन्दी समाप्ति के सम्बन्ध में चकबन्दी अधिनियम की धारा–52 के अन्तर्गत अधिसूचना 10 सितम्बर, 1960 को प्रकाशित की जा चुकी है। प्रश्नगत अवधि में चकबन्दी का शिकायती विषयक कोई शिकायती–पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

17—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह तथा श्री ऊदल—

[2 अप्रैल, 1976 को तारांकित प्रश्न संख्या 8 पर उत्तरित।]

20-सूत्री कार्य-क्रम के लिए आवंटित धनराशि

18—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री के बीस सूत्री प्रोग्राम हेतु केन्द्रीय शासन ने सन् 1976–77 के लिये लगभग 370 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रदेश का कितना अपना निजी रुपया लगाने की सम्भावना है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

राज्य की वार्षिक योजना 1976-77 के लिये योजना आयोग द्वारा 540 करोड़ रुपय का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इसमें केन्द्रीय सरकार की सहायता तथा राज्य सरकार के संशोधन दोनों ही सम्मिलित हैं जिनका योजनावार अलग–अलग फांट देना सम्भव नहीं है। 540 करोड़ रुपये के परिव्यय के अन्तर्गत 20–सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के विभिन्न मदों के लिये 371.40 करोड़ रुपये का परिव्यय सम्मिलित है।

अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत फर्जी बंटवारे सम्बन्धी जांच

19—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सीलिंग ऐक्ट के लागू होने के बाद जिन खातेदारों ने फर्जी बंटवारे कर डाले हैं उनकी जांच करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जायगा?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

संभवतः सदस्य महोदय का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 से है जिसका संशोधन उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18/1973, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2/75 तथा अध्यादेश संख्या 11/1976 द्वारा किया गया है।

सीलिंग क्षेत्र अवधारण में 24 जनवरी, 1971 के बाद किये गये सभी फर्जी बंटवारों की उपेक्षा किये जाने का प्राविधान अधिनियम में है। सीलिंग अवधारण की कार्यवाही विहित अधिकारियों द्वारा की जा रही है जो अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार बंटवारों की छानबीन स्वयं करेंगे। अलग से कोई जांच आवश्यक नहीं है।

विदेशी शराब की दूकानों की नीलामी तथा दूकानदारों की मांगें

20—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश से प्रदेश के विलायती शराब की दुकानों का नीलाम हाल ही में रोक दिया गया है? यदि हां, तो शराब के दुकानदारों की क्या मांगें थीं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 19 मार्च, 1976 को अन्तरिम स्थगनादेश द्वारा विदेशी मदिरा की बिक्री की थोक तथा फुटकर दुकानों का नीलाम प्रणाली के आधार पर तय किया जाना रोक दिया था किन्तु अब उक्त आदेश समाप्त हो गये ह तथा उपयुक्त दुकानों का नीलाम सम्पन्न हो चुका है।

विदेशी शराब के दुकानदारों द्वारा उच्च, न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिकाओं के आधार पर उनकी मांग थी कि उच्च न्यायालय—

(1) सभी सम्बन्धित अभिलेख मांग कर अध्यादेश संख्या 15, वर्ष 1976 तथा उ0 प्र0 आबकारी (प्रथम संशोधन) नियम, 1976 को निरस्त कर दे।
(2) उपयुक्त अध्यादेश व नियम के क्रियान्वयन को रोक दे।
(3) विदेशी मदिरा की थोक व फुटकर दुकानों का प्रस्तावित नीलाम रोक दे।
(4) निदेश जारी करे कि शासन याचियों के वाणिज्य व व्यवसाय में हस्तक्षेप न करे।
(5) अन्य आदेश/निदेश जारी करे जिसका याची पात्र हो।

गोरखपुर की तहसील फरेंदा के अन्तर्गत गांव सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा सम्बन्धी मुकदमा तथा जुर्माना

21—श्री लक्ष्मी नरायण पाण्डे (जिला गोरखपुर)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरेन्दा तहसील, जिला गोरखपुर में गत दो वर्षों में गांव समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चलाए गए और ऐसे व्यक्तियों की अलग-अलग उनकी निजी क्या जोत है और उन पर कितने जुर्माने किए गए हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

फरेन्दा तहसील जिला गोरखपुर में गत दो वर्षों में गांव सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने के संबंध में कुल 583 व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये। जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाकर जुर्माना किया गया उनकी निजी जोत तथा जुर्माने के विवरण की सूची अयक्ष महोदय के कक्ष में देखी जा सकती है।

22—श्री ऊदल—

[छठे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 12 पर स्थानान्तरित।]

23—श्री ऊदल—

[6ठे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 13 पर स्थानान्तरित।]

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1975-76) का सप्तम् प्रतिवेदन**

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से, उत्तर प्रदेश छठी विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1975–76) का यह सप्तम् प्रतिवेदन, जो श्रम विभाग के अन्तर्गत सेवायोजन तथा प्रशिक्षण से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1974–75) द्वारा देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के सन्दर्भ में, श्रम विभाग के अन्तर्गत "सेवायोजन तथा औद्योगिक प्रशिक्षण" के प्राक्कलनों को निरीक्षण करने का निश्चय किया गया था और तदनुसार विभाग से वांछित सूचनायें प्राप्त की गईं। दिनांक 11 दिसम्बर, 1974 को समिति ने अपनी बैठक में आयुक्त एवं सचिव, श्रम विभाग का साक्ष्य लिया तथा उसके प्रसंग में शासन से कुछ और अतिरिक्त सूचनायें मांगी गई। शासन से प्राप्त उत्तरों तथा समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के

---

*छापी नहीं गयी।
**छापा नहीं गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आधार पर प्रारूप प्रतिवेदन तैयार किया गया जिसे समिति ने 26 फरवरी, 1976 की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया ।

समिति ने इस प्रतिवेदन में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए संस्तुतियां भी की हैं । उदाहरणार्थ, औद्योगिक प्रशिक्षण में प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की भारी संख्या पर चिन्ता व्यक्त करते हुये यह सुझाव दिया गया है कि औद्योगिक संस्थानों की आवश्यकताओं का आकलन करके ही उनकी आवश्यकताओं के सन्दर्भ में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाय और इस प्रकार के, प्रशिक्षित व्यक्तियों को सम्बन्धित संस्थानों के शिक्षार्थियों द्वारा बनाये गये सामान, विशेषकर मूल्यवान धातुओं से निर्मित सामान का अवमूल्यन करके बेचे जाने पर भी रोष व्यक्त करते हुये यह संस्तुति की है कि सामानों का मूल्य वास्तविकता के आधार पर लगाया जाय और अनिवार्य होने पर ही उनको नीलामी द्वारा, सम्यक् प्रचार के उपरान्त, बेचा जाय । समिति द्वारा, प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षकों आदि के पद रिक्त रहने, कर्मचारियों को स्थायी न किये जाने आदि तथा कर्मचारी वर्ग में अनुसूचित जाति का नगण्य प्रतिनिधित्व होने पर भी क्षोभ व्यक्त किया गया है ।

मैं समिति की ओर से तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव, श्रम विभाग के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने समिति को आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराने तथा साक्ष्य हेतु समिति के समक्ष उपस्थित होकर वस्तु स्थिति से समिति को अवगत कराने में सहयोग प्रदान किया ।

अन्त में मैं, विधान सभा के सचिव, श्री सत्य प्रिय सिंह के प्रति भी समिति की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि जनके सुयोग्य कार्य संचालन और मार्गदर्शन के फलस्वरूप यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है ।

सदस्य विधान सभा, श्री सूबेदार प्रसाद को मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर के पत्र दिनांक 27-4-76, जो इस सचिवालय में दिनांक 4-5-76 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री सूबेदार प्रसाद, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर) को जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर के आदेश दिनांक 11-3-76 द्वारा मीसा की धारा 3 (1) (ए) (2) के अन्तर्गत जिला कारागार, मिर्जापुर में दिनांक 12-3-76 से निरुद्ध किया गया । उक्त निरुद्धि आदेश को जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर के आदेश दिनांक 21-3-76 द्वारा विखंडित किया गया और निरुद्धि आदेश दिनांक 21-3-76 द्वारा माननीय सदस्य दिनांक 21-3-76 से जिला कारागार, मिर्जापुर में निरुद्ध है । माननीय सदस्य को इससे पूर्व की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन-20 तथा 22 द्वारा प्रसारित की गई थी ।

सदन में अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु कतिपय सदस्यों के प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री जमुना प्रसाद बोस की प्रार्थना के अनुसार उनको सदन के उपवेशनों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिए देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 201 पर)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री मोहनलाल कपूर की प्रार्थना के अनुसार उनको सदन के उपवेशनों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना–पत्र के लिये देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 202 पर)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री बाबू लाल वर्मा की प्रार्थना के अनुसार उनको सदन के उपवेशनों से अनुपस्थित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना–पत्र के लिये देखिये नत्थी 'ङ' पर आगे पृष्ठ 203 पर)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री कल्याण सिंह के प्रार्थना के अनुसार उनको सदन के उपवेशनों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना –पत्र के लिये देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 204 पर ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री हरि केवल की प्रार्थना के अनुसार उनको सदन के उपवेशनों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना–पत्र के लिये देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 205 पर)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री राम अधार की प्रार्थना के अनुसार उनको सदन के उपवेशनों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना-पत्र के लिये देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 206 पर)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री झाम लाल अहिरवार की प्रार्थना के अनुसार उनको सदन के उपवेशनों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना–पत्र के लिये देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 207 पर)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री लक्ष्मण सिंह की प्रार्थना के अनुसार उनको सदन के उपवेशनों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना–पत्र के लिये देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 208 पर)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री शारदा भक्त सिंह की प्रार्थना के अनुसार उनको सदन के उपवेशनों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना–पत्र के लिये देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 209 पर)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री बीरथ राम कोहली की प्रार्थना के अनुसार उनको सदन के उपवेशनों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना–पत्र के लिये देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 210 पर)।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल की प्रार्थना के अनुसार उनको सदन के उपवेशनों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(प्रार्थना–पत्र के लिये देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 211 पर)

आयुर्वेदिक कालेज के बी० ए० एम० एस० तथा यूनानी तिब्बया कालेज के एफ० एम० बी० एस० के छात्रों के इन्डियन मेडिसिन बोर्ड द्वारा डिग्री देने की मान्यता शासन द्वारा वापस लिए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

*स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री रामायण राय)—

यू० पी० बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट, 1939 के अधीन भारतीय चिकित्सा परिषद् को आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों को सम्बद्धता प्रदान करने का अधिकार था। वर्ष 1971 में आयुर्वेदिक तथा 2 यूनानी कालेज भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध थे। शासन द्वारा अनुभव किया गया कि आयुर्वेदिक/यूनानी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन–अध्यापन के साधनों का बहुत अभाव है तथा आयुर्वेदिक/यूनानी शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है और इन संस्थाओं से निकले हुए स्नातकों को रोजगार दने की समस्या भी शासन के समक्ष अधिक मुखर होती जा रही है, अतएव यह भी निश्चय किया गया कि प्रदेश में और अधिक आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेज न खोले जायं। अतः वर्ष 1971 तक परिषद् से सम्बद्ध 8 आयुर्वेदिक/यूनानी कालेज को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया ताकि इनके शिक्षण स्तर में सुधार हो।

2— चूंकि यू० पी० बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट, 1939 के प्राविधानों के अधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों को मान्यता प्रदान करने, छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करने तथा सफल छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार भारतीय चिकित्सा परिषद् को प्राप्त था, इसलिये अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति हेतु यू० पी० बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन ऐक्ट, 1939 की प्रमुख धाराओं में भी आवश्यक संशोधन करना अपरिहार्य था। यहां पर उल्लेखनीय है कि आवश्यक संशोधन करने से पूर्व वर्ष 1974 में शासन द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् को यह परामर्श दिया गया था कि परिषद् नये आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों को सम्बद्धता न प्रदान करे, किन्तु परिषद् ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके वर्ष 1974 तक चार नये आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान कर दी, जो इस प्रकार हैं:—

(1) पं० गोविन्द वल्लभ पंत आयुर्वेदिक कालेज, हस्तिनापुर, मेरठ।

(2) भारतीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, खेतासराय, जौनपुर।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

(3) रसाद यूनानी मेडिकल कालेज, आजमगढ़ ।]
(4) मौलाना हुसेन अहमद मदनी यूनानी मेडिकल कालेज, कानपुर ।

3—उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा पूर्व प्रचलित ऐक्ट की धाराओं में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है । संशोधित अधिनियम दिनांक 20 अगस्त, 1975 के राजकीय गजट में प्रकाशित किया गया और संशोधित अधिनियम के अनुसार बोर्ड को अब किसी भी आयुर्वेदिक/यूनानी कालेज को सम्बद्धता प्रदान करने अथवा समाप्त करने, परीक्षा लेने तथा डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार समाप्त हो गया है । इस संशोधन के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों को कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्धता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये था किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन संस्थाओं द्वारा एतदर्थ कोई सक्रिय प्रयत्न नहीं किया गया है । प्रसंगवश यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश ने इन संस्थाओं को अपने अधिकार समाप्त हो जाने की सूचना, परिषद् द्वारा जारी किये गये पत्र दिनांक 23 मार्च, 1976 द्वारा दी है जबकि संशोधित अधिनियम दिनांक 20 अगस्त, 1975 से ही प्रभावी हो गया था ।

4—उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा जिन चार आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों को वर्ष 1971—74 के बीच सम्बद्धता प्रदान की गई हैं, उनका स्तर न्यून है और इन संस्थाओं में उपयुक्त भूमि, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, चिकित्सालय, शवच्छेद भवन, छात्रावास, हरबेरियम, आवश्यक यंत्र–उपकरण एवं साज–सज्जा तथा उपयुक्त, योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों का भी अभाव है । चूंकि अब बोर्ड को परीक्षा लेने का अधिकार नहीं रहा, इसलिये अब इन संस्थाओं के छात्रों द्वारा यह मांग की जा रही है कि उनकी परीक्षायें कानपुर विश्वविद्यालय से कराई जायं और उनके कालेजों को भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराया जाय अथवा उन्हें कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य कालेजों में स्थानान्तरित कराया जाय। शासन को यह मांग अभी हाल में ही प्राप्त हुई है ।

5–इस समस्या को सुलझाने के लिये कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर व अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश से भी विचार विमर्श किया गया । कुलपति महोदय ने यह आश्वासन दिया कि कानपुर विश्वविद्यालय प्रश्नगत चारों कालेजों द्वारा प्रेषित सम्बद्धता के प्रार्थना पत्रों पर जांच पैनेल गठित कराकर संस्थाओं की जांच करायेंगे और शीघ्र ही निर्णय ले लेंगे । फलस्वरूप जिन कालेजों को सम्बद्धता मिल जायेगी, उनके छात्रों की समस्या हल हो जायेगी । यदि किसी कालेज को सम्बद्धता किसी कारण नहीं मिल पायेगी तो यथा समय उनके छात्रों के बारे में शासन आवश्यकतानुसार विचार करेंगे ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा है —"यदि किसी कालेज को सम्बद्धता किसी कारण नहीं मिल पायेगी तो यथासमय उनके छात्रों के बारे में शासन आवश्यकतानुसार विचार करेंगे ।" कृपया इस संबंध में यह स्पष्ट कर दें इनमें इस साल जो लड़के पढ़ रहे हैं, उनकी परीक्षा की व्यवस्था मंत्री जी करा देंगे, जिससे उनका साल बेकार न होने पावे ?

श्री रामायण राय—

परिषद् के परीक्षा लेने का अधिकार तो पहले ही समाप्त हो गया है और कानपुर विश्वविद्यालय को अभी ये सम्बद्ध नहीं हो पाए हैं । ऐसी स्थिति में शासन के लिये यह कहां तक सम्भव है, अब न इसमें परिषद् आती है न कानपुर विश्वविद्यालय । इसके लिए हमने कल कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को कष्ट दिया था और उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र इनको सम्बद्ध कराने की प्रक्रिया आरम्भ करने को कहा है और इनके ऊपर हमारी दृष्टि है ।

श्री माता प्रसाद—

भारतीय चिकित्सा परिषद् ने अधिकार न होते हुए भी इनकी परीक्षा करायी, तो क्या इस परिषद् के विरुद्ध भी सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री रामायण राय—

मान्यवर, मैं सूचित करना चाहता हूं कि 28-1-74 को मंत्री जी ने अपने लिखित आदेश द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् से यह आग्रह किया था कि आप किसी को सम्बद्ध न करें, किसी को प्रवेश न दें। फिर भी उन लोगों ने ऐसा किया। तो हमारी सहानुभूति छात्रों के साथ अवश्य है और शासन उनके बारे में चिंतित है।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अभी जो नोट पढ़ा गया अंग्रेजी में, इंडियन मेडिसिन बोर्ड की तो आपने मान्यता खत्म कर दी और उसके स्थान पर भारतीय चिकित्सा परिषद् बनाया। तो चाहे छेदालाल कहें या सुराखी लाल इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—

मेम्बर होगा तो आप नहीं कह सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

लाखों-करोड़ों रुपया इन पर खर्च कर दिया गया है और अब आप कहते हैं कि मान्यता वापस लेंगे, तो इसका कारण मैं यह समझता हूं कि इन आयुर्वेदिक और यूनानी लड़कों की पढ़ाई और उनकी नौकरी देने की जिम्मेदारी से आप बरी रहना चाहते हैं। इतने सारे जो पढ़-लिखकर लोग निकले हैं, उनके लिये आप क्या करेंगे ? उनका स्टैन्डर्ड ऊंचा किया जाए, यह ठीक है, लेकिन मान्यता क्यों वापस ले रहे हैं ?

श्री रामायण राय—

जैसा मैंने अपने वक्तव्य में निवेदन किया, माननीय सदन ने यह कानून बना दिया और ऐसा करने का एक औचित्य था, ये भारतीय चिकित्सा परिषद् जिनको भी अप्लीकेशन देता है जैसा कि मैंने कहा है न तो अध्यापक रहते थे, न भवन होता था, न प्रयोगशाला रहती थी। मैं चाहता था कि इस चिकित्सा पद्धति का स्टैंडर्ड जो कि सवाल माननीय काशीनाथ जी का है, मैं यह बताना चाहता हूं कि गत वर्ष केवल आयुर्वेदिक स्नातक को ही रखा गया है। उनको गजटेड स्केल भी माननीय मंत्री जी की कृपा से रखी गयी है। इस चिकित्सा परिषद् का स्तर ऊंचा करने की कोशिश हम कर रहे हैं, इसमें माननीय सदस्य को हमारी मदद करनी चाहिये।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश ने इन संस्थाओं को अपना अधिकार समाप्त हो जाने की सूचना जारी की गयी, जिसे 23 मार्च, 1974 द्वारा दिया है जब कि संशोधित अधिनियम 20 अगस्त, 1975 को ही प्रभावी हो गया था। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय चिकित्सा परिषद् और शासन के झगड़े में जो छात्र हैं वे मारे जा रहे हैं। हमारे यहां का भी छात्र प्रभावित हुआ है। छात्रों का इसमें कोई दोष नहीं था। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब भारतीय चिकित्सा परिषद् ने इसकी मान्यता दे दिया है, उन छात्रों से पैसा रुपया वसूल किया गया था क्योंकि यह समझा जाता था कि उनको बैठने को मिलेगा। तो माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष जो छात्र पढ़ रहे हैं, उनको तत्काल परीक्षा दिलवा कर मान्यता दिलाने की कृपा करेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रभुनारायण)---

मान्यवर, जहां तक उन वर्तमान दायों का प्रश्न है जिनसे संबंधित आयुर्वेदिक कालेजों का संबंधीकरण भारतीय चिकित्सा परिषद् न कर लिया था, उनके संबंध में कोई भी कार्यवाही कानून कायदे के अन्दर ही सम्भव है। माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होंगी कि यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अन्दर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में हम उनको बाध्य नहीं कर सकते किसी अन्य स सम्बद्ध करने के लिये। यह अवश्य है कि हमारा इस बात का प्रयास होगा कि वह कम से कम इस कालेज के संबंध में यदि थोड़ी बहुत न्यूनता है, तो विचार कर लें, अगर बहुत बड़े अन्तर की बात होगी, तो किसी विश्वविद्यालय को इसमें दबाया नहीं जा सकता है।

श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)---

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का वक्तव्य पढ़ा गया, यह जो समस्या है इसके सम्बन्ध में मेरी एक निश्चित जानकारी है कि 20 अगस्त, 1975 के यह गजट में है और 8 महीने तक 27 मार्च, 1976 तक भारतीय चिकित्सा परिषद् जो थी उसने कोई सूचना सम्बद्ध कालेजों को नहीं दी और इसके साथ-साथ एक विशेष बात यह है कि हर साल छात्रों से भारतीय चिकित्सा परिषद् जो धनराशि लेती थी उसकी रसीद देती थी। इस साल लम्बी-लम्बी रकमें ली थी और कोई रसीद नहीं दी थी। क्या माननीय मंत्री जी यह जो मामला है, इसमें, जो दोषी हैं,उनको सजा दिलाने की कृपा करेंगे और इसकी जांच भी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रभु नारायण ---

मान्यवर, जहां तक भारतीय चिकित्सा परिषद् की बात है, आवश्यकता इस बात की पड़ी कि उनका सम्बद्धीकरण का जो अधिकार था, उस अधिकार को उनके हाथ से ले लिया जाय और इसको कानपुर विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध कर दिया जाय। जहां तक इस ऐक्ट का प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा परिषद् ने ठीक से कार्य नहीं किया जहां तक भारतीय चिकित्सा परिषद् के लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात है उसके सदस्यगण एडमिशन नहीं लेते हैं। एडमिशन आयुर्वेदिक कालेज के लोग लेते हैं जिनमें प्रिंसिपल और कमेटी के लोग होते हैं। यदि यह साबित हो जाता है कि पैसे लेकर एडमिशन किए गये हैं तो उनके पैसे वापस कराये जायेंगे। इसकी जिम्मेदारी भारतीय चिकित्सा परिषद् पर डालना उचित नहीं है।

श्री काशी नाथ मिश्र---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन कालेजों को सम्बद्ध करने का क्या क्राइटीरिया विश्वविद्यालय को दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---

क्या आप चाहते हैं कि स्वायत्त शासी जो संस्थायें हैं, उन पर दबाव डाला जाय; सरकार द्वारा ?

श्री काशी नाथ मिश्र---

सरकार ने कोई न कोई तो क्राइटीरिया अवश्य रखा होगा कि जिससे विश्वविद्यालय इन कालेजों को संबद्ध करेगा ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री प्रभुनारायण--

माननीय काशी नाथ जी विद्वान आदमी हैं। इसे सम्बद्ध करने के क्राइटीरिया को विश्वविद्यालय ही तय करेगा। सरकार और डायरेक्टरेट इसे तय नहीं करेंगे। यह सही है कि वे विद्यार्थी जिनके एडमिशन हो चुके थे, सारे परेशानी में हैं। हम कानपुर विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर को और भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष को बुलाकर बातचीत करेंगे और हमारी कोशिश यह रहेगी कि यदि इन विद्यार्थियों के लिये कोई रास्ता निकल सके तो कानपुर विश्वविद्यालय रास्ता निकाले।

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

जिन प्रिन्सिपल्स और अन्य लोगों ने एडमिशन किए थे, उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही होगी ?

श्री प्रभुनारायण —

जैसा मैंने अभी कहा यदि किसी माननीय सदस्य को शिकायत है कि पैसा लेकर एडमिशन किया गया तो वे लिख कर मुझे देंगे तो इस मामले में अवश्य कार्यवाही की जायगी।

श्री गोरे लाल शाक्य—

हो सकता है कि पैसा न लिया हो, लेकिन फिर भी एडमिशन क्यों हुए शासन के आदेश के विरुद्ध ?

श्री अध्यक्ष—

शासन ने थोड़े ही उन्हें प्रवेश दिया ?

श्री गोरे लाल शाक्य—

यद्यपि शासन के आदेश नहीं थे, लेकिन फिर भी एडमिशन कर लिए गये, ऐसा क्यों ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका अनुमान है जिस पर आधारित आपका प्रश्न है। वे कह रहे हैं कि अगर कोई बात मालूम होगी तो वे अवश्य कार्यवाही करेंगे ?

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

आपने बताया कि परिषद् को यह जानकारी थी कि उनको सम्बद्धता देने का अधिकार नहीं है। तो क्या इस परिषद् के अधिकारियों को कोई दंड दिया जायगा ?

श्री प्रभु नारायण—

यह सही है कि शासन का परिषद् पर अधिकार है लेकिन वह आटोनोमस तरीके से कार्य करती है। शासन ने 1974 में यह राय दी थी कि वे तब तक सम्बद्धता न करें जब तक उनका स्टैन्डर्ड ठीक न हो जाय। इसके बावजूद भी 3–4 अफीलिएशन्स कर लिए। जहां तक परिषद् का सम्बद्ध है उसमें नौनऔफिशियल्स लोग हैं, चेयरमैन हैं, अतः इस मामले में निश्चय करने में शासन को सोच-विचार करना पड़ेगा।

1976-77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 45 सामुदायिक विकास, अनुदान संख्या 66—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण तथा अनुदान संख्या 77, सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष—

आज की मदें 2 मंत्रियों से सम्बन्धित हैं। तो 2 बजे तक तो ग्रामों के विकास वाला मामला होगा और उसके बाद परिवहन और राज्य सम्पत्ति का। मेरा विचार है कि आप इससे सहमत होंगे ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

जी हां।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45—सामुदायिक विकास

[श्री रामजी लाल सहायक]
के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,86,96,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,12,94,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77–सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,49,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, भारतवर्ष गांवों में बसा हुआ है और यहां की 80 फीसदी जनसंख्या गांवों में रहती है। इसलिये यह जरूरी है कि ग्राम्य विकास किया जाय। महात्मा गांधी के शब्दों में ग्राम्य स्वराज्य की संकल्पना और उसी को आधार मान करके ग्राम्य विकास जैसे विभागों का संचालन किया गया। लोकतंत्र भारत की पद्धति मानी गयी और पंचायतीराज उसकी रीढ़ है, उसके मूल में है। पंचायतीराज तीन कक्ष वाला है, पंचायतें, क्षेत्र–समितियां और जिला परिषदें। जिला परिषदें, जिले की व्यवस्था अपने अधिनियम के अनुसार अपने अधिकारों से करती हैं। क्षेत्र समितियां विकास खंडों के माध्यम से विकास के कार्यों में लगी हुई हैं और कार्य करती हैं।

(इस समय 12 बजकर 23 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बालकृष्ण सनवाल पीठासीन हुए।)

मान्यवर, एक अजीब सी बात है और इसलिये भी निवेदन करता हूं कि ग्राम्य विकास की ओर हमें अधिक ध्यान देना होगा। कितने ही ब्लाकों के विद्यालय हैं, जिनमें अध्यापिकाओं की कमी पायी जाती है और जब कभी कोशिश की गयी कि उनका स्थानान्तरण उन ग्रामीण कन्या पाठशालाओं में किया जाय तो उन्होंने मजबूरी जाहिर की और उसका एक ही कारण था कि उन्होंने महसूस किया कि गांव में उनकी सुरक्षा का कोई इन्तजाम नहीं है। यद्यपि ऐसी घटनाएं आयी नहीं, लेकिन फिर भी संकोच होता है जाने में। यह भी जानकारी में है कि बहुत से हमारे औषधालय ऐसे हैं जिनमें डाक्टर्स नहीं जाते। उन्हें विशेष भत्ता भी देने की कोशिश की लेकिन फिर भी कमी रही। इन बातों से जाहिर है कि हमें गांवों में जाना होगा और गांव विकास को सर्वाधिक रूप में मान करके करना होगा। कुछ लोगों का ऐसा खयाल है कि ग्राम्य विकास हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। गांव पंचायतों ने बहुत कुछ काम किया है विकास का और मैं माननीय सदन की सेवा में निवेदन करना चाहूंगा कि संक्षेप में गांव पंचायतों की संख्या 72,843 है। विकास खंडों की संख्या 875। गांव पंचायतों में न्याय पंचायतें हैं जो वहां पर होने वाले फसादों का निपटारा करती हैं। ऐसी न्याय पंचायतों की संख्या 8,791। उनमें जो मुकदमें दायर हुये मार्च, 1976 तक उनकी संख्या 45,015। जिन मुकदमों को आपस में सुलह द्वारा निपटाया गया उनकी संख्या 21,723, कानूनी कार्यवाही के द्वारा 8,160, समझौता वगैरह से 4,970। जो निगरानियां दायर हुई उनकी संख्या 236। निगरानियों में न्याय पंचायतों के निर्णय मान्य ठहराये गये उनकी संख्या 41 और जिनमें न्याय पंचायतों के फैसले बदले गये उनकी सख्या 11। इस दृष्टि से हम देखें तो न्याय पंचायतों का बड़ा भारी योगदान है फसादों का निपटारा करके शान्ति व्यवस्था कायम करने में।

भौतिक रूप में गांव पंचायतों ने जो कार्य किये हैं उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। गांव पंचायतों द्वारा पानी पीने के लिये बनाये गये कुंये 325। यातायात की सुविधा के लिये बनाये गये पुलों की संख्या 4। यातायात की सुविधा के लिये बनायी गयी पुलियों की संख्या 462। प्राथमिक शिक्षा के लिये पाठशाला भवनों का निर्माण 27। यातायात के लिये कच्ची सड़कों का निर्माण 187 किलोमीटर। सुधरे हुये शौचालयों का गांव पंचायत द्वारा निर्माण 2,219। गांव पंचायत द्वारा लगाये गये पम्पिंग सेट्स की संख्या 1,780। ग्रामीण क्षेत्र में गलियों में खरंजा बिछाने का कार्य 75 किलोमीटर। कच्ची तथा पक्की सड़कों का निर्माण 94 किलोमीटर। नवीन गूलों का निर्माण 3,404 किलोमीटर। पुरानी गूलों की मरम्मत 3272 किलोमीटर। गांव पंचायतों द्वारा लगाये गये वृक्ष 31,475। कच्ची सड़कों की लम्बाई जो गांव पंचायतों द्वारा बनायी गयीं 1361 किलोमीटर। इस प्रकार एक माने में करोड़ों रुपये का काम गांव पंचायतों के माध्यम से हुआ है। फिर यह कहना कि गांव पंचायतें निष्क्रिय हैं, कुछ काम नहीं कर रही हैं, मैं समझता हूं सही नहीं है। ग्रामीण सुरक्षा सभाओं की संख्या 4,087 है। इन पर गांव की सुरक्षा का भार है। सुरक्षा समितियों की संख्या 227। इतना ही नहीं, गांव पंचायतों ने गांव सभाओं के लिये जो काम किये हैं उनमें ट्यूबवेल का निर्माण 378, पम्पिंग सेट्स 941, रहट 4, सिंचाई के कूप 59, बोरिंग किये गये कुंयें 102। पंचायत पदाधिकारियों की प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये गये 3,774। जमीन बांटी गयी। जहां गलती हुई वहां गांव प्रधानों ने जिला मैजिस्ट्रेटों को जो रिपोर्ट दी है, उसकी संख्या 3,461। ऐसे अच्छे काम करने वाली गांव सभाओं को प्रत्येक को 3 हजार रुपये, जो दूसरे नम्बर की हैं उनको 1 हजार रुपये और जो तीसरे नम्बर की हैं उनको 400 रुपये प्रति गांव सभा के हिसाब से इनाम दिये जाने की योजना रही है और ऐसी 165 गांव सभाओं को इनाम दिया गया है। जहां अनियमिततायें पायी गयीं गांव पंचायतों में उनके सम्बन्ध में जो कर्मचारी और पदाधिकारी पकड़े गये उनकी संख्या 197 है जिन पर मुकदमें चले और हटाये गये।

इन सब बातों से जाहिर है कि हमारे यहां की पंचायतें सजग हैं और अच्छा काम कर रही हैं। गांवों में बेरोजगारी न रहे इसके लिये पंचायत उद्योग की स्थापना की गयी। केन्द्र तथा गांव पंचायतों ने मिल कर सहकारिता के आधार पर ग्रामीण उद्योगों का संचालन किया है। इससे काफी बेरोजगारी दूर हुई है। उद्योगों में 31-3-75 तक 287 पंचायत उद्योग स्थापित किये गये। सन् 76 तक 66 और 1975-76 में एक लाख से अधिक उत्पादन करने वाले उद्योगों की संख्या 31 है। इन उद्योगों में लगे हुये लोगों की संख्या 1,500 है। इनके द्वारा कुल उत्पादन 3,95,69,800 रुपये का हुआ है। इनके द्वारा खाद तथा सीमेन्ट आदि की बिक्री जो हुई है वह 3,99,53,366 रुपये की है। पंचायत उद्योगों द्वारा जो लाभ हुआ है वह है 18,55,256 रुपये। हमारी चेष्टा है कि गांव-गांव में पंचायत उद्योग स्थापित किये जायं ताकि लोगों को रोजगार मिले और बेरोजगारी की समस्या हल हो।

इसके अलावा गांव पंचायतों ने कृषि संबंधी उत्पादन कार्य भी किये हैं। जनशक्ति योजना के माध्यम से गूल निर्माण तथा जल निकासी कार्य-क्रम के अन्तर्गत कई जिलों में काम किया गया है। इस कार्य के लिये निर्धारित अग्रग्रामी प्रोजेक्टों की संख्या 20 है। परियोजना से लाभान्वित होने वाले विकास खंडों की संख्या 14 हैं। परियोजना से लाभान्वित होने वाले गांव की संख्या 87 है। नाले की लम्बाई जिसकी खुदाई की जाने वाली है वह 57.7 कि0 मी0 है। भूमि का परिमाप जो कृषि योग्य बनाई जा सकेगी 8,175 एकड़ है। इस परियोजना से प्रति वर्ष अनाज उत्पादन का लक्ष्य 1,32,00,000 रुपये है।

[श्री रामजी लाल सहायक]

(इस समय 12 बज कर 33 मिनट पर उपाध्यक्ष ; कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए ।)

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में गांव पंचायतों द्वारा पानी पीने के लिये 325 कुंवे बनाये गये हैं। यातायात की सुविधा के लिये 4 पुल और 462 पुलियां भी बनायी गयी हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिये 20 पाठशाला भवनों का निर्माण किया गया है। 187–248 किलोमीटर कच्ची सड़कों का निर्माण किया गया हैं। 2,215 सुधरे हुये शौचालय लगवाये गये हैं। 1,680 हैन्डपम्पों को लगाया गया। 75 कि0मी0 ग्रामीण क्षेत्रों में गलियों की सफाई के लिये खड़न्जा बिछाने का कार्य किया गया। इन सब कामों के अलावा और बहुत से काम ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये हैं। न्याय पंचायतों ने भी बहुत से काम किये हैं।

इसके अलावा मान्यवर, 200 पंचायत सेवकों के प्रशिक्षण के लिये भी प्राविधान किया गया है। 280 पंचायत उद्योग प्रबन्धकों को प्रशिक्षण देने की भी योजना है। 5,910 पंचायत राज पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भी धनराशि रखी गयी है। क्षेत्र समिति तथा जिला परिषदों के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। पंचायती राज्य वित्त, निगम के अंशकों के क्रय हेतु प्रस्तावित प्राविधान है। पंचायत उद्योगों का फाइनेन्स करने के लिए वित्त निगम बना है। रोजगार के लिए टेक्निकल सहायता देने का भी प्राविधान है। यहां राज्य मुख्यालय पर विशाल पंचायत भवन के निर्माण के लिए प्राविधान है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए पंचायती राज सम्मेलन बुलाने का भी प्राविधान है। प्रत्येक विकास खंड में एक-एक पंचायत उद्योग खोलने का प्राविधान है। उनकी संख्या 875 है। प्रत्येक न्याय पंचायत व गांव को केन्द्र पंचायत जहां पर कि पंचायत घर नहीं हैं वहां पर भी पंचायत घरों के निर्माण का प्राविधान है। पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शत-प्रतिशत वसूली कराने का भी अभियान किया जाएगा। प्रत्येक न्याय पंचायत के मुकदमों का निर्णय शीघ्र कराए जाने का भी अभियान होगा। इस तरह से भावी योजना में ग्राम पंचायतों के माध्यम से बहुत से काम कराए जाते हैं।

मान्यवर, कृषि उत्पादन बढ़ा है। गांवों में कृषि की उपज बढ़ाने की हमारी भी योजना है। यद्यपि हमारा कृषि विभाग अलग से कृषि के उत्पादन के आंकड़े देगा लेकिन हमारी जो लघु सिंचाई योजना है वह किसानों को राहत देने के लिए है। हमारे विभाग नें इस प्रकार की व्यवस्था की है कि भूमि विकास बैंक तथा अन्य 8 व्यावसायिक बैंकों से छोटे किसानों को निजी सिंचाई व्यवस्था के लिये ऋण दिलाया जाय। 5 एकड़ या उससे कम खेत वाले लघु कृषकों की बोरिंग निःशुल्क की जाती है। यदि किसान निजी साधन से बोरिंग करावे तो उसे अनुदान दिया जाता है—2 रुपए की फुट। पर्वतीय क्षेत्र में गूल और डिग्गी बनाने के लिए 50 परसेंट अनुदान दिया जाता है। ऋण भी सरकार की तरफ से अलग से देते हैं। यदि किसान कोई बोरिंग करावे और वह असफल हो जाय तो उसके लिए भी उसे ढाई हजार रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। बन्धियों के निर्माण के लिए 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। गांव सभाओं को सिंचाई के कामों के लिए 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अन्य लघु सिंचाई के लिए पर्वतों में 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

पिछले वर्ष के कुछ आंकड़े कि कितना लक्ष्य था और कितनी उपलिब्ध हुई वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो इस प्रकार है :—

सिंचाई के कुओं का लक्ष्य था 24,080 और बने 17,450, बोरिंग 85,966 और बोरिंग हुई 89,300 यानी अधिक हुई। रहट 14,010 लक्ष्य था और लगा 9,675 पम्पिंग सेट 27,405 लक्ष्य था और लगा 27,415, निजी नलकूप का लक्ष्य था 50,500

और लगा 64,628। बन्धियां बनाने का लक्ष्य था 23 हजार और बनी, 41,139, गूल एवं हौज बनाने का लक्ष्य था 1,500 लेकिन 1,122 ही बन पाए। इसी प्रकार सिंचन क्षमता का सृजन का लक्ष्य था 6.19 हेक्टर लेकिन वह हो गया 6.89 हैक्टर। इससे जाहिर है कि लक्ष्य जितना था केवल उतना ही पूरा नहीं हुआ बल्कि कहीं-कहीं लक्ष्य से ज्यादा भी हो गया। सिंचन भूमि से जब कृषि का उत्पादन बढ़ता है तो इसका प्रभाव हर चीज पर पड़ता है। ग्राम विकास के अन्तर्गत एक भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का काम भी है, वह कुओं में परीक्षण करता है और वह बतलाता है कि प्रदेश के किस क्षेत्र में किस स्थल पर पानी का स्तर नीचा जा रहा है और कहां पर ऊपर आ रहा है। इस बात से लाभ यह होता है कि जहां नलकूप अथवा पम्पिंग सेट लगाने आवश्यक होते हैं तो उनको एक दिशा मिलती है। जहां गांवों में बहुत नीचे चला जाता है तो वहां कह दिया जाता है कि यहां पानी का स्तर नीचे चला गया है यहां पर पम्पिंग सेट या नलकूप लगाना उचित नहीं होगा और वह क्षेत्र वैसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर वहां पर दूसरे पानी से काम लिया जाता है, बन्धियां आदि बना करके। इस विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है और कई ऐसे स्थलों को बताया है कि अगर वहां पर नलकूप या पम्पिंग सेट लगाए जाते तो नुकसान होता।

युवक कल्याण का काम भी इस विभाग द्वारा किया जाता है। हमारे प्रादेशिक विकास दल के सदस्यों की संख्या 44 हजार से अधिक है। 174 श्रमदान शिविर चलाए गए, जिसमें विकास दल की तरफ से 5382 युवकों ने भाग लिया और बहुत काम किया। विकास दल के युवकों से श्रमदान भी कराया जाता है और उसमें संयोजक मार्गों का निर्माण, लिंक रोड्स का निर्माण 1975-76 में 1914 किलो मीटर किया गया है। कुछ मार्गों की मरम्मत का काम भी किया गया है। 1729 किलो मीटर मरम्मत का काम किया गया है। 1317 किलो मीटर गूलों का निर्माण किया गया है। जल-मग्न क्षेत्रों में नाले खोद करके, पानी निकाल कर अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि निकालने की 10 योजनायें हैं जहां पर यह युवक काम कर रहे हैं। प्रादेशिक विकास दल, युवक मंगल दल द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया है और 8.62 लाख वृक्ष लगाए गए हैं। आर्थिक विकास की योजनाओं के अन्तर्गत मत्स्य पालन तथा कुक्कुट पालन में इन लोगों ने भाग लिया है। इसके अलावा मेलों में सेवा कार्य किया है। व्यायाम शालायें इन्होंने स्थापित की हैं। जिनमें युवकों को व्यायाम का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा प्रशिक्षण 1520 युवक ले चुके हैं और आगे 1600 युवकों को प्रशिक्षण देने की योजना है। खेल कूद प्रतियोगितायें भी की जाती हैं और इन युवकों ने भारतीय स्तर के खेलो में भी भाग लिया है, बताया गया कि इनको इनाम भी मिला है। खेलों में 80 हजार लोगों ने भाग लिया है और आगे 87.5 हजार लोग भाग लेंगे। शारीरिक दक्षता अभियान इसमें 70 हजार लोगों ने भाग लिया है और आगे भी इतने युवकों के भाग लेने का लक्ष्य रखा गया है। तैराकी भी सिखायी जाती है ताकि बाढ़ आदि आने पर दूसरों की ये लोग रक्षा कर सकें। ऐसे 240 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है और 300 युवकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। मत्स्य पालन तथा कुक्कुट पालन के सम्बन्ध में 222 युवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और 200 युवकों को आगे प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, इसको बल देने के लिए 6 हजार युवकों की रैली हुयी है और इसी प्रकार की गोष्ठियां और रैलियां किए जाने का प्राविधान है। जन-शक्ति निदेशालय द्वारा भी ग्रामीण अंचलों से युवकों को इकट्ठा करके वहां काम करने का कार्य किया गया है। इन लोगों ने 4 करोड़ 13 लाख 71 हजार रुपयों का कार्य सम्पन्न किया है। तो इस

[श्री राम जी लाल सहायक]

प्रकार से हमारे इस प्रादेशिक विकास दल के युवकों ने बड़े ही रचनात्मक कार्य किए हैं और इन कार्यों में लगे हैं और कार्य कर रहे हैं।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग हमारे भू-भाग की एक शाखा है जिसे अंग्रेजी में रूरल इन्जीनियरिंग कहते हैं। इसके द्वारा विद्यालयों के भवन आदि बनाए जाते हैं, ब्लाकों की बिल्डिंग भी बनायी जाती है। सरकार की और इमारतों को बनाने का कार्य भी किया जाता है। इसके लिए एक प्रशिक्षण हमारे प्रदेश में हो रहा है। हमने और भी संस्थाओं द्वारा प्राइमरी स्कूलों की इमारतों को बनवाया है। इसमें यह देखा गया कि रुपया तो काफी लगा पर काम असंतोषजनक ही हुआ। तो फिर तय किया गया कि एक इन्जीनियरिंग विभाग खोला जाय, इसलिए यह विभाग खोला गया। इसके माध्यम से बहुत काम किया गया है। इस वक्त 12 स्टेडियमों के बनाने का काम चल रहा है। 13,145 गांवों को ऊंचा किया जा रहा है, इसके माध्यम से 12.67 करोड़ रुपए का कार्य किया जा चुका है और 1976 में 5.6 करोड़ रुपए का काम यह विभाग पूरा करेगा।

मान्यवर, जहां पानी नहीं दे पा रहे हैं, वहां पेयजल योजना अनुसूचित जातियों के लिए है, पहले इस काम को हरिजन कल्याण विभाग ने किया, लेकिन 1973 से ग्राम्य विकास विभाग को मिला है। 1975-76 में इन्होंने 36 कुयें बनाये जबकि लक्ष्य 579 का है। पर्वतीय क्षेत्र में 21 कुय बने और लक्ष्य 30 का था। 1976-77 के लिए पेय जल योजना में 78 लाख का प्राविधान किया गया है और पहाड़ी क्षेत्र में 3 लाख रुपए का प्राविधान है।

श्रीमन्, एक योजना प्रशिक्षण की है। 21 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र हैं उनमें ग्राम सेवकों को, पंचायत सेवकों को और किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस बार यह भी तय किया गया है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाय। इसलिए इस बार 1400 सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का प्राविधान है। 1,70,000 कृषकों तथा 560 जनप्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण देने की योजना है। श्रीमन्, एक विभाग है जो इस बात पर अन्वेषण कर रहा है कि कुछ नए किस्म के संयंत्र गांवों के लिए आ रहे हैं उनमें किस तरह की व्यवस्था हो कि वह पूरे उतर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार यह कोशिश की गयी हरिजन कल्याण विभाग की ओर से कि हरिजनों को पहले मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जता था, लेकिन उसमें शिकायतें होती थी। फिर यह तय किया गया कि हरिजनों की बस्तियां बसाई जायं और उन्हें सुविधायें दी जायं लेकिन वह भी न चल सका। अब इस विभाग ने इस दिशा में खोज की है और इलाहाबाद में फूलपुर क्षेत्र लिया है वहां यह शोध चल रहा है। एक हरिजन परिवार लिया है और उसको मकान बनाने तथा पानी की सुविधायें दी हैं। उनको रोजगार देने की भी व्यवस्था की है। यह प्रशिक्षण चल रहा है कि किन-किन परिस्थितियों में कितनी व्यवस्था करने पर हम सफल हो सकते हैं कि हरिजन आवास व्यवस्था कर सकें और वह वहां रह सकें। यह एक अच्छा कार्य है।

इस प्रकार मान्यवर, ग्राम्य विकास की दिशा में तेजी से काम हो रहा है यह व्यवस्था की है। कुछ लोगों की शिकायत रही है कि ग्राम सेवक या पंचायत सेवक गांवों में आते-जाते नहीं हैं और काम नहीं करते। इसलिए अब आदेश हो गए हैं कि उनका एक जाब चार्ट बना दिया गया है कि विकास खंडों के स्तर पर जो भी कर्मचारी या अधिकारी हैं उन सब के लिए जाब चार्ट बना है और कह दिया गया है कि जो भी ग्राम सेवक जिस तिथि में जिस गांव में जाए वह चार्ट पर लिखा हो। ग्राम सेवक जिस गांव में जाएगा वह वहां के प्रधान से लिखा ले अन्यथा वह बैठकर रिपोर्ट बना सकता है। इससे यह पता रहेगा कि ग्राम सेवक जहां गए वहां क्या-क्या काम किया है। यह विकास खंड अधिकारी और सहायक विकास

खंड अधिकारी के लिए भी है। उनको न सिर्फ लेखा जोखा देना होगा बल्कि बोर्ड पर भी देना होगा ताकि मालूम हो सके कि वह काम कर रहे हैं कि नहीं।

हमने यह भी किया है कि जिस स्तर के जो कर्मचारी और अधिकारी स्थायी नहीं थे उनके लिए आदेश दिए हैं कि उनका स्थायीकरण कर दिया जाय और एक योजना है कि श्रमदान के द्वारा 4 हजार मीटर लम्बी गूलों का निर्माण हो। निर्माण शुरू हो गया है और तीन महीने में इसको पूरा करने का विचार है। इसी प्रकार एक पुरस्कार योजना भी बना रहे हैं। हर जिले में तीन, चार व्यक्तियों की एक समिति होगी। जो जिले में काम करने वाले हैं उनका लेखा-जोखा होगा और उनमें से अच्छे काम करने वालों को छांटा जाएगा। उसके बाद प्रदेश के स्तर पर एक समिति होगी और जो नाम जिले से आयेंगे। उनमें से सबसे अच्छा काम करने वालों को छांटा जाएगा। उनको लखनऊ में बुलाकर सम्मानित किया जायगा और पुरस्कार दिया जायगा। इस बात की बराबर शिकायत रही है कि गांव पंचायतों की स्थिति अच्छी नहीं है। इधर हमने विचार किया है कि आय के स्रोत बढ़ाएं जाएं। यह विचार कर रहे हैं कि भू-राजस्व का कुछ हिस्सा गांव पंचायतों को दिया जा सके। यह प्रश्न विचाराधीन है और इस पर निर्णय होना है।

मान्यवर, ऐसा होता है कि प्रधान चुना गया लेकिन उनको पंचायत अधिनियम की जानकारी नहीं होती है और कभी-कभी वह बहुत मुश्किल में फंस जाता है और परेशानी उठानी पड़ती है। यह तय किया गया है कि हर विकास खंड पर तीन-चार या पांच दिन का एक शिविर हो, जिसमें प्रधानों को बुलाया जाय और पंचायत अधिनियम की जानकारी करायी जाय। इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र समिति और जिला परिषद् का विकास कर का हिस्सा था वह भेज दिया गया है। जो पुल और पुलिया उनके अन्तर्गत आते हैं, उनके निर्माण करने का भी प्राविधान है। यह भी व्यवस्था की है कि हर जिले में एक आदर्श गांव बनावें। वहां पर आने-जाने का रास्ता हो, हर निवासी का अपना घर हो, नालियां ठीक हों, विद्युतीकरण हो, बड़ा गांव है तो डाकखाना हो, सहकारिता के आधार पर एक दुकान हो, बच्चों के लिए स्कूल हो और खेलने के लिए मैदान हो। वहां पर सुरक्षा परिषद् निर्मित हो, जिससे गांव में न जाने की जो प्रवृत्ति कर्मचारियों और अधिकारियों में आज पायी जाती है वह समाप्त हो। ग्राम विकास की दिशा में जो कुछ पीछे किया गया है, वह मैंने बताया और भावी योजना भी बतायी। मेरी अपील है कि माननीय सदस्य अपने सुझाव देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना अनुदान पेश करता हूं।

*श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45—के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66—के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77—के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सजीवन]

अभी जो सामुदायिक विकास मन्त्री जी ने आगे की योजना है, उसके विषय में बताया उससे कोई बहुत आशाजनक स्थिति का आभास नहीं होता है। गांव पंचायतों को सरकार ने इस मंशा से बनाया था कि गांवों का विकास हो और गांव के गरीबों का उत्थान हो और गांव के हरिजन तथा पिछड़े वर्गों की तरक्की हो। उस समय गांव सभाओं को इतने अधिकार दिए गए थे कि करोड़ों अरबों रुपयों की गांव सभा की सम्पत्ति का मालिक बनाया गया था, लेकिन कार्यप्रणाली से जिस तरह से गांव समाज की भूमि का दुरुपयोग हुआ उसमें शासन को लगातार सूचनायें मिलने लगीं और शासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। यहां तक कि स्थिति पहुंच गई कि शासन ने यह अनुभव किया कि बिना उसके हस्तक्षेप के जमीनों का बंटवारा सही ढंग से नहीं हो सकता है। गांव पंचायतें जिस भावना और उद्देश्य से बनाई गईं थीं वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। मन्त्री जी ने भी जो भाषण सदन में दिया, उससे भी इस माननीय सदन में मायूसी छाई रही। इस विभाग से सम्बन्धित कुछ संस्थायें हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहता हूं। एक आपके विभाग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के आर्थिक विकास के लिए 1973 में पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना हुई थी। उस वित्तीय निगम ने आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जो कोई ठोस काम कर सके। उसको ऋण देने का काम दिया गया है, लेकिन उसकी प्रणाली इतनी दोषपूर्ण है जिसमें सुधार करने की नितान्त आवश्यकता है। उसका कार्य भी बहुत ज्यादा असन्तोष-जनक है।

दूसरी बात यह है कि आपके यहां एक संस्था है सामान्य लाभ निधि। सभी गांव पंचायतों से 5, 5 रुपया उसमें लिया जाता है और वह लखनऊ में इकट्ठा होता है। इस धनराशि से पंचायत सम्मेलन किया जाता है। यह सम्मेलन लखनऊ में होता है। कुछ गिने-चुने लोगों को बुला लिया जाता है और उसमें धन का बहुत अधिक दुरुपयोग किया जाता है। देखने की यह बात है कि उनका यह काम सही ढंग से चले।

अब गांव सभाओं के बारें में भी निवेदन कर दूं, पूरे प्रदेश के लिए। गांव सभाओं को चूंकि पहले बहुत काफी अधिकार दिए गए थे और इससे उनका आर्थिक लाभ भी काफी हुआ और उनके खातों में कई-कई सालों से लाखों रुपए जमा हैं और गांव सभायें व्यापक पैमाने पर अब इस धन का उपयोग नहीं कर पाती हैं। बिना जिलाधिकारी या नियोजन अधिकारी की स्वीकृति के वह रुपया नहीं निकाल सकते हैं। जिलाधिकारी और नियोजन अधिकारी गांव सभाओं को वह रुपया निकालने की तब अनुमति देते हैं जब उनका अपना मतलब हल होता है। तो इसको देखना चाहिए और गांव पंचायतों के साधन बढ़ाने चाहिए लेकिन आज जो साधन मौजूद हैं भी, उन्हें भी इस्तेमाल करने में अड़ंगा लगाते हैं।

विकास खंडों की जैसी कार्यप्रणाली हो रही है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। बड़ी भारी पलटन उसमें आपके कर्मचारियों की है लेकिन काम नदारद। कुछ आंकड़े भी आपने उसके सम्बन्ध में पेश किए हैं कि इतना-इतना निर्माण हुआ है। यह तो पूरे प्रदेश में थोड़ा बहुत हो ही जाता है लेकिन जो अपेक्षा की जाती थी, जिस लिए विकास खंडों की स्थापना हुई थी, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। तो उसकी कार्यप्रणाली में मौलिक रूप से परिवर्तन करने के बारे में आपको सोचना चाहिए कि कैसे इन कर्मचारियों से काम लिया जाय। ए0 डी0 ओ0, बी0 डी0 ओ0 आपके और बहुत से कर्मचारी बैठे रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं जो कि प्रशासन के लिए एक सिर दर्द बना रहता है। आपने योजना भी इस हेतु बनायी है कि गूल निर्माण आदि का कार्य इनको दिया जाय। पंचायतों के जरिए से वे इस काम को करायेंगे और विकास अधिकारियों का सहयोग उसमें होगा। यह काम अच्छा चल सकता है। उसमें आपकी पंचायतों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग लेना चाहिए। यदि विकास अधिकारी चाहें कि उसकी अफसरी रुआब से सारा काम हो जाएगा, तो वह नहीं हो सकता है। ग्रामीणों को समझा-बुझा कर यह काम लिया जा सकता है और तभी उससे

लाभ हो सकता है। मन्त्रीगणों के बड़े-बड़े भाषण चार सूत्री कार्यक्रम के बारे में हुआ करते हैं। तो यह काम भी आप उनको ही सौंप सकते हैं।

वृक्षारोपण का काम आप उन्हें दे सकते हैं और उनके जरिए से यह काम सुधारा जा सकता है। गांवों के किनारे पेड़ वहां लगवाये जायं। यह काम वन विभाग आरपी0 डब्ल्यू0 डी0 द्वारा न लिया जाय बल्कि पंचायतों के द्वारा कराया जाय। साथ ही उन पेड़ों के जो फल हों—आम या महुआ—उनका लाभ भी उन्हीं को उठाने दें, तभी सही माने में वे सेवा कर सकेंगे और साथ ही उससे वृक्षों की देख-रेख भी हो सकेगी। तो इस तरह से यह काम आप उनसे करायें।

जिला परिषदों की कार्यप्रणाली के बारे में आपने कुछ अधिकार इधर उन्हें दिए हैं और काफी टैक्स वगैरह भी जिला परिषदें लगा रही हैं। देहातों के जो खपड़े हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। हर घर में देहात में खपड़े लगते हैं और निजी काम के लिए वे इसे बनाते हैं। इस पर भी आप टैक्स लगायेंगे। इस टैक्स वसूली में कितना खर्च आयेगा? कर्मचारी रखने पड़ेंगे। इस पद्धति का विरोध होगा और आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये यह चीज न्यायापूर्ण नहीं है। अध्यक्ष, जिला परिषदों के बारे में कह देना चाहता हूं कि वे यह उम्मीद कर रहे हैं कि उनको प्रशासकीय अधिकार दिए जायं। शिक्षा मन्त्री जी सुन लें, उनसे ज्यादा मतलब है। जिला परिषद् अध्यक्ष चाहते हैं कि ज्यादा प्रशासनिक अधिकार उनको शिक्षा के बारे में दे दें। शिक्षा मन्त्री जी संभवत: चाहते नहीं हैं कि जिला परिषद् अध्यक्षों को यह अधिकार दिए जायं। वह आपस में झगड़ते भी हैं। मेरी जानकारी है कि जिला परिषद् अध्यक्षों ने एक संगठन के जरिए माननीय मुख्य मन्त्री जी को नोटिस दिया है कि यदि अधिकार नहीं दिए जायेंगे तो हम बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। मैं नहीं जानता कि उसकी इक्जेक्ट वर्डिंग क्या है लेकिन मंशा यही है। अगर वह प्रशासनिक अधिकार मांगते हैं तो मेरा निवेदन है कि विकास में तो उनको जरूर आप लगायें, लेकिन प्रशासन के कार्य में यह अधिकार न दें। उससे कोलेशन पैदा होगे। वहां पर गुटबन्दी होंगी, आपस में वैमनस्य होगा और शिक्षा प्रणाली दूषित होगी। इस सम्बन्ध में मेरा पूरा सरकार से निवेदन है वह इस पर ध्यान दें। विभाग तो यह सामुदायिक विकास मन्त्री जी का है, लेकिन इसमें सारी सरकार को सोचना होगा।

विधायकों को आप जिला परिषद् अध्यक्षों के नीचे करते जा रहे हैं। सब कमेटियों के अध्यक्ष आप जिला परिषदों के अध्यक्षों को बना रहे हैं। हरिजन कमेटी बनी उसमें जिला परिषद् के अध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया, पी0 डब्ल्यू0 डी0 की कमेटी बनाई, उसका अध्यक्ष जिला परिषद् के अध्यक्ष को बनाया। सिंचाई की कमेटी बनाई उसमें भी वही। आखिर विधायक की स्थिति क्या होगी? जो जनता का सीधा प्रतिनिधि है। वह क्या करें उसके सामने वह कैसे अपनी बात को रखें। अध्यक्ष को जैसे चुना जाता है वह आप जानते हैं, उसका इन्डायरेक्ट इलेक्शन होता है और उसको आप मजबूत बनाते जा रहे हैं और विधायक जो है वह डायरेक्ट चुन कर आते हैं, यह सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस पर आप चोट कर रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि इस पर आप विचार करें। यह अकेले मन्त्री जी का सवाल नहीं है। वहां पर आपको बैठाना है तो विधायकों को बैठाइए, एम0 पीज0 को बैठाइए, जिससे कि जनता को एहसास हो कि जनता के प्रतिनिधि का महत्व है। आप इन्डायरेक्ट चुने हुए लोगों को लगातार कमेटियों में बैठाते जा रहे हैं इससे विधायकों में विरोध है। माननीय मुख्य मन्त्री को करीब 150 विधायकों ने जिसमें कांग्रेस के विधायक भी हैं, लिख कर दिया है कि आप अध्यक्षों को इतना बलशाली न बनाइए। जनता में इससे मायूसी है।

[श्री राम सजीवन]

पेय जल की गांव में समस्या है। हरिजन बस्तियों में पेयजल की समस्या को हल करने के लिए आपके विभाग की ओर से अनुदान दिया जाता है। इसी तरह से हरिजन बस्तियों के लिए भी आपके विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है, वह इतना थोड़ा होता है कि उसमें काम पूरा नहीं हो पाता है। सभी लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप अनुदान दें। हरिजन बस्तियों में पेय जल के लिए कुयें बनाए जाते ह अभी तक उसका ठीक से प्रयोग नहीं होता है। बहुत सा पैसा वैसे ही बरबाद हो जाता है। इसलिए ज्यादा के ज्यादा पैसा देकर पेयजल की समस्या को हल किया जाना चाहिए।

जो हरिजन बस्तियां आपके विभाग द्वारा बनी हैं उनके लिए बहुत कम पैसा दिया गया। जिससे वह बस्तियां कमजोर और खराब बनी हैं और वह गिर रही हैं। इसके लिए भी आपको सोचना चाहिए और सही ढंग से इनको बनाया जाना चाहिए। पुराने अनुभव से सीख कर अब जो हरिजन बस्तियों का निर्माण हो उनको ज्यादा मजबूत बनाएं और उनमें ज्यादा पैसा खर्च करें। चाहे आप कम बस्तियां एक दफा बनायें, पर उनको मजबूत बनायें जिससे पैसे का सदुपयोग हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष जी, मैं सामुदायिक विकास मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने लगभग पौन घंटे में अपने विभाग के सारे कारनामों को प्रस्तुत कर दिया है। उस दिशा में कुछ कहना समय का बर्बाद करना होगा। इसलिए कुछ सुझाव और विभाग की कमियां ही मैं प्रस्तुत करना अच्छा समझता हूं। गांधी जी ने भारत को गांवों का देश माना है और गांवों में विकास सब दिशा में हो, यह उनकी इच्छा थी। उसकी ही पूर्ति के लिए दिनांक 15 सितम्बर, 1949 को सारे देश में गांव सभाओं, गांव पंचायतों की स्थापना हुई। मन्त्री जी ने पंचायतों की ओर से जो सारे काम गिनाए जैसे आवास बनाना, पेयजल और पाठशालाओं की व्यवस्था, यह सारे काम विकास खण्डों की ओर से हो रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, यदि आप अपने क्षेत्र में गए होंगे, तो देखे होंगे कि जो हरिजन बस्तियां इनकी ओर से बनी हैं, उनकी दशा कितनी जीर्ण-शीर्ण है। मेरा ख्याल है कि 2-1 साल नहीं बीतेंगे कि वे बस्तियां धराशायी होकर रह जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप पूछिए कि रहने लायक भी हैं या नहीं।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—

ठीक है, उनमें लोग रहने से डरते हैं। मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वह पदयात्रा में गए होंगे। आप फिर से जाकर देखें जो हरिजनों के आवास बने हैं, वे रहने लायक नहीं हैं। हरिजन बस्तियों में पानी के कुयें भी बनाए जाते हैं और करीब ढाई हजार रुपया उसके लिए दिया जाता था। अब इनको इनके विभाग के बी0 डी0 ओ0 के सरक्षण में बनाया जाता है। मन्त्री जी मुझे कहने के लिए माफ करेंगे, पहले जो पी0 डब्ल्यू0 डी0 द्वारा इसमें धन के दुरुपयोग की शिकायत थी, वह हूबहू अब भी बनी हुई है। जो भवन बनता है, चाहे हरिजन का भवन हो या पाठशाला, इनके विभाग के लोगों द्वारा भी उसमें गड़बड़ किया जाता है। नये कुओं को बनाना है, लेकिन पुराने कुओं की मरम्मत करके नयों का निर्माण दिखाकर पैसा वसूल लिया गया है। यह आम शिकायत है, हमारे यहां बिलाईया खेड़ा और फतेहपुर मड़ाव ब्लाक आदि में बहुत सी ऐसी जगहें हैं, जहां सारा पैसा हजम कर लिया गया है और पुराने कुओं की मरम्मत कर दी गई है। इसकी ओर मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिए। वैसे ही पम्पिग सेट और उस के बाद छोटे-छोटे कुओं को बना-

कर रहट देने की बात है। सन् 68 में उत्तर प्रदेश में कई जिलों में, आजमगढ़ सहित पम्पिंग सेट लगाने के लिये ऋण अनुदान दिया गया, लेकिन उसको बिजली के कनेक्शन ही नहीं मिले। जिसके कारण वह फेल हुए हैं, जिसमें उनको कोई दोष नहीं था। वह रुपया उनसे अब वसूल हो रहा है और उसके लिए कुर्की और नीलामी तक हो रही है।

ग्राम सभाओं की दशा भी बड़ी खराब है, पहले वहां कुछ जरूर था और उन्हें पैसा भी मिलता था। किन्तु आज हालत यह है कि एक पैसा एक जगह नहीं है, सारा पैसा सरकार के खजाने में चला जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास कर लगाया है, जमीन के ऊपर मालगुजारी ढाई गुना बढ़ा दी है। 40 फीसदी इसकी आमदनी गांव सभा और जिला परिषदों को जाएगी। किन्तु ढाई-तीन साल उस विकास कर को वसूल होते हो गए, मन्त्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि उसमें से कितना रुपया गांव पंचायतों, विकास खण्डों या जिला परिषदों को गया है। मेरी यह सही जानकारी है कि वह सारा रुपया इन्होंने अपनी जेबों में रख लिया और एक भी पैसा गांव सभाओं को, विकास खण्डों को, जिला परिषदों को नहीं दिया। उसी का नतीजा है कि आज किसान भी विकास कर का विरोध करता है। उसी का नतीजा है कि आज गांव सभाएं, विकास खण्ड सभी लुंज-पुंज हैं, धनाभाव के कारण। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो वायदा आपने किया है विकास खण्डों को, पंचायतों को, जिला परिषदों को 60 फीसदी धनराशि देने का, वह पैसा आप, नम्रतापूर्वक कहूंगा कि दें।

श्री उपाध्यक्ष—

सीधे आप कहें कि विकास खन्ड की नीति का पालन सरकार ने किया कि नहीं ?

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

नहीं किया, जो वादा किया, उससे मुकर गए। श्रीमन्, एक और निवेदन करना चाहूंगा कि यह गांव में बाजार लगाते हैं। जिन स्थान पर मेला लगता है, उसका सारा पैसा कुछ व्यक्तियों के हाथ में जाता है। जो पुराने जमींदार थे और जमींदारी खत्म होने के बाद भी वह सारे हाट बाजार लगवाते हैं। इन हाट बाजारों को गांव सभाओं के हाथ में कर दिया जाय या जिला परिषदों के माध्यम से उसका इन्तजाम हो और उसकी आमदनी जिला परिषद् और गांव सभाओं को मिले। आप देखें लाखों रुपए की आमदनी होती है। देवा, काशीनाथ जी का मेला लगता है, वहां लाखों, लाखों रुपयों की आमदनी होती है और व्यक्ति विशेष के जमींदारों के जेब में वह पैसा चला जाता है। मन्त्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश में ऐक्ट बनना चाहिए।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

कोई मेला व्यक्तिगत नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके मेले की बात नहीं बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

आपके भी कुछ मेले हैं।

श्री मोहन सिंह (जिला राय बरेली)—

मान्यवर, हमारा कोई मेला नहीं है और न हमारे पास कोई बाजार है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

इस प्रदेश में जितने मेले हैं, हाट बाजार हैं, तथा जिला परिषदों की हालत बहुत दयनीय है। उनकी बिल्डिंग जो हैं सब खन्डहर बनी हुई हैं। इनको कोई अनुदान या

[श्री राम सुन्दर पांडेय]

पैसा नहीं दिया जाता है। आजमगढ़ की बात कहना चाहता हूं कि कुछ पैसा इस मद में पड़ा हुआ है। लेकिन सरकार ने यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि बिना हमारी अनुमति से यह पैसा खर्च नहीं होगा। नतीजा यह हुआ कि वह भी पैसा पड़ा हुआ है और सारे स्कूल बिना मरम्मत के पड़े हुए हैं। सरकार को इस दिशा की ओर ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि बहुत से ब्लाक अभी बने ही नहीं हैं और ब्लाकों का रुपया भी मैं समझता हूं 14-15 साल से, हमारा जहां निवास-स्थान है, फतेपुरपंडराव, उस ब्लाक की इमारत को आज भी 14-15 साल तक भी नहीं बना सके। मैं चाहता हूं कि जो यह शिथिलता है, उसको दूर करें और यह भी निवेदन करूंगा कि विकास खण्डों को; जिला परिषदों को सजग बनाना चाहिए। अधिकारियों को काम करना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, उनकी तारीफ तो न करें लेकिन उन्हें तंग न करें। जो झगड़ा करें, काम न करें उनको तंग करना चाहिए और उनको सजा भी देनी चाहिए। मिसाल के रूप से मैं निवेदन करूं कि हमारे यहां के डी0पी0ओ0 बहुत अच्छे काम करने वाले अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध कोई शिकायत भी नहीं थी, लेकिन उनको भी ट्रान्सफर कर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें उन्हें क्या तंगी हैं, वे किसी भी जगह जाकर काम करेंगे।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

मेरी माननीय मन्त्री जी से अन्त में यही प्रार्थना है कि आपके विभाग में जो भी कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें। यह प्रसन्नता की बात है कि जब से हमारे माननीय मन्त्री जी ने यह विभाग संभाला है, गांवों में काफी विकास हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि गांवों की दशा सुधारने के लिए उनका ध्यान विशेष रूप से अभी और जाना चाहिए।

कामरेड चन्दन सिंह (जिला ललितपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज के युग में हमारे देश में गांव सभायें जनतन्त्र की प्रारम्भिक इकाई है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक आदमी चाहता है कि हमारी गांव सभाएं मजबूती से काम करें और उनकी क्रियाशीलता हमेशा ज्यादा रहे, जिससे ऊपर जनतन्त्र को मजबूत बनाने में मदद मिले। लेकिन देखा यह जा रहा है कि अगर सर्वे कराया जाय, तो पता चलेगा कि गांव सभाओं की मीटिंग्स महीने में एक बार होना तो दूर रहा, साल में 1-2 बार भी उस ढंग से नहीं हो पाती हैं, जैसी होनी चाहिए। यहां तक कि कोरम भी पूरा नहीं हो पाता है? ब्लाक समितियों में भी यही हालत होती है। जिला परिषदों की मीटिंग्स में जरूर कोरम पूरा रहता है? सरकार को इसके लिए सर्वे कराना होगा कि आखिर यह क्यों नहीं हो रही हैं? इनमें कोरम पहले इसलिए होता था क्योंकि कुछ विशेष रुपया अनुदान के रूप में इनको खर्च करने के लिए दिया जाता था इसलिए सारी गांव सभाएं और ब्लाक समितियां बाकायदा मीटिंग्स में आती थीं और उस रुपए की मांग करती थीं और अब गांवों के विकास के लिए कुछ रुपया नहीं रहता है, केवल टैक्स लगाने की बात होती है, इसलिए शायद उनमें उपस्थिति कम होती है, तो इस चीज को सरकार को देखना होगा।

दूसरे आपने कुछ ऐसा बना दिया गांव सभाओं और जिला परिषदों का सम्बन्ध कि जिला परिषदें यह कोशिश कर रही हैं कि गांव सभाओं की आमदनी के जो जरिए हैं थोड़े-बहुत, जैसे उनको टैक्स लगाने के अधिकार हैं, जिससे आम जनता को कोई विशेष परेशानी नहीं होती है वह टैक्स जिला परिषद् ने लगाना प्रारम्भ कर दिया, मसलन दुकानों पर पहले गांव सभाओं को टैक्स लगाने का अधिकार था, वह टैक्स जिला परिषदें लगा रही हैं और यहां तक कि जो छोटे-छोटे भाजियों की टोकरियां रखने वाले हैं, उन से भी टैक्स वसूल कर रहे हैं। यहीं नहीं जो गांवों में कुम्हार अपने भट्टे लगाते हैं, उन पर भी जिला परिषदों ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। जिला परिषदें, जिनका यहां पर वर्णन किया

गया है, वे जिले के गांवों का विकास देखें कि जिले में कहां सिंचाई साधन नहीं हैं और किस इलाके को कैसे विकसित किया जा सकता है ? कृषि की क्या दशा है, कैसे कृषि की उन्नति हो सकती है ? आज जिला परिषदों का काम केवल टैक्स वसूल करना ही रह गया है। इसके अलावा और कोई विशेष कार्य इन जिला परिषदों का हमारे सामने नहीं आया है।

हमारे राज्यपाल ने पिछले दिनों एक आवाहन किया था कि जिला परिषदें अधिक से अधिक नुमायशें लगवायें। नतीजा यह हुआ कि हर जिला परिषदें नमाइशें लगवाने लगीं। अगर गांव के विकास, सिंचाई के विकास और खेती के विकास की कोई शिक्षा इनमें होती तो कोई उनका विरोध न करता, लेकिन हमने तो यह देखा कि ये नुमाइशें जुए के अड्डे बन जाते हैं। हमारा 20-सूत्री कार्यक्रम सफल बने इसके नाम पर नुमाइश लगाई गई। लेकिन उसमें बड़े नामी पहलवान बम्बई के जो बाकायदा कुश्ती नहीं करते हैं, ऐसे भी होता है कि अगर उस जिले के व्यायाम करने वालों को प्रोत्साहन देने का प्रश्न होता है तो किसी को कोई विरोध नहीं था। लेकिन उस नाम पर कहीं बम्बई के दारा सिंह और कभी किन्हीं को बुलाकर हजारों रुपया बरबाद किया गया। अध्यापकों और छोटे कर्मचारियों को जबरदस्ती टिकट बेचने के लिए कहा गया। यह कार्य जिला परिषदें कर रही हैं जबकि यह होना चाहिये कि वे जिले के विकास कार्यों को देखें। फिर एक बात और कहनी है कि हमारे यहां जो फाइनेंशियल ईयर होता है वह 31 मार्च को समाप्त होता है, जिस दिन सब खर्च पिछले बजट का कर देना चाहिए। अब पेय जल कूप बनाने के लिए जो आज बजट पास हो रहा है, यह वहां पहुंचते-पहुंचते बरसात आ जायगी जबकि कुएं खुदते नहीं। फिर जाड़ों में खुदाई होती है और कोशिश होती है कि 31 मार्च तक पूरा कर दें। बजाय मार्च के अगर जून तक यह खुदाई करवा दिया जाय तो जो संकट मई-जून में पानी का रहता है वह नहीं रहेगा और रुपया भी यूटिलाइज हो जायगा।' तो हम सोचें कि क्या ऐसा सम्भव हो सकता है फाइनेन्शियल ईयर जून तक चले, इस तरह का प्राविधान करना पड़ेगा, तभी ठीक ढंग से कुएं खुद सकेंगे।

एक चीज और है कि गांव में जो पशु मर जाते हैं अब हरिजन भाइयों ने उनको उठाना बन्द कर दिया। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और चमड़ा बरबाद होना नहीं चाहिए। लेकिन जिला परिषद् उसको ऐसा नीलाम करता है कि बड़े-बड़े लोग ठेके पर ले लेते हैं। मेरी राय है कि यह ठेका पंचायत-वार हो। इस तरीके से अगर आप सुधार करेंगे तो कुछ हो सकेगा और मेरा अनुरोध है कि खास तौर से जिला परिषदों को ठीक करें वरना जो पहली कड़ी है, गांव सभाएं हैं, उनको बरबादी की ओर हमारा कदम होगा। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाय।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बजट रखते समय कहा था पंचायत राज की अहमियत लोकतन्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि सूबे की स्तर की हमारी विधान सभा है और राष्ट्रीय स्तर की पार्लियामेन्ट है, उसी तरह से जिला स्तर की जिला परिषद् है और यह उचित ही होगा कि हम उसको धारा सभा का रूप दें। जब यह कह रहे हैं कि जिला परिषद् के अध्यक्ष के मातहत हम कैसे रहेंगे, तो यदि हम एम0एल0ए0 हो गए तो कोई बहुत बड़ा ओहदा तो हो नहीं गया। लेकिन जिला परिषद् का अध्यक्ष जो होता है, उसका महत्व लोकशाही में वही होता है, क्यों ? उसका भी डाइरेक्ट इलेक्शन है। तो हम पंचायत राज ऐक्ट में इस तरह का सुधार करेंगे कि एक अध्यक्ष जो चुना जाता है, उसका सीधा इलेक्शन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र]

हो। जैसे पूरे सूबे के प्रशासन का अधिकार इस सभा को है, उसी प्रकार के सारे जिले भर के शासन का अधिकार जिला परिषद् को दें। पहले कलेक्टर मुख्य अधिकारी होते थे और आज हम समझते हैं कि जिला परिषद् के अध्यक्ष और सेक्रेटरी मिल करके ही सारा काम चला सकते हैं। आपने जो मुख्य अधिकारी बी० डी० ओ० को मुकर्रर किया है, वह सुपर फ्लुअस पोस्ट है और उसको घपलाबाजी और भ्रष्टाचार करने के लिए बैठाया गया है और कोई काम होता नहीं है। सारे जिले के जितने अधिकारी हैं वह सब जिला परिषद् के मातहत हों और जिला परिषद् की जो वक्तन-फवक्तन बैठक होती है तो सरकुलर चला जाता है और वह मुख्य अधिकारी लार्ड की तरह बैठे-बैठे आदेश जारी किया करता है। जो आज जिला परिषद् का कोई रूप डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक है ही नहीं। तो आप जिला पंचायती राज को मुकम्मल तरीके से सुधार कीजिए और एक विधेयक लाइए तब मैं समझता हूं कि पंचायती राज की लोकतांत्रिक पद्धति कायम होगी। जिस तरह से हम लोग यहां 15-20 दिन लगातार बैठते हैं, उसी तरह से जब विधान सभा न चले तब जिला परिषद् की बैठक 15 दिन लगतार हो, सारे अधिकारी वहां बैठें और जिस तरह हम यहां सवाल जवाब करते हैं, उसी तरह से वहां हो, तब ठीक तरह से काम हो सकता है। कलेक्टर को जिला परिषद् का एक्जीक्यूटिव अफसर बना सकते हैं। जिस तरह से इंग्लैन्ड में काउन्टी कौंसिल्स काम करती हैं, वही अधिकार आप जिला परिषदों को दें। पुलिस के बारे में भी जिला परिषद् को अधिकार होना चाहिए। क्षेत्रीय स्तर पर भी क्षेत्र-समिति को पुलिस के स्थानीय कार्यों पर चर्चा करने का अधिकार होना चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। भारत सरकार की तरफ से "पंचायत राज का विकास कैसे हो" एक सन्थानम कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि एक पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना की जाय जो ऋण दे कर पंचायती राज संस्थानों को सुचारु रूप से काम करने का मौका दे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 1973 में पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना हुई थी। धनराशि बैंकों में जमा है, लेकिन कोई ऋण नहीं मिलता, न कोई काम हो रहा है। इतना ही नहीं, उसके बहुत उच्च अधिकारी जो दूसरी जगह से डेपुटेशन पर आए 80 हजार रुपए के गबन का आरोप उन पर है और मामला विजिलेन्स में मौजूद है। फिर भी एक्सटेन्शन दे कर उनसे काम लिया जा रहा है जबकि इस तरह के अधिकारी इस आपात काल में फोर्स्ड रिटायर किये जारहे हैं और यहां उनको एक्सटेन्शन दिया जा रहा है। बहुत से जिलों में पिछले दो सालों में पैसा न होने के कारण पंचायती-राज क्षेत्र समितियों के सारे लोग बेकार बैठे रहे हैं। ग्राम सेवक की भी चर्चा माननीय मन्त्री जी ने की। ये छोटे-छोटे जितने कार्यकर्ता हैं वे एक भारस्वरूप हमारे ऊपर बने हुए है। मालूम होता है कि केवल तनख्वाह देने के लिए रखे गए हैं। आप कोई कानून बनाकर इसमें सुधार लाएं, जिससे लोकशाही की परम्परा बनी रहे और जिला परिषद् एफेक्टिव साबित हो। तब मैं समझता हूं कि लोकशाही की परम्परा फैलेगी और लोकतन्त्र जिलों में मजबूत होगा।

श्री प्रभु दयाल (जिला बस्ती)—

माननीय मन्त्री जी नें जो बजट रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन उत्तर प्रदेश पंचायती राज के कार्यकलाप को देख कर बहुत दुःख होता है। महात्मा जी ने या जवाहरलाल जी ने या अन्य लोगों ने जो कल्पना की थी कि हम बुनियादी तरीके से गांव के लोगों का उत्थान करेंगे वह कहीं देखने में नहीं आता है। पंचायत राज को उन्नति का जो अवसर हमें देना चाहिए वह नहीं के बराबर है। हम दुनियां भर में ढोल पीटते हैं कि हम गरीबों का उत्थान करते हैं। आज 20-सूत्री कार्यक्रम का जो महत्व है, वह एक तरह से मखौल के रूप में बदल दिया जाता है। क्योंकि अभी जो पंचायतों के चुनावों के नतीजे देखने को मिले हैं उससे लगता है कि जो काम हमें करना चाहिए था वह हमने गांवों में नहीं किया और महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव को स्वावलम्बी बनाइए। माननीय

काशीनाथ जी ने महात्मा जी की कल्पना को समझा ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि गांव स्वावलम्बी हों उसका मतलब यही था कि पानी, सड़कें, यातायात आदि का प्रबन्ध व सुरक्षा आदि का प्रबन्ध वे स्वयं करें और सरकार उनको सहायता दे। आज इस ओर ध्यान कम दिया जा रहा है। प्रधान मन्त्री के ही शब्दों में आज ब्लाकों में सामन्तों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने ब्लाकों को दबा रखा है। आज गरीब हरिजन की कोई वायस नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि 52 जिलों में आज कितने ब्लाक प्रमुख ऐसे हैं जो हरिजन हैं, कितने मुसलमान हैं, और कितने गरीब पिछड़े वर्ग के हैं। इनका प्रतिशत नहीं के बराबर है। आपने सिस्टम भी इलेक्शन का सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट वाला रखा दिया है जिससे वे आ ही नहीं पाते। आखिर यह समाजवाद कैसे आएगा? जवाहर लाल जी चले गए, लाल बहादुर शास्त्री चले गए, इन्दिरा जी ने किसी तरह देश को बचा लिया है, मगर अभी बहुत कुछ करना है, बंगला देश में क्या हो रहा है? अरबों रुपया आपका वहां लगा, देश दूसरे हाथों में चला गया। बुनियादी तौर से वह देश अभी प्रजातन्त्र के लिए तैयार नहीं था। रूस को देखिए, उसने दल बदल के जरिए इतनी उन्नति नहीं की। उस देश ने बुनियादी तौर पर नेता तैयार किए, फौज तैयार की। सामन्तों को पैदा नहीं किया। जिस दूसरे ढंग से चुनाव आप कराते हैं वह न करा कर आप सीधे चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? आपने विधान सभा में रेजर्वेशन कर रखा है, ब्लाकों में भी रेजर्वेशन क्यों नहीं रखते हैं? जिला परिषदों के अध्यक्षों द्वारा जो तानाशाही आप करना चाहते हैं उसकी कल्पना गांधी जी ने कभी नहीं की थी। मुझे 15 साल गांधी जी के साथ रहने का अवसर मिला। उनको यह कल्पना कभी थी ही नहीं।

विकास के लिए हर ब्लाक के लिए आपने रुपए दिए हैं। उसका हम स्वागत करते हैं। मगर वह रुपया बड़े-बड़े तानाशाहों को, जिला परिषदों के अध्यक्षों को न दें कर सीधे ब्लाकों को देना चाहिए। पन्त जी व सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में ब्लाक वार रुपया बंटता था। आज जिला परिषदें सामन्तों का गुट बन गयी हैं। ठेकेदार लोग वहां जाते हैं और कमीशन की बेसिस पर वहां सब काम होता है।

अभी मुझे मद्रास जाने का अवसर मिला तो मैंने देखा कि वहां लिंक रोड्स बनी हैं। वहां गांव समाज को अधिकार मिला है और वे पैसा देते हैं। वे चीजें वहां जिला परिषदों के जरिए नहीं बनती हैं। तीन-चार साल से हमारे ब्लाक्स बिलकुल निष्क्रिय ही नहीं बल्कि बिलकुल निकम्म हो गए हैं। एक आंकड़ा तहसीलदार बनाता है, वहीं आंकड़ा ब्लाक अधिकारी और वहीं आंकड़ा जिलाधिकारी बनाता है। इस तरह से हमारे यहां संख्याधिकारियों में कोई समन्वय नहीं है। अगर सब अधिकारी एक साथ मिल कर काम करें तो हमारा देश और प्रदेश ज्यादा सम्पन्न हो जाय। पचीसों साल से फर्जी काम होते चले आ रहे हैं जिससे देश आगे नहीं बढ़ सका है। जब तक गांव समाज सम्पन्न नहीं होगा देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। जो भूतपूर्व जमींदार हैं आज भी उसके पास बड़े-बड़े बाजार हैं जिनसे लाखों रुपए की आमदनी होती है। अगर प्रदेश के गांव समाज को सम्पन्न करना है तो इन बड़े बाजारों को इन जमींदारों के हाथ से लेना होगा। चाहे बड़े बाजार हों, चाहे छोटे बाजार, जब तक आप इनको अपने हाथ में नहीं लेते तब तक जनता आपको बख्श नहीं सकती। इसके लिए आपको कोई न कोई कदम उठाना होगा। हमको भी इधर से उधर और उधर से इधर आने का अवसर मिला है। यह दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और इस बदलती हुई दुनिया को आपको अपने ध्यान में रखना होगा।

आखिर यह इमरजेन्सी कुछ दिनों के बाद तो खत्म होगी। उसके बाद आप बच नहीं सकते। यह दुनियाबी तरीका है और जनता जो लाखों की संख्या में है

[श्री प्रभु दयाल]

उसका ख्याल न कर अगर आपकुछ थोड़े से सामन्तों की सुविधा का ख्याल करेंगे तो आगे चल कर आप खतरे में पड़ सकते हैं। एक बार तो इस सदन में माननीय मन्त्री जी घोषणा करते हैं कि बाजारों को सरकार अपने हाथ में लेगी और उनको गांव सभाओं को दे देगी, लेकिन बाद में न मालूम उस घोषणा को कब वापस ले लिया जाता है और इतनी बड़ी आमदनी से गांव सभाओं को वंचित कर दिया जाता है। जिला परिषदों को अधिक अधिकार देकर आप गांव सभाओं को और ब्लाकों को कमजोर करेंगे।

पन्त जी के समय और बाद के दूसरे मुख्य मन्त्रियों के सामने भी जब यह मामला आया था तो उन्होंने भी इस बात को माना था कि ब्लाक स्तर पर ही शिक्षा का काम आगे बढ़ सकता है। न कि बड़े चेयरमैनों के जरिए। कृषि के उत्पादन का काम हो या और कोई काम हो, जब तक वह ब्लाक स्तर पर मजबूत नहीं होगा तब तक यह प्रदेश मजबूत नहीं हो सकता है। प्रदेश में जितने काम हो रहे हैं सारे अधिकार जिला परिषदों को दिए जा रहे हैं, हर कमेटी का अध्यक्ष जिला परिषद् के अध्यक्ष को ही बनाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या जो एम0 एल0 एज0 हैं वे उस कमेटी में नहीं रह सकते, एम0 पी ज0 नहीं रह सकते हैं। उनको अध्यक्ष कमेटियों का क्यों नहीं बनाया जाता? चेयरमैनों ने अपने यहां एक आतंक सा फैला रखा है। जहां तक बीस सूत्री कार्यक्रम का सम्बन्ध है उसको भी एम0 एल0 एज0 ही पूरा करा सकते हैं। एम0पीज0 तो 6 महीना दिल्ली रहते हैं और 6 महीना अपने क्षेत्र में रहते हैं इसलिए एम0 एल0 एज0 को हर कमेटी में रखना चाहिए ताकि वे अपने सही सुझाव दे सकें। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे और इस आशा के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष ज, माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई शक नहीं कि जिला परिषदों का अपना महत्व है और पंचायत इकाइयों का लोकशाही को मजबूत करने में बहुत बड़ा हाथ है। बहुत विस्तार में न जाते हुए मैं केवल दो-एक सुझाव देना चाहता हूं। यह बहुत आवश्यक भी है। जब जिला परिषदों और जिला परिषद् के अध्यक्ष का महत्व इतना है कि हर जिले स्तर की समिति का वह अध्यक्ष होगा। तो यह आवश्यक होता है कि वह जन प्रतिनिधि हों और जनता द्वारा चुने हुए हों। जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा तिकड़म से चुन कर आए व्यक्ति न हों।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। सहायक पंचायत अधिकारी के 70-75 पदों हेतु आवेदन-पत्र मांगे गए थे और आवेदन-पत्र के साथ 2 रुपए फीस भी मांगी गयी थी। कई हजार बेकार युवकों ने आवेदन-पत्र दिए थे और आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। लोगों के मन में यह धारणा हुयी होगी कि किसी और तरह से फायदा करने के लिये यह आवेदन-पत्र तो नहीं मांगे गए थे। तो किसी जिम्मेदार विभाग में ऐसा नहीं होना चाहिए। इन पदों पर नियुक्तियां होनी चाहियें अगर नियुक्तियां न की जायं तो जो 2-2 रुपये फीस ली गयी है वह उनको वापस होनी चाहिये ताकि विभाग की आलोचना न हो।

चूंकि समय कम है इसलिए एक बात और निवेदन करूंगा। पंचायत राज वित्त निगम के बारे में मेरे मित्र काशीनाथ जी ने अभी कहा था। मैंने इस सम्बन्ध में स्वयं उस समय के तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री बहुगुणा जी को पत्र लिखा था कि पंचायती राज वित्त निगम की उपयोगिता नहीं है। इसकी छानबीन होनी चाहिये ताकि यह जन उपयोगी साधन बन सके बेकार में अफसरों को पालने की संस्था न बने। उसका उत्तर आया था कि दिखला रहे हैं लेकिन क्या हुआ वह आज तक मालूम नहीं है। वास्तविकता यह है कि पंचायती राज वित्त निग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के यहां 60 लाख रुपए जमा हैं। जिसमें अंशदान की पूंजी और 19 लाख रुपए गवर्नमेंट से दिए हुए हैं जिस पर आयकर भी दिया जाता है। इसका ब्याज आता है जिससे बड़े-बड़े अफसर पल रहे हैं। इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर वह इसमें गहराई से छानबीन करायें, किसी जिम्मेदार व्यक्ति से छानबीन करायें तो सब तत्वों का पता लग जायगा और पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना जिस उद्देश्य से की गयी है उस दिशा में कुछ भी कारगर कदम अगर उठाए जाएंगे तो मैं समझता हूं कि इसकी उपयोगिता बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

बाबू प्रभाकर सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं। मुझे स्मरण आता है कि जब यह सामुदायिक विकास की योजना आरम्भ की गयी थी तो यह कहा गया था कि यह जनता का कार्यक्रम होगा और सरकार इसमें हिस्सा लेगी। मैं अनुभव करता हूं कि इसका श्रीगणेश ही गलत हो गया। उस समय हमारे सामने कुछ समस्यायें थीं जैसे अधिक अन्न उपजाने की योजना थी, कृषि में सुधार की बात थी और सरकार के पास धन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। इसलिए यह सारा कार्यक्रम सरकारी स्तर पर शुरू हो गया और जनता यह समझने लगी कि सब काम सरकार के द्वारा होंगे। तो मैं अनुभव करता हूं कि इसकी शुरुआत ही गलत हो गयी थी। इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस कार्यक्रम का यह उद्देश्य था कि यह जनता का कार्यक्रम है और सरकार सहायक है तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि एक समय में अगर 10 कार्य किए जायेंगे तो वह कुशलता के साथ सम्पन्न नहीं हो सकेंगे। इसलिए मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि अगर वास्तव में वह ग्राम्य विकास चाहते हैं तो एक जिले में 3-4 तहसीलें होती हैं उनमें से एक तहसील उदाहरण के लिए ले ली जाय और इस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको समयबद्ध तरीके से एक कार्यक्रम बनाकर दे दिया जाय। मैं यह निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम बहुमुखी न हो। बल्कि एक जगह 3-4 कार्यक्रम लिए जायं और फिर देखा जाय साल 2 साल के बाद उस क्षेत्र में क्या तरक्की हुयी है तो मेरा ख्याल है कि जिले की सारी शक्ति वहां लगेगी और जो यह कहा जा रहा है कि ग्राम सेवक और पंचायत सेवक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उनके भी कामों का ठीक के आंकलन होगा। इस प्रकार एक जगह हम अपनी शक्ति केन्द्रित करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे और सीमित साधनों के होते हुए कुछ हम कर सकेंगे। इस सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विकास क्षेत्र रामपुर में एक ब्लाक के भवन बनाने की बात थी। कई वर्षों से भवन बनना मंजूर है लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ है। इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, आदर्श रखना चाहते हैं तो ग्राम्य विकास के कार्यक्रम में ऐसा परिवर्तन करें कि क्षेत्र का सही विकास हो सके। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रघुबीर (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष जी, ग्राम्य विकास के सम्बन्ध में मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं मन्त्री जी से निवेदन करूं कि पहले विकास खंडों और ग्राम पंचायतों की मीटिंगें हुआ करती थीं तो वह कहा करते थे कि उनका काम क्या है, उनका काम नक्शा बनाना और सलाम करना है। लेकिन आज आपात स्थिति होने के बाद भी उसमें भारी परिवर्तन नहीं हुआ है और पहले से जो मिजाज बना है वही मिजाज है। हम लोग जब बी० डी० सी० की मीटिंगों में जाते हैं तो होता यह है कि सामने कोई

[श्री रघुबीर]

कर्मचारी नहीं होता है बल्कि ग्राम प्रधानों को वह ले जाते हैं और नक्शा बनाकर सलाम करके चले जाते हैं। इस विभाग के ऊपर सारा उत्थान निर्भर है और यदि इस तरह से लापरवाही बरती गयी तो गरीबों के उत्थान का सवाल पीछे रह जाएगा। इसलिए डाक्टर रामजी लाल सहायक जो बहुत ही कर्मठ और सोचने विचारने वाले मन्त्री हैं अपने हाथ में इस विभाग को लिए हैं, इस पर ध्यान देंगे।

मान्यवर, गाजीपुर के सिलसिले में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अपने विकास खंड कासमाबाद के खंड विकास अधिकारी जिनके पास इसकी योग्यता नहीं है और वह रेवतीपुर में विकास खंड अधिकारी रह चुके हैं जहां गोली चलवाई और हत्या करवायी। वही घटना अब कासमाबाद में भी उपस्थित कर दी है। कर्मचारियों के अन्दर वही नीतियां स्थापित कर दी हैं जिससे कभी न कभी किसी का कत्ल होगा। हमने दो प्रार्थना-पत्र इस सिलसिले में राज्य मन्त्री जी को दे दिए हैं लेकिन यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो पता नहीं किस तरह से यह राज्य चलेगा? इसलिए मैं डाक्टर साहब से कहूंगा कि बी० डी० ओ० में योग्यता नहीं है जिससे उसको इस पद पर रखें। भ्रष्टाचार के बारे में जो पत्र दिया है यह राज्य मन्त्री जी के पास है। उस पत्र को मंगाकर देखें और उसकी इन्क्वायरी करा कर उसको सेवा मुक्त करें। उसने लाखों रुपए का गबन किया है। हरिजन बस्ती में एक-एक कुआं बना तो उस पर भी ग्राम सेवक से उसने पैसा लिया। विकास खंड की जो दरी थी उसको अपने घर भिजवा दिया। यह सारी बातें मैंने अपने पत्र में लिखी हैं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता।

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, म उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने ग्राम्य विकास अनुदान के ऊपर अपने सुझाव दिए हैं। हमारे साथी जिन्होंने विवाद में हिस्सा लिया, जिला परिषद् और जिला परिषद् अध्यक्ष से क्षुब्ध पाए गए। मैं कुछ समझ नहीं पाया। जिला परिषद् जिले की व्यवस्था के लिए बनी है। सन् 1967-68 के बीच में ऐसा मौका आया जब गांव पंचायत, खत्म कर दी गयी थीं और क्षेत्र समिति व जिला परिषद् भी। उस समय क्या अनुभव हुए यह तो माननीय सदस्य जानें, लेकिन बाद में जब मौका आया तो हमारे दल ने इस पंचायती राज संस्था को पुनर्जीवित किया, उनका निर्माण किया। मेरा ऐसा विचार है कि हमें आपस में मिलकर बैठना होगा। जिला परिषद् और हमारे विधायक आपस में ताल मेल बैठाकर काम करें। कोई ज्यादा शक्ति उनको दी जा रही है तो मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है। अगर कोई शक्ति मांगी जा रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह दी जा रही है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्षों का चुनाव नहीं हो रहा है।

श्री रामजी लाल सहायक—

उपाध्यक्षों का चुनाव नहीं हो रहा है, उस पर लिखा-पढ़ी हो रही है। निर्णय हो गया तो चुनाव करा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

उनका तात्पर्य यह है कि इस कार्यकाल में उनका चुनाव होने का फैसला हो पाएगा या नहीं?

श्री रामजी लाल सहायक—

हमारे साथी राम सजीवन जी ने कहा कि ग्राम सेवकों को काम में लगाया जाय। शायद उन्होंने मेरी बात शुरू में सुनी नहीं। मैंने कहा था कि जाब चार्ट बना दिए हैं। यह लाजिमी कर दिया है कि ब्लाक स्तर पर जितने अधिकारी हैं वह प्रत्येक दिन का चार्ट टांगेंगे

हम मानते हैं कि कुछ ढील है। लेकिन जुम्मा-जुम्मा चार दिन। धीरे-धीरे यह ठीक हो जायगा। पांडे जी ने एक बात यह कही कि भूमि विकास कर का जो पैसा होगा, उसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि इस अनुपात में इतना जिला परिषद् को और इतना क्षेत्र समिति को दिया जायगा। उन्हें शायद मालूम नहीं कि विकास कर का हिस्सा दे दिया गया है। 2 करोड़ 39 लाख रुपया भेज दिया गया है। जिला परिषदों के माध्यम से वह क्षेत्र समिति को पहुंच गया है, यह मेरी सूचना है और पक्की सूचना है। इसलिए फिर उनका यह कहना कोई माने नहीं रखता है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्षेत्र समिति के प्रमुख हमेशा से इस बात की डिमान्ड करते रहे हैं कि हमारा कोई भत्ता बंधा हुआ होना चाहिए। मन्त्री जी इस विषय में भी कुछ बता दें ?

श्री रामजी लाल सहायक—

बहरहाल मैं आपकी मंशा जान गया।

यह सही है कि वहां पर कई बाजार लगते हैं और उनसे आमदनी भी होती है; जिसको एक ही आदमी ले जाता है। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और हम भी यह समझते हैं कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। प्राइमरी स्कूलों के रख-रखाव के लिए अनुदान की बात कही गई। इसका इन्तजाम मैंने यह किया है कि सम्पूर्ण जिला परिषदों को यह आदेश चले गए हैं कि जो धनराशि उनको अपने काम के लिए दी गई है उसमें से एक लाख रुपया प्रत्येक जिला परिषद् अपने यहां प्राइमरी स्कूलों की इमारतों की मरम्मत के लिए व्यय करेगा। यह आदेश चले गए हैं। 70 हजार प्राइमरी स्कूल्स हैं जो बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं। आपके संसाधन कैसे हैं इसको भी आप जानते हैं। जहां कहीं और ज्यों-ज्यों सम्भव होता जायगा हम इनमें पैसा लगाते रहेंगे। अधिकारी के बारे में भी कहा गया और यह सवाल कई तरफ से आया है। पहले डी0 पी0 ओ0 स्तर के अधिकारी को इसमें रखा गया था। अब बी0डी0ओ0 क है। जिला परिषद् को जो अधिकारी दिया गया है उससे मालूम होता है कि वे क्षुब्ध हैं। बहुत से सदस्यों ने यह कहा कि इससे बोझ पड़ता है और इसको वापस कर लिया जाना चाहिए। यह प्रश्न भी विचाराधीन है।

पंचायत राज वित्त निगम के बारे में भी शंका व्यक्त की गई और कुछ साथियों ने कहा कि इसमें गड़बड़ी है। इतना विश्वास कीजिए कि गड़बड़ चाहे संस्था की हो या अधिकारियों की तरफ से या फिर कर्मचारियों की तरफ से अब वह गड़बड़ चल नहीं सकता है। अब ऐसा मौका नहीं आएगा। जो उनको धन दिया गया है उससे वे ऋण देने का काम सुचारु रूप से करेंगे। जो रुपया उनको दिया गया था वह अब ठीक तरह से काम में आ रहा है। भाई काशी नाथ मिश्र ने जो कहा, उस बारे में भी कुछ न कुछ अवश्य किया जायगा।

विकास खंडों के भवनों की मरम्मत और नए विकास खंड निर्माण के विषय में भी कहा गया। बजट में अगर आप देखेंगे तो इस काम के लिए काफी धन रखा गया है, पुरानों की मरम्मत के लिए और नयों का निर्माण करने के लिए। हम नए ब्लाक भी बनवा रहे हैं और पुरानों की हम मरम्मत भी करवा सकेंगे।

एक बात यहां पर भरती के बारे में कही गई। इसके बारे में ए0 डी0 ओ0 (प्लानिंग) के 74 पद सीधी भरती हेतु प्रदेश में रिक्त हैं जिसके लिए कि 17,500 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में बेरोजगारी है, प्रार्थना-पत्र आयेंगे, उनको कहां तक रोका जा सकेगा ? मुख्यालय द्वारा इतने पदों को भरना सम्भव नहीं हो पा रहा है इसलिए इन

[श्री रामजीलाल सहायक]

पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है उसमें जो 2 रुपया फी प्रार्थना-पत्र शुल्क लगा था उसके वापस किए जाने पर भी हम विचार कर रहे हैं और मुमकिन है कि उसके वापस किए जाने का ही निर्णय हो सके। इसलिए जो शिकायत हम सुन रहे हैं, वह भी दूर हो जाएगी। इस सम्बध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और हमने यह निश्चय किया है तथा आदेश दे दिए हैं कि कोई भी भरती, कोई भी विभागाध्यक्ष अपने आप नहीं कर सकेगा। मान लीजिए 5–10 की जरूरत हो तो विभागाध्यक्ष उन्हें नहीं रख सकेगा। उसके लिए बराबर विज्ञापन पत्रों में दिए जायें और तिथि निर्धारित की जाय। चयन के लिए हमने समिति बना दी है जो इन्टरव्यू करेगी और अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और मैरिट के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इससे गुंजाइश नहीं रहेगी कि कोई भ्रष्ट तरीके से आ जायं।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

पहले से जिलों में जो चयन समितियां बनी हुई हैं उनसे भिन्न आपकी यह चयन समिति होगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

प्रदेशीय स्तर पर हमने यह चयन समितियां बनायी हैं। अभी दो बनायी हैं। जहां आवश्यकता होगी, होती रहेगी। अगर जिलों में हमारी कोई चयन समिति है शिक्षा के सम्बन्ध में तो आप नहीं कह रहे हैं ?

श्री देव कुमार यादव—

जिलों में जो चयन समितियां बनी हैं जिसमें रोजगार अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट इसी प्रकार से दो नामिनी और तीन जिलाधिकारी होते हैं, ये प्रदेशीय स्तर पर हैं। तो क्या इससे भिन्न आपकी चयन समिति जिलों में होंगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

अगर उनको कोई अवधि दो-तीन साल की दी गई है तो मैं नहीं कह सकता अन्यथा नई बनानी पड़ेगी। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि कटौती के प्रस्तावक महोदय अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लेंगे और इन ग्रान्ट्स को पास करेंगे। जब आप पैसा देंगे तभी तो काम चलेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा ?

श्री राम सजीवन—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी के आश्वासन के बाद मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय रामसजीवन जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या 45, अनुदान संख्या 66 और अनुदान संख्या 77 में कटौती के प्रस्तावों को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से कटौती के प्रस्ताव वापस हुए।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,86,96,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66—स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,12,94,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,49,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 12—मोटर गाड़ियों पर कर, अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन, अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन, अनुदान संख्या 65—पर्यटन, अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 85—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

*परिवहन मन्त्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन, पर्यटन एवं सिविल विमानन विभागों की सभी डिमान्ड एक साथ पढ़ देता हूं जिससे समय भी बच जाय और एक साथ बहस भी हो जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12—मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,94,86,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,58,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,58,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65—पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,35,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिव प्रसाद सिंह]

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,67,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,16,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमंन्, जहां तक परिवहन विभाग का सम्बन्ध है हमारे सभी सदस्य इस बात से भली भांति परिचित हैं कि यातायात के साधनों में प्रदेश और देश में रेल यातायात के बाद फिर अगर किसी का सम्बन्ध है तो दूसरे नम्बर में सड़क यातायात आता है। रेल में सब सफर करते हैं। लेकिन बस में जिनकी रेल छूट जाती है या जहां रेल लाइन नहीं है वह लोग सफर करते हैं और गरीब लोगों का इससे सीधा सम्बन्ध है। तो जहां तक परिवहन विभाग का ताल्लुक है, इसका सीधा सम्बन्ध आम जनता से है। इसका सीधा सम्बन्ध प्रदेश की उस जनता से है, जो रेल से न यात्रा कर सकती है, न जिनके क्षेत्र में रेल लाइन है और न जो मोटर से यात्रा कर सकते हैं और न हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं। इसका सीधा संबंध साधारण और आम जनता से है। इस पृष्ठभूमि के अन्तर्गत मैं तो उम्मीद करता था कि शायद मेरे लायक दोस्त इसमें कटौती का प्रस्ताव ही नहीं रखें.....

श्री उपाध्यक्ष—

वह इस विश्वास के साथ कि वह समय पर पहुंचा तो दें या उपलब्ध तो हो जाएं।

श्री शिव प्रसाव सिंह—

लेकिन कटौती प्रस्ताव है, तो उससे भी हमें लाभ होगा। आपके सुझाव आएंगे और बहुत सी नई बातें और अपनी कमियां हमें मालूम होंगी, साथ ही कुछ समझने और सीखने का भी मौका मिलेगा, इसलिये मैं उनका भी स्वागत करता हूं। परिवहन विभाग के दो अंग हैं, एक तो ऐडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक रखता है, दूसरा पहले, सन् 72 से पहले कामर्शियल अंडरटेकिंग के रूप में रोडवेज की बसें चलाया करता था, जो 72 से यू0पी0एस0आर0टी0सी0 अर्थात् यू0पी0 स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बन गया है। कारपोरेशन अर्थात् निगम का अपना बजट अलग है, जिसका यहां पर प्रश्न नहीं है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के जितने आर्गनाइजेशन हैं ओ0टी0 ओ0 और इन्फोर्समेन्ट स्टाफ वगैरह, उसके सम्बन्ध में बजट आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले मैं इस आदरणीय सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि इस ऐडमिनिस्ट्रेशन के अंग को जरा गहराई से देखा जाए तो यह गवर्नमेन्ट का रेवेन्यू डिपार्टमेंन्ट है, रेवेन्यू अर्न करके गवर्नमेंन्ट को देता है। इस विभाग द्वारा सन् 74–75 में गवर्नमेन्ट को दी गई आय 41 करोड़ 72 लाख रुपया थी और वह आय 75–76 में बढ़कर 42 करोड़ 6 लाख हो गई। यह सीधी की सीधी पूरी आमदनी सरकार को होती है। सन् 76–77 के लिये हमारा मिनिमम टारगेट, मैक्सिमम तो फिक्स नहीं कर सकते हैं, वह मुश्किल और असम्भव है, 45 करोड़ रुपये का है और मैं आशा करता हूं कि अधिकारीगण इसे 50 करोड़ तक पहुंचा देंगे, ताकि हम उसे अरब कह सकें। इस दिशा में मैं पूरे विभाग के पुनर्गठन की सोच रहा हूं, कुछ किया भी है और कुछ पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं—

श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

खर्च भी तो बताइये, और साथ में लागत भी ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

खर्च की जो बात है, इस विभाग में जिसमें 42 करोड़ की आमदनी है, टोटल खर्च दो परसेन्ट है। इससे कम खर्च किसी विभाग में नहीं है। इसके दो अंग हैं प्लान तथा नान-प्लान। मैं इसे बहुत सूक्ष्म रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लागत की जो बात है, वही, आप फीगर्स में पूछें तो अगर फीगर आप जानना चाहते हैं तो वह भी बता देना चाहता हूं। 1 करोड़, 2 लाख रुपये। लेकिन मैं तो कुल बता दूंगा आपको। तो प्लान में श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इतना बड़ा विभाग है जो कि 42 करोड़, 45 करोड़ और 50 करोड़ रुपए अर्न करके सरकारी ट्रेजरी में देना चाहता है। प्लान में उसके लिये पिछले वर्ष 5 लाख दिया था और इस वर्ष 6 लाख। लेकिन मैं बड़ा अनुगृहीत हूं माननीय मंत्रिपरिषद् का कि उन्होंने बड़ी कृपा की कि मेरे सुझाव माने और 20 लाख अतिरिक्त प्लान के अन्तर्गत दिया जिससे कि मैं इसका रिआर्गेनाइजेशन और इसकी तरक्की कर सकूंगा और वही हमारा आधार होगा।

जिस शक्ति के ऊपर हम इसको 50 करोड़ तक लायेंगे। अब रिआर्गेनाइजेशन की डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं इन्फोर्समेन्ट के जोन्स क्रियेट करना चाहता हूं। मैं एक एडिशनल ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर भी बनाना चाहता हूं। हेडक्वार्टर्स पर इन्फोर्समेन्ट और मजबूत बनाने के लिये। क्योंकि उसी के माध्यम से और उसी के सहयोग से चोरी रुकती है और आमदनी के जरिये बढ़ते हैं और आमदनी बढ़ती है। उसको मैं रिआर्गेनाइज करना चाहता हूं। लेकिन कैसे करूंगा, यह विचाराधीन है। सहूलियत के लिये रायबरेली में दो आर० टी० ओ० आफिस नये खोलने का विचार है। स्क्वाड इन्फोर्समेन्ट वाला खोला जायगा। उनके लिये ऐसी जगहें ढूंढी जाती हैं कि जहां से एक स्टेट से दूसरे स्टेट को स्मग्लिंग होती है, जो चोरी से माल निकाला जाता है ट्रक रजिस्टर न हों, ओवर लोड न हो तो उसमें यह विचार किया है, एक तो देवरिया रखा है दूसरा बदायूं और तीसरा मैनपुरी। जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके आधार पर यह निश्चय किया है कि यहां पर इन्फोर्समेन्ट की नियुक्ति करना और उसको सक्रिय करना शासन के हित में नितांत आवश्यक है और एक समस्या और भी है जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे। इत्तफाक से यह विभाग जो है इस रूप में आपको जानकारी तमाम होगी कि पहले एक छोटे से कमरे में बैठ कर इंस्पेक्टर और एक पुलिस ग्रेड का आदमी बैठकर काम चलाते थे। 39-45 के बीच में इसका प्रसार हुआ। लेकिन जब मुल्क आजाद हुआ तो ट्रांस्पोर्ट का जो स्वरूप है, जो आज आपके सामने उपस्थित है, वह आजादी प्राप्त होने के बाद किया गया है। हमारी आय आज 42 करोड़ रुपये उससे है और 5 हजार बसें भी आपकी सेवा में उस विभाग द्वारा हैं। तो आर० टी० ओ० आफिस हमारे किराये पर हैं। वहां जो रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में, टैक्स अदा करने के सिलसिले में या अपने और कामों के सिलसिले में आते हैं उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है। कहीं-कहीं पर आर० टी० ओ० के भी बैठने की व्यवस्था नहीं है और जो मकान किराये पर हैं चूंकि वह बहुत पहले किराये पर लिये गये थे इस वजह से जो मकान हैं वह किराया बढ़ा नहीं सकते, मजबूत कानून की बजह से। तो उन्होंने हाईकोर्ट वगैरह में मुकदमें दायर कर रखे हैं और आर० टी० ओ० के इन्डिपेंडेंट आफिसेज निर्माण करें जिससे कि स्वागत का भी एक कक्ष रख सकें। तो इसके लिये हमने पहले कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली और आगरा को चुना है। कानपुर का जहां तक ताल्लुक है वहां के लिये हमने 7 लाख की बिल्डिंग बनवा ली है और एक लाख रुपया हमने उसको देना तय कर लिया है। तब नये मकान में हमारा आफिस चला जायगा।

[श्री शिव प्रसाद सिंह]

जहां हमारी आमदनी 1-2 करोड़ से आरम्भ होकर 40 करोड़ हो गई है, हम आशा करते हैं कि इस वर्ष वह 50 करोड़ तक पहुंच जायगी। हम यह भी प्रयास करेंगे कि इसका क्वार्टरली, मन्थली और वार्षिक तो होता ही है, चेकिंग हुआ करे। इसके लिये हम एक अपना आडिट सेल भी खोलना चाहते हैं जिसके लिये हमने इस बजट में प्राविधान भी किया है। तो प्लान के सम्बन्ध में जितनी भी बातें हैं, उनको मैंने सदन के सामने रखा।

नौन प्लान के अन्तर्गत 1-2 लाख रुपया का खर्च आता है जिसमें फुल एस्टैब्लिशमेन्ट है, सिविल एविएशन और यू0 पी0 हिन्द फलाइंग भी शामिल है। हमारा खर्च बहुत कम है। जहां तक हमारे रिसोर्सेज का ताल्लुक है वह रोड टैक्स से, पैसेन्जर टैक्स से, गुड्स टैक्स से, लाइसेन्स और परमिट फीस और कम्पाउण्डिंग फीस से होता है। इन इन्कम्स में बराबर वृद्धि भी हो रही है। रिआर्गेनाइजेशन के बाद मैं इस बात की भी आशा करता हूं कि इस आमदनी में बहुत बड़ी वृद्धि हो जायगी। इन सब का सीधा सम्बन्ध हमारे आर0 टी0 ओज0 हैं। इसके अलावा परिवहन निगम है। इस सम्बन्ध में मैं सबसे पहले माननीय सदस्यों को इस बात की सूचना देना चाहता हूं कि पिछले साल तक सन् 1974-75 में यह घाटे में चलता रहा। इसलिये वर्ष 1972 में जब कि यू0 पी0 गवर्नमेन्ट ने रोडवेज को परिवहन निगम में परिवर्तित किया तो उसे यह मौका दिया। परिवहन निगम का निर्माण इसलिये किया गया कि यह भारत सरकार से अनुदान प्राप्त कर सके, दूसरे यह इन्स्टीट्यु-शनल फाइनेन्सेज बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त कर सकें और सरकारी समिति जो मदद इसको मिलती है उससे बाहर निकलकर बाहर से मदद ले आवे तो प्रदेशीय सरकार को भी आसान हो जायगा उसकी मदद करना ताकि जन सेवा की दृष्टि से भी प्रयास हो। अभी उसमें कमी है, उसको भी पूरा करना होगा। लेकिन फिर भी इस वर्ष 1975-76 में नेट प्राफिट 1 करोड़ रुपये का हुआ है और हम इस बात की आशा करते हैं कि अगले वर्ष इसके इस प्रकार के जो कार्य चल रहे हैं उनमें प्रगति हो, भले ही हमें कुछ संशोधन करने पड़। पहले इस निगम के चेयरमैन श्री एम0 सी0 शर्मा थे। वे बहुत योग्य प्रशासक थे। उन्हीं के जमाने में इस विभाग का निर्माण हुआ था। उन्होंने इसको बनाया और बनाकर एक रास्ते पर लाये। 4 वर्ष यहां पर वह काम कर चुके हैं। इस बात को दृष्टि में रख करके देखें कि एक नया माहौल क्रिएट करने की आवश्यकता होगी। कोई अच्छा भी कार्य करें तो भी एक तबदीली की बात होती है। जैसे कि विधायक लोगों का है कि हम लोगों का भी समय निश्चित है कि 5 वर्ष के बाद चुनाव होगा। आफिसर्स के लिये 3 वर्ष की बात होगी। तो 4 वर्ष हो गये। फिर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ा भारी उनका कृतज्ञ और आभारी हूं कि उन्होंने बहुत सुचारुरूप से इस विभाग की व्यवस्था की और 4 वर्ष तक चलाया। इस वक्त उत्तर प्रदेश के आयुक्त एवं सचिव ट्रांस्पोर्ट के, वह फिलहाल इसका काम देख रहे हैं, क्योंकि इस नियुक्ति के लिये उपयुक्त व्यक्ति का चयन नहीं कर सके और मेरा दिमाग साफ है कि यदि मुझको कोई नानआफिशियल मिलेगा जिसने जीवन में संकल्प कर लिया हो कि जनसेवा में अपना जीवन लगा दूंगा और उसका इतिहास हो तो उसको प्राथ-मिकता है। फिलहाल वह अच्छे ढंग से काम देख रहे हैं। यह भी निवेदन कर दूं कि जनरल मैनेजर की पोस्ट के ऊपर एक मि0 मार्डवेल हैं जो भारत सरकार के कामर्स डिपार्टमेन्ट से संबंधित हैं और उसका उन्हें सीधा अनुभव है। उनको ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर से जनरल मैनेजर बनाया है। हमें भारत सरकार से जानकारी प्राप्त हुई और यहां पर भी उनकी कार्य क्षमता को देख कर हम प्रभावित हुए कि यह नौजवान कुछ करके दिखायेगा और हम एक वर्ष के बाद इस स्थिति में होंगे कि आपसे कह सकेंगे कि इस विभाग का जो नुकसान था उसका तो कोई सवाल ही नहीं है, 5 करोड़ के लाभ में हम चल रहे हैं ऐसी हमें आशा है और ऐसी अपेक्षा हम अधिकारियों से करेंगे।

जिस वक्त कि यह सन् 72 में ट्रांसफर हुआ तो 30 करोड़ की हमारी कुल पूंजी थी जिसमें 18 करोड़ तो हमने इस शर्त पर दिया कि वह उसका मूल और ब्याज दोनों अदा करेंगे और 12 करोड़ रुपया ऐसा दिया जो अंश-पूंजी की तरह से था, उस पर केवल ब्याज देना पड़ेगा। इस वक्त तक तो इस स्थिति में नहीं आये कि वह दे सकें। मैंने पहले ही निवेदन किया कि घाटे पर चल रहे हैं। अब फायदे में चलना शुरू हुआ है। गाड़ी चली हुई है, जरा रफ्तार में आ जाय तो यह ब्याज मूल भी अदा कर देंगे और इरादा यह है कि 4 वर्ष के अन्दर यह जो कैपिटल के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है वह कैपिटल ब्याज के साथ लौटा दिया जाय और पूर्ण स्वतंत्रता और आजादी के साथ यह विभाग कार्य कर सकेगा जिससे कि यह अपना विस्तार और प्रसार भी कर सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके।

अब मैं मोटे तरीके से श्रीमन्, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह यात्रा बस की सर्विस जो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन ने शुरू की है, यह कितनी बड़ी सेवा है। करीब 7,81,000 आदमी रोज चलते हैं और साल भर में लगभग 32 करोड़ के आते हैं। 1976-77 में जिस हिसाब से बसों की तादाद और मार्गों में विस्तार कर रहे हैं, 35 करोड़ साल भर में हम यात्रियों की सेवा करेंगे। हमारा बेड़ा जो है वह बहुत बड़ा नहीं है। लगभग 4 हजार का बेड़ा है। उसमें से कुछ गाड़ियां खराब है, कुछ मरम्मत में हैं। हमने इधर उसे बढ़ाया है और यह निश्चय किया है कि इस बेड़े को 5 हजार कर देंगे और 4 वर्षों में इस बेड़े को बढ़ा कर 10 हजार कर देंगे और प्रदेश के हर जिले को राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा सीधे लखनऊ से जोड़ देंगे। इस समय अगर 1 हजार बसें धन के द्वारा उपलब्ध करने में हमें दिक्कत हुई तो उसका भी रास्ता हमने सोचा है और वह यह कि करीब एक डेढ़ वर्ष से परमिट का देना बन्द हो गया है। उसके और भी बहुत से कारण हैं जिसके डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। एक कारण सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। एक कारण यह भी है कि मार्गों पर संख्या नियमानुकूल निर्धारित नहीं हो सकती। तो हम परमिट भी देंगे। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि बहुत बड़ी सेवा हो जाय यह लक्ष्य है। "नो प्राफिट नो लास" की भी स्थिति अगर आयेगी तो मुझे विश्वास है कि आपका अनुमोदन प्राप्त करूंगा लेकिन जन सेवा होनी चाहिये। इस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। बहुत सी गाड़ियां प्राइवेट आपरेटर्स की जो नहीं चल रही हैं हम उनको अपने बेड़े में किराये पर ले लेंगे। कही तो बात मैंने 4-5 साल की की है मगर आप सब का सहयोग रहा तो एक साल में 10 हजार कर देंगे।

इसके अलावा आप जानते हैं कि 768 मिनी बसें भी थीं जो कन्ट्रैक्ट कैरेज की हैसियत से कार्य कर रही थीं। कन्ट्रैक्ट कैरेज का मतलब आप सब भली भांति जानते हैं। तो कंट्रैक्ट कैरेज के नियमों का उल्लंघन करके वह सेवा कर रही थीं और घड़ाधड़ राष्ट्रीकृत मार्गों पर चलती थीं। इससे राज्य सड़क परिवहन निगम का भी नुकसान हो रहा था और अनुशासन पर भी असर पड़ रहा था। इन तमाम चीजों को कन्ट्रोल करने के लिये इन 768 बसों को रोकना पड़ा और लगभग 8-9 महीने हो गये उनका उपयोग नहीं हो सका। आते ही मैंने इस समस्या पर विचार किया कि इन 768 बसों में करीब-करीब 8 करोड़ रुपया जनता का ब्लाक्ड है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और जो इन्होंने बैंकों से ऋण लिया है फाइनेन्स का माहवारी रुपया चल रहा है एक बस में 4-5 परिवार लग जाते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी तादाद व्यवसाय से बाहर भुखमरी के कगार पर पहुंच गयी है और कर्जा उस पर चढ़ रहा है। मैंने चाहा कि इस मसले को तुरन्त हल कर दूं लेकिन उसमें कुछ वैधानिक आपत्तियां थीं। उनका भी निराकरण किया और

[श्री शिव प्रसाद सिंह]

इस वर्ष की पहली मई, जो श्रम दिवस माना जाता है, उसके 10-15 दिन पहले बहुत बड़ा ऐडवर्टिजमेन्ट अखबारों में निकाला गया और उनसे कहा गया कि जितनी कन्ट्रेक्ट कैरेजेज हैं अब कोई कंट्रेक्ट कैरेज नहीं रह गया, सबको स्टेज कैरेज कर दिया जायगा। स्टेज करज ज्यादा बड़ी चीज है। तो स्टेज कैरेज के सबको परमिट दे दिये जायेंगे और कवाल टाउन्स में चलायी जायेंगी। कवाल टाउन्स के साथ-साथ मेरठ और देहरादून को भी जोड़ दिया गया और यह हुआ कि म्युनिसिपल लिमिट्स में यह चलायी जायेगी। इस पर उन लोगों ने कहा कि साहब, आप तो यहां चला कर घाटा उठा रहे हैं, हम कैसे इसमें फायदा उठा लेंगे। उनकी बात ठीक लगी। मैंने उस पर विचार किया, मंत्रि परिषद् ने भी इस पर विचार किया और एक उप समिति भी गठित कर दी। उसकी तुरन्त बैठक बुलायी मैंने और एक बैठक एस0 आर0 तथा अधिकारियों की भी बुलायी। कानून में संशोधन की बात आयी उसकी भी स्वीकृति मैंने भारत सरकार से ले ली। अब मिनी बसों के लिये हमने यह तय किया है कि शहरों में जहां परिवहन निगम की बसें चलती हैं, जैसे लखनऊ को ले लीजिये, यहां से बस मोहनलाल गंज भी जाती है, नाम है परिवहन बस का, तो हम उनका क्षेत्र निर्धारित कर देंगे, बाकी में यह मिनी बसें चलेंगी। इस प्रकार 768 में से करीब 140 बसें तो लखनऊ में ही ले ली जायेंगी। बाकी अन्य शहरों में देखेंगे। मेरठ में जो बड़े-बड़े कस्बे हैं जो छोटे जिलों के बराबर हैं वहां चला सकते हैं। कानून की एक दफा 68-सी है जिसमें नोटीफिकेशन होता है कुछ वर्षों के लिये, मगर किन्हीं कारणों से नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है, तो हम ऐसी जगह पर टेम्पोरेरी परमिट्स देंगे, चलाने के लिये। हमारी नेशनलाइजेशन की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जितना भी समय उसमें लगेगा उस बीच जनता की सेवा के लिये हम उनको अस्थायी परमिट्स देंगे। इस तरह से 15 दिन के अन्दर इन 768 मिनी बसों को काम में ले लिया जायेगा। यह जरूर है कि जहां कम गाड़ियां चलती थीं, वहां ज्यादा चलने से मुनाफा कम हो जायेगा, मगर हम नहीं चाहते कि लोगों को बहुत मालदार बनने का मौका मिले। जन सेवा की भावना से हम काम करेंगे। इन लोगों की सरकार को एक रायलटी भी अदा करनी होगी क्योंकि हमको एक-एक रुपया इकट्ठा करके शासन चलाना पड़ता है।

मान्यवर, बहुत से साथियों ने विचार विनिमय के बाद बहुत से सुझाव दिये हैं जिन्हें मैंने एक-एक करके नोट किया है और मैं उन को कार्यान्वित करूंगा। हो सकता है मुझे इसमें सख्ती भी करनी पड़े मगर मैं सख्ती भी करूंगा। मैं या तो ठीक करूंगा या स्वयं हट जाऊंगा। दो में से एक चीज होगी। उसमें आपकी मदद चाहिये, आपका सहयोग चाहिये। आप देख लें हर चीज को और दूसरे उत्तर प्रदेश में एक एक्जाम्पिल भी बतला दें कि यहां बेईमानी की गयी है, केवल एक विधायक आकर कह दें कि यहां बेईमानी की गयी है तो वह चीज मैं उनके हाथ में दे दूंगा। बहुत से लोग जो चाहेंगे उनके हिसाब से मैं काम नहीं कर पाऊंगा, जो ठीक समझूंगा, वही करूंगा। जो नियमानुकूल होगा उसी के अनुसार जनता की सेवा करूंगा, चाहे कोई खुश हो या नाखुश। तो उसमें मेरी मदद कौन करेगा, जनता और जनता के प्रतिनिधि आप लोग। आपके भरोसे पर यह सब कर रहा हूं और ठीक करने का प्रयास करूंगा। आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

शीघ्रता करें।

श्री शिव प्रसाद सिंह—

जैसी आज्ञा हो, मैं दो मिनट में खतम कर दूंगा। श्रीमन्, अब मैं सीधे पर्यटन पर आता हूं। पर्यटन के सम्बन्ध में यह है कि कहीं तो पर्यटन स्थल ढूंढ़े जाते हैं और कहीं पर्यटन स्थलों की कमी है लेकिन उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों का खजाना है। मैं माफी चाहता हूं कि हमारी नजर अभी इस तरफ बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार ने इस

ओर अपना ध्यान दिया है। तमाम ऐसे बड़े मसले होते हैं सरकार के सामने जिनके बारे में जितना हमें करना चाहिये था हम नहीं कर पाये। हम सब जानते हैं, कोई बात हम आपसे छिपाना नहीं चाहते कि इस समय जो हमारा बजट है वह अपेक्षाकृत छोटा ह क्योंकि इस वर्ष सम्भव नहीं था, हो सकता है कि अगले साल बढ़ाया जाये। हमारे मुख्य मंत्री जी बहुत उदार हैं। उन्होंने मुझसे यह कहा और भारत सरकार के भी एक मंत्री ने कहा कि यह क्या लाखों का बजट बनाते हैं बजट ऐसा बनाना चाहिये जो करोड़ों का हो। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने 80 करोड़ रुपये का बजट बनाया है और उसे भारत सरकार को भेज रहे हैं कि दीजिये रुपया और फिर देखिये कि हम क्या करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या उपलब्धियां मात्र रुपये से आंकी जायेंगी ?

श्री शिवप्रसाद सिंह—

नहीं श्रीमन्, ऐसा नहीं है। लेकिन रुपये के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। अगर एक छोटा सा तालाब भी साफ करना हो तो जहां से गन्दा पानी आता है कम से कम वहां से उसे रोकने के लिये कुछ पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। इसी तरह से कोई पुल निकालना हो, तो फिर उस पर भी खर्च आयेगा ही। फिर सरकार का जो काम होता है वह श्रमदान से तो होता नहीं है। एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया जायेगा और उसे पूरा करने में खर्च लगेगा।

अब प्लान के मैदान में—न कहता तो ज्यादा अच्छा था मगर हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष जी बहुत मेहरबान हैं, उन्होंने पूछ ही दिया, तो प्लान में 15 लाख रुपया और नान प्लान में 12 लाख रुपया, अब भला बतलाइये 15 और 12—27 लाख रुपये से पर्यटन का काम हो सकता है? नहीं। लेकिन मजबूरी है, गुंजायश नहीं है, हम कर नहीं सकते। अब तक तो आउटसाइड से मुख्य मंत्री जी ने 32,93,000 रुपये का आयोजन किया है जिससे पर्यटन में पर्याप्त वृद्धि हो सकेगी।

यह पांचवीं पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष है। इस पर्यटन के अन्तर्गत 76—77 में एक तो हम कुछ भूमि अध्यापन का काम करना चाहते हैं, टूरिस्ट आफिस खोल रहे हैं इलाहाबाद में। रेलवे स्टेशनों पर एयर फोर्स पब्लिसिटी का काम करने जा रहे हैं। उत्तर-प्रदेश पर्यटन निगम में अंश पूजी 5 लाख रु0 रखी है। मूसा बाग जहां पर बहुत बड़ी लड़ाई 1857 में हुयी थी। यह एक हिस्टारिकल प्लेस है हम उसको बना रहे हैं। नौगढ़ के बारे में मैं अपने साथियों को इत्तला देना चाहता हूं कि वहां पर्यटक आवास गृह का निर्माण हो रहा है और इस वक्त लगभग 89 हजार रुपया का प्राविधान कर दिया गया है। आगरा में एक कैम्पिंग ग्राउण्ड की तरह से बन रहा है कि लोग वहां पर मोटर से आयें और कैम्प में रुकें, दिन भर घूमें और रात को सोयें। जाडा हो तो अंदर सोयें और गर्मी हो तो बाहर सोयें। इसके लिये 1 लाख रुपये लगा रहे हैं, ताकि यह काम शुरू हो सके।

श्रीमन्, आपको जानकर खुशी होगी कि नान-प्लान में नीमसार—मिश्रिख जो सीतापुर जिले में है इस पर एक फिल्म बनायी गयी है और इस स्थान का प्रसार और प्रचार किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि वहां विदेशी पर्यटक बहुत ज्यादा आकर्षण का अनुभव करते हैं। इत्तिफाक से वहां मैं देखने गया तो वहां पर 5—6 विदेशी ठहरे थे। वह चाहते थे कि मैं उनसे मिलूं। मैं उनसे मिला और मैंने कहा कि आपने यह जगह देखी तो उन्होंनेन कहा कि ऐसी अच्छी जगह मैंने कहीं नहीं देखी। मगर ठहरना चाहता हूं और कोई जह

[श्री शिव प्रसाद सिंह]

है। तो मैंने कहा कि प्रबंध करता हूं। मैंने उनको अपने मोटर में बैठाया और वहां इंस्पेक्शन हाउस में ठहरवा दिया। इसी तरह से तमाम हमारे प्रदेश में स्थल हैं जो बहुत ही आकर्षक हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है और बहुत कुछ अभी करना चाहती है। इसलिये तमाम विभागों से कोआर्डिनेशन करके हमने काम किया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय, आर्या जी और इर्रीगेशन विभाग के मंत्री, श्री लोकपति त्रिपाठी का मैं बहुत आभारी हूं। इन विभागों के सहयोग से ओखला में हम एक ऐसा पर्यटन केन्द्र बना रहे हैं जो हरियाणा के पूरे पर्यटन केन्द्रों को पीछे पछाड़ देगा। इसी तरह से हिंडन नदी है उसके पास एक छोटी सी लेक पर काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे पर्यटन स्थलों का तेजी से विकास हो। इस सिलसिले में मैं नवाब गंज की बात बताना चाहता हूं। वहां बर्ड सैंक्चुअरी बनायी जा रही है। उस लेक का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। वहां पर टुण्ड्रा तथा साइबेरिया से पक्षी आते हैं। वहां पर आवास स्थल और कैफेटेरिया बनायी जायगी। एक ऐसा वन लगा रहे हैं कि आप घूमिये कोई देख नहीं सकेगा।

(सदस्यों के आपस में बात-चीत करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप दूसरों के सुझाव से कहेंगे तो कैसे काम चलेगा?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

मान्यवर, इन सब योजनाओं पर काम चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

सारे के सारे लोग आपको याद दिला रहे हैं। दूसरों को भी अवसर दें। आप शीघ्रता करें।

श्री शिवप्रसाद सिंह—

मान्यवर, मैं जल्दी कर रहा हूं। इसी तरह से चित्रकूट, महोबा, मथुरा में टूरिस्ट हाउसों की साज-सज्जा बढ़ायी जा रही है। हम पी0 डब्लू0 डी0, सिंचाई विभाग, फारेस्ट विभाग के कोआर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। तो यह काम इस वर्ष चल रहे हैं। अंग्रेजी फौज तो छोटी सी थी 3-4 हजार की, बाबर ने 12 हजार की फौज लेकर, 1 लाख की इब्राहीम लोदी की फौज से सामना किया। तो मान्यवर, हम ऐसा करना चाहते हैं कि साल भर में हरियाणा को पछाड़ दें, जहां तक पर्यटन का ताल्लुक है। मुझे चक्रवर्ती लेक में जाने का मौका मिला तो वहां के अधिकारी ने बताया कि यहां तो प्राकृतिक दृष्टि से कोई स्थान पर्यटक के लिये है ही नहीं, सब बनाया हुआ है। उस समय मैं यहां सार्वजनिक निर्माण का कार्य देख रहा था। तो हमने सोचा कि यहां तो प्रकृति ने ही पर्यटन के लिये सब स्थान बना रखा है। इसलिये उत्तर प्रदेश पर्यटक का ऐसा केन्द्र बनेगा जिससे काफी डालरों की आमदनी होगी।

मान्यवर, पहाड़ के संबंध में अच्छे कार्य हो रहे हैं। वहां इस काम को हिल डेवलपमेन्ट विभाग देख रहा है और इसका बजट अलग से पेश किया जायगा। इन शब्दों के साथ मेरी प्रार्थना है कि जो हमारी मांगें हैं, उनको आप मंजूर करेंगे।

*श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बहुत ही संतुलित, प्रभावशाली और महात्वाकांक्षाओं से ओतप्रोत और बड़ा ही दुस्साहसिक बजट पेश करने वाला भाषण दिया और बड़ी खुशी हुई कि मंत्री जी ने यह भी एलान किया कि सिर्फ सच काम होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और सच काम में जो बाधाएं आयें माननीय सदन और सदस्यगण उनमें उनकी मदद करें। यह भाषण और यह ऊंची—ऊंची आकांक्षाएं जो मंत्रीजी ने व्यक्त की हैं उनके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

दुस्साहसी के स्थान पर साहसपूर्ण कहिये

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी—

मैंने अपना शब्द बदल दिया है। जब मंत्री जी भाषण दे रहे थे तो मैं बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था परिवहन विभाग में जो घोटाले और गड़बड़ियां हैं उनकी स्वीकृति भी मंत्री जी जाहिर करेंगे और उनके प्रति चिन्ता व्यक्त करेंगे और उनकी दुरुस्ती के रास्ते ढूंढेंगे। मैं यह भी सोच रहा था कि यह जितने अनुदान आये उनसे सम्बन्धित श्रमिकों के बारे में भी माननीय मंत्री जी दो शब्द कहेंगे क्योंकि वही हमारे आधार स्तम्भ हैं और हमारा उज्ज्वल भविष्य उन पर ही निर्भर है। लेकिन मुझे निराशा हुई कि माननीय मंत्री जी ने दो शब्द भी, चाहे झूठे ही सही कहने की तकलीफ गंवारा नहीं की। मान्यवर, मैं तो बड़ा पोथन्ना लाया था लेकिन 15 मिनट में क्या कह पाऊंगा। 15 मिनट की जगह 20 मिनट या 25 मिनट हो जायेंगे। समय कम है इसलिये मैं उन ग्राउन्ड्स पर निवेदन करूंगा जो परमावश्यक हैं।

एक निवेदन तो यह करना है कि जहां तक सड़क परिवहन निगम के कार्य क्षेत्र का सम्बन्ध है वह सवारियों का संचालन, लोगों को आने-जाने की सुविधा देना है और इसका महत्व निर्विवाद है। जैसे शरीर के अन्दर खून नसों में दौड़ता है वैसे ही यह निगम बसों को दौड़ाने का काम करता है। इसलिये इसका महत्व निर्विवाद है। इतना बड़ा

[श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी]

महत्व जिस विभाग का हो अगर उसके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का अवलोकन करें तो मेरा यह विश्वास है कि माननीय सदन के माननीय सदस्यगण ही नहीं बल्कि मंत्री जी भी जिन्होंने यह बहुत सुन्दर सा भाषण दिया हैं वह भी महसूस करना चाहेंगे कि हमारे देश में अगर बस सेवा सबसे खराब जिन जगहों में है उनमें उत्तर प्रदेश भी एक है। यह क्यों है, मान्यवर ? क्या यों हीं ? कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा राज्य है।

इसका इन्तजाम करना मुश्किल है। कैसे किया जाय इसीलिये गड़बड़ी है। यह बात सही नहीं है। बात तो यह है मैं माननीय सदस्यों और सदन के सम्मुख यह निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जितनी लागत लगी है बस सेवा के अन्तर्गत उसका क्या कुछ अंश भी हमको सुविधा और लाभ के रूप में मिल पा रहा है? अगर इसकी व्यवस्था और व्यवस्थापक ठीक होते तो इससे चौगुनी सुन्दर तस्वीर हमारे सामने पेश की जा सकती थी। यह कैसे हो सकता है ? जब इस प्रकार की व्यवस्था है और इस प्रकार के व्यवस्थापक हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है ? मान्यवर, जब से मैं विधायक की हैसियत से यहां आया हूं उस समय से अधिकारी वर्ग से भी सम्पर्क करने का मौका मुझे मिला। ऊंची-ऊंची कुर्सियों पर बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हैं, वे बड़े कुशल हैं, विद्वान हैं और बात-चीत में तो अत्यन्त ही कुशल। मैं भी यही सोचता था कि ये अच्छे लोग हैं और अच्छे मामले इनके द्वारा बनेंगे और मैंने उन से बड़ी-बड़ी आशायें लगा दीं। लेकिन मान्यवर, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, ऐसी चुहिया जिसका पेट बड़ा भारी भरकम हाथी से भी बड़ा है। ऐसे अधिकारी बड़े-बड़े स्थानों पर बैठे हैं, ये सड़क निगम के पदाधिकारी हैं। जनता की सारी कमाई ये लोग डकार रहे हैं और शर्मनाक और गन्दी तसवीर जनता के सामने आती है उससे हम सभी की गर्दन शर्म से झुक जाती है। सिर्फ अधिकारियों के ही कार-नामें नहीं बल्कि ऊपर से नीचे तक सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप जरा इनकी बानगी तो देखें। एक नहीं हजारों केसेज ऐसे हैं जो बताये जा सकते हैं लेकिन आपको सख्त कदम उठाने की हिम्मत होनी चाहिये।

हमारे यहां एक बहुत बड़े अधिकारी हैं श्री बी० एन० माथुर। बड़े कुशल अधिकारी हैं लेकिन मुझे जो मालूम हुआ वह यह है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी के जरिये से उनकी जांच की, भ्रष्टाचार का मामला साबित हुआ परन्तु वे हर मामले से मुक्त हो गये। आज तक कोई कार्यवाही उसमें नहीं हुई। आज भी वे सबसे अधिक रोबदाब वाले अधिकारी की तरह से पूज्य बने हुये हैं। एक और बहुत बड़े अधिकारी श्री बी० एस० मलखानी साहब भी हैं। ये मलखानी साहब हमारे उप प्रधान प्रबन्धक हैं। इनके खिलाफ बहुत जबरदस्त आरोप लगाये गये थे। पिछली बार जब ये पर्यटन विभाग में थे तो उसके विस्तार करने, उसे सुन्दर बनाने और इसकी योजनाओं को सुन्दर रूप देने के लिये केन्द्रीय सरकार की तरफ से एक करोड़ 80 लाख रुपया दिया गया था। मान्यवर, जब यह रुपया दिया गया था तो इसमें से 4 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया और आरोप लगाये गये। आज भी उसकी विजीलेन्स की जांच चल रही है। जब कि वह जांच अभी सामने आयी नहीं, उनके खिलाफ चाहे कुछ हो, उनको पुनः ऐसी जगह पर प्रतिष्ठित कर दिया जहां कि दौलत का खजाना भरा पड़ा है जितना चाहें, जेब भरें। इसी तरह से रीजन्स में भी यही हाल है, डिपोज में यही स्थिति है। सीढ़ी दर सीढ़ी हर स्तर पर गोल-धपाड़ा मचा हुआ है कोई पूछने वाला नहीं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि यदि एक भी मामला ऐसा आयेगा तो फौरन कार्यवाही होगी। मान्यवर, अब मैं जल्दी-जल्दी अपनी बात आपके सम्मुख रखना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। देवरिया और गोंडा में जो डिपोज हैं उनके अन्दर पिछले दिनों एक लाख रुपये का गबन पकड़ा गया था, पिछले 4 महीनों में। स्पेशल आडिट जो निगम का था उसने पकड़ा था। लेकिन मालूम हुआ है कि जो क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय हैं वे उसे दबा देना चाहते हैं। उसमें काफी गड़बड़ियां हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ सुझाव भी आप दें, तो अच्छा होगा।

श्री जगदीश नरायन त्रिपाटी—

अगर इन पर कार्यवाही हो जाय तो यही सुझाव भी हैं। मान्यवर, इसी तरह के बहुत से मामले हैं। पूरे राज्य में 41 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक है और हमें मालूम हुआ है कि इनमें से 11 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों की पदोन्नति होने जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जब स्पष्टीकरण दें तो उस समय यह भी बतायें कि इनमें हरिजन कितने लोग हैं? मेरी जानकारी है कि सिर्फ दो हरिजन हैं। बाकी कोई रिजर्वेशन नहीं है। यदि है, तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरफ मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिये। इसी तरह से मान्यवर, 31 जुलाई, 75 की बात है गोरखपुर में जो क्षेत्रीय प्रबन्धक है वहां पर एक इस्टेब्लिशमेंट क्लर्क 700 रुपया घूस लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया। उसे विजीलेन्स के अधिकारी देख भी रहे हैं। उसके सम्बन्ध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एक दो और महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। हमारे यहां यह जो रीजन्स हैं उनके अन्दर कुछ सहायक अभियन्ता हैं जो उत्पादन अभियन्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं। उत्पादन अभियन्ता के पद पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको अनुभव के आधार पर आगे प्रमोट किया जाता है ऊपर के पदों पर। अभी पिछले दिनों क्या हुआ? सीधे-सीधे ये तमाम लोग जो 4, 5 सालों से काम कर रहे थे उनको छोड़ कर बगैर इन्टरव्यू के, बगैर बुलाए ऐसे लोगों को ले लिया गया जो सीधे ट्रेनिंग करके आए थे और कोई अनुभव नहीं था। इसमें बड़े-बड़े अधिकारियों का हाथ था। यह कैसे हुआ, क्यों हुआ? इसके पीछे कुछ राज हैं। मान्यवर, यह बात विचारणीय है। लेकिन यह हो गया। इससे सारे के सारे स्टाफ में खलबली मच रही है। चाहे बड़ी कार्यशाला हो या छोटी वर्कशाप हो, चाहे मोटर पार्ट्स बेचने की बात हो या इस तरह की दूसरी चीजों की बात हो उसका इस तरह से प्रबन्ध होना चाहिए कि उनका ठीक से इस्तेमाल हो।

इस तरह की रूप रेखा बनाई जाय ताकि काम भी अच्छा हो और आमदनी भी अच्छी हो। अभी तक इस विभाग में बड़ा मिस-यूज होता हैं और बड़े-बड़े आफिसरों के पेट में सारी आमदनी चली जाती है कि डकार भी नहीं आती है और हजम भी हो जाता है। एक उदाहरण नीचे किस तरह से होती है इसका देना चाहता हूं। हमारे यहां बेवर में जो फोरमैन हैं उन्होंने और एस0 एस0 आई0 और एक दो क्लर्कों ने मिल कर एक बड़ा भारी चौखटा बना रखा है। वहां पर तानाशाही वह चला रहे हैं, हर प्रकार की तिकड़म चला रहे है। अभी पिछले दिनों 2 अप्रैल, 1976 को एक गाड़ी आई। कानपुर—छिबरामऊ के लिए कुछ सवारियां थीं और वह वहां के लिए भेज दी गई। वह गाड़ी बाद में फिर लौट कर आ गई और उसकी लिखंतपढ़ंत हो गई। और उसके बाद वह गाड़ी चली गई और फिर रात के 3 बजे गाड़ी आई। जो वहां पर आदमी था उसने उसकी इन्ट्री कर ली। तो मान्यवर, इसमें यह हुआ कि उसके सारे के सारे ट्यूब टायर वगैरह जो थे वह बदल दिए गए। उसकी रिपोर्ट भी की गई। वहां पर जो यूनियन थी उसने रीजनल मैनेजर के यहां शिकायत की और जांच कराने के लिए कहा गया। रीजनल मैनेजर से मेरी बात हुई उन्होंने मंजूर किया कि मामला काफी गड़बड़ी का है। लेकिन आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ। मैंने शिकायत की कि जो फोरमैन हैं उसको बदल दीजिए; एस0एस0आई0 को बदल दीजिए यह बुरी तरह से गड़बड़ी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां पर उन लोगों ने पूरा शिकंजा जमा रखा है और जो आदेश जाते हैं वह लागू नहीं होते हैं।

[श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी]

इसी तरह से एक दो बातें मान्यवर, मैं, जो श्रमिक हैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि किसी भी योजना को पूरा करने के लिए उसके आधार स्तम्भ जो हैं वह श्रमिक हैं। इस रोडवेज विभाग के अन्दर यह जो सड़क परिवहन निगम बना है उसके जरिए से वर्कर्स के साथ किस तरह से गलत व्यवहार होता है, किस तरह से सेवा शर्तों का मजाक किया जाता है, यह बात विचारणीय है। आज भी बड़े पैमाने पर ड्राइवर और कन्डक्टर स्थाई नहीं हैं। जब चाहा उनको नोटिस थमा दिया कि तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है।

तो मान्यवर, आज सारे के सारे वर्कर्स के दिलोदिमाग में एक भय व्याप्त रहता है। ऐसा ही रहा तो इसके रहते विभाग वैसा नहीं होगा, जिस तरह से चलाने की मन्त्री जी ने आशा की है। इसी तरह के पदोन्नति से कोई नियम नहीं बने है, कोई उचित व्यवस्था नहीं है। भले ही यह अफसरों आदि के लिए हों। इसी तरह से उनके भविष्य निधि का हिसाब भी गड़बड़ है, जहां-जहां स्थानान्तरण होंगे, वहां-वहां जमा होगा। एक जगह क्यों नहीं वह जमा हो सकता है? कई जगह होने से उसमें बड़ी गड़बड़ी होती है। उनका मकान भत्ता भी एक मजाक बना हुआ है। मेरा कहना है कि उनके मकान का भत्ता बढ़वाया जाए और सस्ते मकानों की उनके लिए व्यवस्था की जाए। एक मामला ई0 पी0 एफ0 का है, इसमें पहले रसीद दी जाती थी, अब वह भी बन्द कर दी गई है, उसका क्या रिकार्ड है, यह किसी को पता नहीं है। इससे लोग परेशान और चिन्तित रहते हैं। उनके सामने स्थिति बड़ी अन्धकारपूर्ण है। उनके यूनीफार्म का भी सवाल है, जिस तरह से वह मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, इसकी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। इन सारी चीजों को हम देखें और मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत तस्वीर से उसकी तुलना करें तो इन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस गम्भीर स्थिति पर विचार करे और ऐसी परिस्थितियां और माहौल बनाए, जिससे जो महत्वाकांक्षी और सुन्दर-सुन्दर तस्वीरें मन्त्री जी ने पेश की हैं। वे सब सत्य प्रमाणित हो सकें। और हम कह सकें कि जो तस्वीर मन्त्री जी ने पेश की है, उसमें केवल वायदे नहीं अमल की चीजें थीं। अन्त में मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि वह हमारे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, जो परिवहन विभाग है, इसको दो हिस्सों में बांट लें तो एक तो निगम है जो यातायात सम्हालता है और एक प्राइवेट इन्टरप्राइजेज का है। दोनों कारखाने टाइप वर्क है, दोनों इन्कम करने के लिए काम करते हैं। निगम भी एक कारखाना माना जाना चाहिए, जो मुनाफा और नुकसान करता है। कारखाना टाइप जो वर्क है, उसका जो रूप मन्त्री जी ने पेश किया है, वह उत्साहपूर्ण है। पिछले 2-3 साल से ट्रान्सपोर्ट का नक्शा जो कन्ट्रोल नहीं हो रहा था, अबकी बार जो आंकड़े मन्त्री जी ने पेश किए हैं, उनसे स्पष्ट है कि यह काफी ठीक हुआ है। जो इन्होंने शुद्ध इनकम बताई है, उससे स्पष्ट है कि यह निगम सही लाइन पर आ चुका है और आज प्रदेश को और अच्छी यातायात की सुविधायें देगा। इस मसले में निगम के अन्दर दो तरह के लोग अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं। यदि ये सही न चल पाए तो फिर दुविधा होती है। मेरे ख्याल से इनको बहुत अच्छी तरह से चलना चाहिए।

यह कटौती रखने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये है, मैं उनको कोई बहुत महत्व नहीं देता हूं। समाज के अन्दर बहुत कमियां हैं और उन कमियों को दरअसल दूर करना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मेल जोल से काम करें। उनकी सलाह ली जाय। जैसा कि मैं दूसरे स्थानों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर कहता हूं कि कारखानेदार लोग अपने कर्मचारियों से हाथ मिला कर कार्य करें। तो यह परिवहन विभाग जो निगम का काम कर रहा है, यह भी उसी रूप में उसी आधार पर, यदि हम उनको पूर्णतया पार्टनरशिप की शक्ल का न बनायें तो फिर जो मैं माननीय सदस्य का कटौती के प्रस्ताव के आधार पर मैं यह कहूंगा कि काम रुकेगा। वैसे तो मैं यह बता दूं मगरमच्छ की चार आंखें होती हैं। इसके ऊपर और नीचे दो-दो आंखें होती हैं। ऊपर की आंखों को देखकर लोग समझते हैं कि वह कुछ खाता नहीं है, लेकिन उसके नीचे भी आंखें होती हैं, उससे देखकर वह टनों खा जाता है। इस परिवहन विभाग को सम्भालने वाला व्यक्ति जिस नुक्ते नजर से आज अपने बजट को पेश किया है, उसके अन्दर शक्ति है। स्टियरिंग के ऊपर हाथ रखा है। महसूस हो रहा है कि वह ऐसी गन्दी मच्छियों को छोड़ेगा नहीं, खा जाएगा।

तो अब मैं यह थोड़ा सा अपना, चूंकि समय का अभाव है, मैं अपने क्षेत्र की तरफ जाना चाह रहा हूं। दिल्ली में जो हमारी दारुलशफा है, उसमें चार रीजन के लोग तकरीबन हमारे ट्रान्सपोर्ट के जाते हैं और 4 रीजनों में काफी बसें ले जाते हैं। लेकिन वहां जाकर जो देखने में आता है, कितनी बसों की यातायात जाने पर वहां जो हमको सफाई कर्मचारी वहां देखें तो इस तरह से लगता है कि वह बसों को कैसे साफ करें। बस के कपड़े के साथ झाड़ू देने का काम नामुमकिन चीज है। तो उसकी तरफ जरूर ध्यान होना चाहिये कि जिस स्थान से हम इतना कमाते हैं उसको सुविधा देने के लिए भी होना चाहिए। यह और विभागों की तरह क्यों नियत्रित रखा गया है? यह तो कारखानों का आधार है। इन्सान कमाएगा, सेवा करेगा, खिदमत करेगा, तो उसकी इनकम बढ़ेगी। यह तो इसी तरह धन्धे की तरह होना चाहिए। आपका जो धन्धा है और इस धन्धे में नुकसान नहीं होना चाहिए। जहां पर कर्मचारियों की आवश्यकता हो, वहां पर कर्मचारी रखे जायं। बसों की स्पीड बहुत कम है दूसरे प्रदेशों के लिहाज से। उसका मेन रीजन यह है कि सड़कें ठीक नहीं हैं। बसें सही तरीके से स्पीड नहीं बढ़ा सकती हैं। हमारा जो बार्डर का एरिया है वहां जो डेवलपमेन्ट एथारिटी है वह एरिया सड़क की इतनी निकम्मी बनी हुई है कि उसको सही तरीके से लाना जरूरी है। ट्रान्सपोरटेशन के लिए और यातायात के लिये बहुत जरूरी है। मेरठ में लोकल बस सर्विसेज चल रही है। लेकिन उसमें कई दफा चैम्बर्स में और वहां की जनता ने प्रस्ताव किया कि उसमें और बढ़ोत्तरी की जाय और खासकर जो बच्चे स्कूलों के जाने वाले हैं उनको सुविधा दी जाय, इस पर भी ख्याल किया जाय।

अब मैं जो हमारे इन्टरप्राइजेज हैं, उनकी ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत सरकार की ओर से नेशनल परमिट्स देने का विचार हुआ, हमारी प्रदेशीय सरकार ने भी दिए और अन्य प्रदेशों ने भी दिए। इन परमिट्स का ध्येय केवल यह था कि हमारे जो गुड्स हैं, वे शीघ्रातिशीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से पहुंच जायं। एक ओर जहां हम अपनी आवश्यक वस्तुओं के दामों को नीचे लाने का प्रयास करते हैं वहां हमारे प्रोडक्शन करने वालों के भी फर्ज हैं कि वे भी सस्ते दाम पर चीजें बनायें। लेकिन वे यातायात और उसके रेट्स की भी नाप तोल करते हैं। हमने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो नेशनल परमिट्स देने का विचार किया है, वह इसलिए किया है ताकि हमारा यातायात तुरन्त हो जाय लेकिन देखने में आया है कि हमारे पुलिस विभाग के कारण और टैक्स विभाग के कर्मचारियों के कारण हमारे गुड्स बड़ी देर में अपने-अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं। मसलन अगर लखनऊ से दिल्ली किसी ट्रक को

[श्री अजीत सिंह सेठी]

जाना हो तो उस रास्ते में 100 रुपए भरने होते हैं। एक तो पुलों पर खर्चा, टोल टैक्स और चुंगी टैक्स उसे देना पड़ता है। आपको तो चाहिए था कि जो मेन शहर रास्तों में पड़ते हैं उनमें से जाने का परमिट बन जाता था ताकि ट्रक्स बिना किसी रुकावट के तुरन्त निकल जायं और डिलिवरी दे सकें। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में ट्रान्सपोर्ट के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स लगा है। इसे कम होना चाहिए। अगर सरकार को फाइनेन्स की ही जरूरत है तो कोई और योजना बनाकर उसे वसूल किया जाय।

टैक्सीज जो हमारे प्रदेश में चलती हैं, अमूमन उनके 2 कलर्स होते हैं। प्रदेश के लिए तो ठीक है लेकिन जो टूरिस्ट लोग हैं अगर वे प्रान्त के बाहर जाना चाहें तो उनके लिए एक कलर की टैक्सी होनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि अगर कोई वैधानिक आपत्ति न हो तो मेरी तजवीज को स्वीकार कर लें।

अन्त में मेरी माननीय मन्त्री जी से एक प्रार्थना है कि जिस सख्ती के साथ वे इस विभाग को सम्भाल रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत पुलिस विभाग द्वारा होती है, उसे दूर कराया जाय। अभी तक तो हम रेलवे की चोरी से ही परेशान थे अब इन ट्रकों में चोरी होने लगेगी। ये जहां भी चुंगियों पर रुका करेंगी, उनमें पीछे से चोर चढ़ जाया करेंगे और रास्ते में माल गिरा दिया करेंगे। तो पुलिस की जो दखलअन्दाजी होती है, वह न हो।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपके जो आर० टी० ओज० के कार्यालय हैं उनमें प्राइवेट एन्टरप्राइसेज वालों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं होती है। पानी तो मांगना दूर रहा, वहां पर बैठने तक की सुविधा नहीं होती है। उनको इस प्रकार की छोटी-मोटी सुविधायें प्राप्त होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मान्यवर, मैं 2-1 बातें जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, उनकी ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके बाद अपने क्षेत्र के बारे में कुछ निवेदन करूंगा।

यह जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्य-कलापों पर टिप्पणी नामक पुस्तक बंटी है, इसके प्रथम पृष्ठ पर जो इबारत है उसमें लिखा है कि आराम देह, सस्ती एवं कुशल परिवहन व्यवस्था। आरामदेह के बारे में अगर आप किसी बस में गए होंगे जो शहरों को नहीं जोड़ती है, जो बसें, आप ग्रामीण जनता के लिए चलती हैं तो आपको श्रीमन्, अनुभव होगा कि कितनी आरामदेह है? आपको अनुभव तो होगा ही?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं जिस गाड़ी में चल रहा हूं उसी का अनुभव है। जो सरकार की गाड़ी है, जितनी उसकी कीमत है उससे ज्यादा कीमत मरम्मत में लग गयी और फिर भी ठीक नहीं चलती?

कुंवर श्रीपाल सिंह—

यही निवेदन करने का मेरा तात्पर्य है कि जो बसेज हैं वह कितनी बढ़िया हैं। मानता हूं कि 10-20-50 होंगी, लेकिन मैं अपनी बात नहीं, माननीय बहुगुणा जी की बात कहूंगा, जब वह मुख्य मन्त्री थे। सम्मानित सदस्यों की एक कमेटी थी। मैं भी उसमें सदस्य था, उसकी बैठक में माननीय बहुगुणा जी ने कहा था। एक बड़े भारी अफसर थे उनका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाम तो याद नहीं है। उनसे जब यह बात आयी बसेज की तो उन्होंने कहा कि जनाब, आप 24 मील खाली इन बसेज में चले जाइए और उसके बाद उतर कर बात कीजिए तो समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं? आप बड़ी-बड़ी मोटरों में, डाज और शिवरलेट में चढ़ कर जाते हैं तो आपको पता नहीं है कि बसेज कैसी हैं। तो "आरामदेह" का आराम तो यह है सस्ती के बारे में यह है कि मन्त्री जी ने कहा भाषण में कि सस्ती सेवा है, आम जनता की ट्रेन छूट जाती है तो गरीब बस से चला जाता है। मगर बस का किराया रेल के किराये से दूना। जितनी दूरी आप 80 पैसे में जा सकते हैं ट्रेन में, उतनी जाने के लिए 1 रुपया 80 पैसे देने पड़ेंगे और चीज है गरीबों के लिए। तो मैं यह विरोधाभास का जिक्र कर रहा था।

कुशलता की बात जो है, बसेज बड़ी कुशलता से चल रही हैं। तो केवल इतना निवेदन करूंगा कि गांव वाली बात मैं कह रहा हूं, शहर की नहीं, क्योंकि शहरों मे आजकल छूट रहा हूं, देहात में रह रहा हूं, उनसे ही सम्बन्ध है, उनकी ही चीज देख रहा हूं। कोई-कोई बस जो गांव में रुकती है उसका कन्डक्टर, ड्राइवर ये दोनों जहां बस रुकती है उससे दो-चार मील की दूरी के रहते हैं। अपना सिस्टम भिड़ा करके बने रहते हैं। बस का टाइम 8 बजे का है तो कन्डक्टर 10 बजे आयेंगे, ड्राइवर साहब 10 बजे आयेंगे और यात्री बैठे हुए हैं, बक्सा रखा हुआ है और उसकी पत्नी उस पर बैठी रहेगी और जो पुरुष हैं वह इधर-उधर दौड़ कर देखता रहेगा कि किधर से बस आ रही है, किधर से कन्डक्टर और ड्राइवर आ रहे हैं। तो यह कुशलता की चीज है। कभी-कभी यह स्थिति होती है कि एक के पीछे एक तीन बसेज आ जाती हैं। वैसे लोग घंटों बैठे रहते हैं, एक भी नहीं आएगी और कहीं 5 मिनट के अन्दर 3 बसेज और तीनों में बहुत कम यात्री, खाली। तो यह तो कुशलता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि श्रीमान् जी, अपने हाथ से अपनी पीठ ठोंक कर शाबासी ले लेने से काम नहीं चलेगा। बहुगुणा जी की बात निवेदन करूंगा अपने परिवहन मन्त्री जी से कि आप नौजवान आदमी हैं। आपके अन्दर आकांक्षा है एक चीज को और अच्छा बनाने के लिए तो आप कृपया मोटर से हमेशा उतर जाया कीजिए और [अपने घर रुदौली जाएं] तो मोटर से न जाएं, जरा बस पर चढ़ जाया करें और किसी परिवहन अधिकारी को मालूम न हो कि आप जाने वाले हैं, फिर कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। सारा नक्शा आपके सामने आ जायगा और उस नक्शे के अनुसार आप अपना कार्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—
पूरी नींद से सोयेंगे।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

एक दो आदमियों की जरूरत पड़ेगी बदन दबाने के लिए। भीड़ बचाने के लिए यह परिवहन निगम बस चलाता है। भीड़ की हालत यह है कि जौनपुर से एक बस आ रही थी तो एक बूढ़ा कोई बैठा हुआ था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक स्टाप पर कुछ लोग आए तो वह सीट के नीचे घुस गया। सीट के नीचे इस बुरी तरह से वह घसे कि सांस नहीं ले सके और जब अगले स्टेशन पर उनको निकाला गया तो बेहोश थे। तो भीड़ की तो यह दशा है। इसका कारण यह है कि जैसे टाइमिंग्स सेट होने चाहिए, वह नहीं हैं।

अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि 50 करोड़ रुपया इनका विभाग सरकार को दे देगा। बड़ी खुशी की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप इसमें सफल

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

हों। लेकिन अगर आप इस पुस्तिका को देखिए तो जब से यह निगम बना है तबसे इन्होंने लाभ का प्रतिशत तक नहीं दिया। इससे पहले लाभ का प्रतिशत था 10.70। निगम बनने के बाद से लाभ का प्रतिशत क्यों नहीं दिखाया यह भगवान जाने।

पर्यटन के बारे में थोड़ा सा निवेदन करूंगा। मेरे सुल्तानपुर जिले में एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है जिसका नाम है धोपाप। वहां स्वयं भगवान रामचन्द्र जी जब लंका जीत कर लौटे थे तो आए थे। गोमती नदी के निकारे यह स्थल है और गंगा दशहरा के दिन लाखों आदमी वहां इकट्ठा होता है। वहां तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। लोग पगडंडी से पैदल वहां जाते हैं। तो कम से कम सड़क तो वहां बना दें ताकि लोग आसानी से पहुंच सकें और उनको आराम मिले। मैं माननीय मन्त्री जी को शुभकामना ही दे सकता हूं। उम्र में तो वह छोटे हैं, हैं भाई मेरे इसलिये आशीर्वाद दे सकता हूं कि अपने प्रयास में वह सफल हों।

कुमारी रमा पन्त (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, पर्यटन और परिवहन विभाग के सम्बन्ध में मैं खासतौर से चर्चा करूंगी। पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन को एक प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित करने की सरकार की नीति रही है। इस सन्दर्भ में परिवहन विभाग का सहयोग बहुत ही अपेक्षित है। पर्वतीय क्षेत्र का जो प्राकृतिक सौन्दर्य है छटा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब लोग वहां पहुंच जाते हैं तो अभिभूत और विमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन यह वहां पहुंचें कैसे? जो यात्रा करने जाता है वह कुछ सुविधाएं चाहता है और हमारे यहां तो मोटर मार्ग के द्वारा ही कुछ मिल सकता है। इस विभाग की जो पुस्तिका मिली है उसमें भी कुशल व्यवस्था की बात कही गयी है। इसको पढ़ कर और माननीय मन्त्री जी ने जो भाषण दिया उससे भी हम आशान्वित हैं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र के सन्दर्भ में इसे अधिक विकसित करने की कार्यवाही की जायगी। जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे पर्वतीय इलाके में दूर-दूर हमारे सुरम्य स्थान हैं। परिवहन के लिए हमें वहां बसों की ही आशा है। पिथौरागढ़ में पुरानी बसें चल रही हैं और भी जगहों पर कोई नयी बसों की योजना नहीं है। जैसा कि मैंने कहा; पर्यटक सुविधा चाहती हूं लेकिन यदि कोई पर्यटक असुविधाओं को पाते हुए भी वहां पहुंच जाता है तो फिर वह बार-बार वहां पहुंचने की अभिलाषा करता है। लेकिन जो वहां नहीं पहुंच पाते, वह वंचित रह जाते हैं।

सुविधा के सन्दर्भ में जहां तक गाड़ियों की बात है, उसके साथ ही बस स्टेशनों के सुधार की भी बहुत आवश्यकता है। बस स्टेशनों को सुविधा-जनक बनाना चाहिए। मैं हल्द्वानी बस स्टेशन का जिक्र करना चाहती हूं। उसकी हालत बहुत खराब है जब कि काफी संख्या में पर्यटक तथा जनता वहां से हर दिन आया जाया करती है। वहां के जन प्रतिनिधियों ने तथा नागरिकों ने पहले भी कई बार उसके लिए लिख कर भी दिया कि बस स्टेशन की व्यवस्था को सुधारा जाय, पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। रानीखेत का भी बस स्टेशन बहुत खराब है। उसकी व्यवस्था भी ठीक होना बहुत आवश्यक है ताकि पर्यटकों को असुविधा न हो। उधर से भी काफी संख्या में पर्यटक हर दिन गुजरते हैं।

माननीय मन्त्री जी ने, अपने भाषण में कहा कि जन सेवा का उनका लक्ष्य है। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले वर्ष जो यात्री-कर बढ़ाया गया और टिकटों की कीमत बढ़ाई गयी उससे हमारे यहां की जनता को बहुत परेशानी है क्योंकि उनके लिए केवल बस ही आने जाने का एक मात्र साधन हैं। किराया उनका पहले से ही ड्योढ़ा था, इसी अनुपात से अब यह और बढ़ गया है। किराए में 40 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। सब मिलाकर 60 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि अगर सम्भव हो तो वे अपनी जन-सेवा की भावना के अनुरूप इस प्रश्न

पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और कुछ सहायता करें ताकि वहां की जनता को इतना पैसा न देना पड़े।

पर्यटकों को सुविधा देने की दृष्टि से उनके आवास की व्यवस्था का ठीक होना भी बहुत आवश्यक है। माननीय मन्त्री जी इस बात पर अपने भाषण में प्रकाश डालें कि वे जनता को निजी मकान बनाने के लिए किस प्रकार से सहायता करना चाहते हैं वे किस तरह की सहायता देंगे ताकि जनता निजी मकान बना सके। हम चाहते हैं कि सीजन के दिनों में भी पर्यटक उनमें रहें, उसके बाद शेष अवधि में तो वहां के लोग भी उसमें रहें। माननीय मन्त्री जी ने राज्य सम्पत्ति विभाग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मैं इस विभाग के सन्दर्भ में इतना कहना चाहती हूं कि विधायकों के लिए जो आवास की व्यवस्था है वह सुविधाजनक नहीं है। हम लक्जरी नहीं मांगते, लेकिन इतना अवश्य चाहते हैं कि यदि 4-6 लोग हमारे यहां आ जायं तो उनके ठहराने में असुविधा न हो। 2-4 कुर्सी और एक दो पलंग दिए जाते हैं जो कम पड़ जाते हैं। मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इस बारे में भी विचार करने की कृपा करें ताकि जो मुश्किलात हमको पेश आ रही हैं उनसे कुछ राहत मिले।

इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का, जिनको माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, समर्थन करती हूं। आशा है माननीय मन्त्री जी मेरे सुझावों पर गौर करेंगे। धन्यवाद।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, अभी-अभी माननीय मन्त्री जी ने बजट भाषण शुरू किया तो वह कह रहे थे कि किसी की रेल जब छूट जाती है तब वह बस से सफर करता है। मान्यवर, मैं कहता हूं कि वह बड़ा बदकिस्मत है जिसे बस का इन्तजार करना पड़ता होगा। रेल में जो बैठ गया वह तो पहले पहुंच जाएगा और आपकी जो मोटर हैं वह बाद को पहुंच सकेंगी। मान्यवर, इस इमरजेन्सी का सब जगह तो कोई न कोई इफेक्ट है, सबसे बड़ा इफैक्ट रेलवे के ऊपर है, लेकिन आपके इस विभाग पर इमरजेन्सी का कोई इफैक्ट नहीं है। रोड-वेज की गाड़ियां बराबर लेट चलती हैं। वह भी आधा घंटा और पौन घंटा लेट नहीं बल्कि 4-4-घंटे तक लेट आती हैं। अगर किसी को देहरादून जाना है, तो वह लाइन में खड़ा रहेगा, फिर कहा जाएगा कि सर्विस कैंसिल। फिर वह बेंच पर बैठ जाएगा। उसके बैठने की भी कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। फिर वह दोबारा खड़ा हुआ लाइन में, फिर कह दिया गया कि सर्विस कैंसिल। इस तरह से इमरजेन्सी का आपके डिपार्टमेन्ट में कोई इफैक्ट नहीं है। पहाड़ों पर पुरानी गाड़ियों की बात कही गयी। मेरा ख्याल है कि जो टूरिस्ट एक बार कभी आपकी गाड़ी में बैठकर आ भी जाएगा तो वह कान पकड़ लेगा कि अब दोबारा वह उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा। यह आपका टूरिज्म है।

जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात है, आप अपनी कोई न कोई नीति बना लीजिए। जब भी कोई मिनिस्टर आता है वह अपनी नयी नीति बना लेता है। कभी आपने पालिसी बनायी फ्री परमिट की, फिर पालिसी बनायी कि फ्री परमिट नहीं, कभी पालिसी बनायी कि मिनी बसेज नहीं चलेंगी, फिर पालिसी बनायी कि मिनी बसें चलेंगी, फिर बना लीं कि नहीं चलेंगी। कोई एक नीति बना लीजिए। अगर राष्ट्रीयकरण करना है तो राष्ट्रीयकरण किया जाय, राष्ट्रीयकरण न करना हो तो मत कीजिए। एक नीति बना लीजिए ताकि लोगों को अहसास होवे कि अपने विभाग में आप क्या करने जा रहे हैं। आप उन रूट्स का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

राष्ट्रीयकरण नहीं करते हैं जहां कि अधिक आमदनी हो सकती है। आप उन रूट्स का राष्ट्रीयकरण कर लेते हैं जिनसे आमदनी कम होती है। आपके विभाग के अन्दर जो आलम है वह आप जानते हैं। जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, वे आपके अधिकारियों को पैसे दे देकर उनको अपनी जेबों में रखते हैं लिहाजा जिन रूट्स पर आमदनी नहीं होती है उन रूट्स को नहीं लेते हैं। पहाड़ों पर जिन रूट्स पर विभाग की आमदनी हो सकती है। उसको वे नहीं ले रहे हैं। जैसा कि रमा जी कह रही थीं, गाड़ियों की हालत बड़ी खस्ता है। आपका जो आर0 आई0 होता है उसको ऋषिकेश में 15 दिन के लिए भेज दीजिए वह भेष बदल कर जाकर देख लें कि वहां क्या होता है? चार-चार घंटे तक गाड़ियां रास्ते में पड़ी रहती हैं और उनकी मरम्मत नहीं हो पाती। वहां 30 रुपए प्रति गाड़ी देकर 15 दिन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दी जाती है। गाड़ियां खड़ी पड़ी रहती हैं। कोई पूछने वाला नहीं है।

जहां तक पर्यटन की बात है, हरियाना के अन्दर नकली झीलें बनायी जा रही हैं और आपका उत्तर प्रदेश तो इस मामले में बड़ा ही खुश किस्मत है। इस प्रदेश के उत्तरी सिरे पर हिमालय है, बद्रीनाथ, केदारनाथ की पवित्र तीर्थ स्थली है, गंगोत्री और जमुनोत्री का उद्गम स्थल भी इसी उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध, कृष्ण और राम की जन्मभूमि भी इसी उत्तर प्रदेश के अन्दर है। इसके लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आकर्षण आपके यहां है उसे देखने के लिए कोई आदमी आना चाहता है तो उसके लिए आपके यहां सुविधायें क्या हैं? आप फरमाते हैं, मन्त्री जी ने कहा कि हम करोड़ों रुपए चाहते हैं। तो रोकता कौन है? जब यह बजट बना होगा तो मीटिंग में आप भी शामिल हुए होंगे, क्यों नहीं आपने इसका सवाल उठाया? आलम क्या है, आप कह रहे हैं कि करोड़ों चाहते हैं लेकिन हमको शिकायत है कि जितना आपको मिला है उतना ही खर्च नहीं हो पाया है। आपने एक पुस्तिका छापी है। चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तराखंड के तीन जिलों के लिए 63 लाख 7 हजार रुपए का परिव्यय निर्धारित था जिसके विरुद्ध 54 लाख 16 करोड़ रुपए खर्च हुए। 63 लाख में से 54 लाख खर्च हुए। अभी आपको शिकायत है कि कमी है! आपको जो मिला है आप उसी को खर्च नहीं करते हैं तो इसका आप क्या जवाब देंगे? आगे आप फरमाते हैं कि 1974-75 के लिये वार्षिक योजना में रुपया 10 लाख 95 हजार मैदानी क्षेत्रों के लिए एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिये 22 लाख रुपए का प्राविधान किया गया था। यानी कि 32 लाख 95 हजार रुपए का प्राविधान था 1974-75 में लेकिन आपने खर्च किया है 22 लाख 65 हजार रुपया। जो आपको मिला आप उतना नहीं खर्च कर सके: इसका क्या जवाब है आपके पास? आप कहते हैं कि हमारा बजट कम है पूरा रुपया नहीं मिला। मगर मैं कहता हूं कि जो रुपया आपको मिला उसको आपने क्यों खर्च नहीं किया? फिर आप कहते हैं कि पर्यटन का विकास करेंगे। हरी भरी दुनियां आप दिखा रहे हैं। यह इतना निकम्मा विभाग है कि आप रुपया खर्च ही नहीं करा पाते।

मान्यवर, मन्त्री जी ने कोआर्डिनेशन की बात की। आर्या जी की और लोकपति त्रिपाठी जी के साथ कोआर्डिनेशन की बात कही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपके टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट में क्या हो रहा है। आपका हिल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन है, टूरिस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन है इन विभागों में क्यों नहीं कोआर्डिनेशन हुआ? आप पी0 डब्ल्यू0 डी0 और सिंचाई विभाग की बात करते हैं, वह न कीजिए पहले आप अपने विभागों में कोआर्डिनेशन कीजिए। आज आपको आर्या जी और त्रिपाठी जी की याद आ रही है। मान्यवर, फूलों की घाटी बेहतरीन जगह है। दुनियां के अन्दर जिसका जोड़ नहीं है। इसी तरह से ड्योड़ी ताल, ग्लेशियर्स हैं आप इनकी तरफ देखिए। आज सड़क की याद आ रही है लेकिन जब आप पी0 डब्ल्यू0 डी0 में थे तो क्यों नहीं याद किया? अगर शुरू से

ही सुनियोजित तरीके से कोआर्डिनेशन करके कार्य किया गया होता तो बहुत कुछ कर पाते। आज आपको टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट की याद आती है अगर पी0 डब्ल्यू0 डी0 आपके पास आ जाय तो आप टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट को भूल जायेंगे।

मान्यवर, जब मन्त्री जी बोल रहे थे तो राज्य मन्त्री जी गैर हाजिर थे। मुझको तो ऐसा लगता है कि शायद उनको मालूम ही नहीं था कि आज उनका बजट है। मैं हकीकत बता रहा हूं। आपके डिपार्टमेन्ट का क्या हाल है? 2 साल में पर्यटन के 2 सचिव बदल गए। 2 डाइरेक्टर बदल गए तो क्या आप पर्यटन में उन्नति कर पायेंगे। एक सेक्रेटरी ने इनीशियटिव लिया जब तक अमल होता कि दूसरा आ गया। तो पहले वाले सचिव के दिमाग में कुछ और था, बदल कर दूसरे आ गए तो उन्होंने कुछ और कर दिया। अब मान्यवर, 10 हजार टूरिस्ट हट्स बनायेंगे लेकिन योजना अभी तक कुछ नहीं है कि कहां बनेंगे और कैसे बनेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी बैंक से या फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन से बातचीत की है और वह पैसा देने के लिए तैयार है कि नहीं? योजना बनायी है कि नहीं? कुछ पता नहीं है किन्तु अखबार में छापने के लिए कह दिया कि हट्स बनेंगी। यदि इस प्रकार चलेंगे तो आप न टूरिज्म को प्रोमोट करेंगे और न उसका विकास ही करेंगे। केवल शौक के लिए कह दिया है।

मान्यवर, मन्त्री जी से अन्तिम रिक्वेस्ट है कि वह सप्ताह में या तीन दिन में कुछ ऐसा निश्चय कर दें कि आपकी सुविधा के मुताबिक हम आपसे मिल सकें चाहे घर पर या आफिस में। बहुत से माननीय सदस्य आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन वह नहीं मिल पाते हैं। धन्यवाद।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी के पर्यटन तथा परिवहन बजट का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। हम आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि सुझावात्मक दृष्टि से कुछ बातें कहना चाहते हैं। हमारे सुल्तानपुर में मन्त्री जी जानकारी कर लें कि जितनी गाड़ियां हैं उसमें 3/4 साढ़े तीन लाख या साढ़े चार लाख किलोमीटर तक चल चुकी हैं हमारे क्षेत्र इसौली में चूंकि हमारा पिच रोड कोई नहीं है बल्कि कंकड़ की सड़क है वहां टूटी बसें चलाई जाती हैं। मैं जब अपने क्षेत्र में जाता हूं तो ऐसे अवसर आये हैं कि ठेलते हुए भी गाड़ियां नहीं चलीं और रास्ते में ठहरना पड़ा। इसलिए यह जो पुरानी गाड़ियां हैं और आपने जो आश्वासन दिया है उससे विश्वास हो गया है कि वह आप नयी रिपलेस कर देंगे। मान्यवर, कुछ क्रेश प्रोग्राम से सड़कें बनायी गयी हैं जैसे मेघमऊ, बघोना यदि वहां कुछ बसें चला दें तो उससे जनता को आराम हो जायगा। आपने जैसा बताया कि मिनी बसें बन्द कर दी गयी, तो ठीक हुआ। लेकिन इतना एसेसमेन्ट इस विभाग को कर लेना चाहिए कि जो गाड़ियां चल रही हैं उनके इतनी कैपेसिटी हो कि जितने यात्री हों उनको सुविधा दे सकें। जिस प्रकार मेले में यह विभाग इक्सट्रा बसें चलाता है उसी प्रकार शादी में भी बसें चलाना चाहिए। हमने देखा है कि शादी में मिनी बसों के अभाव में दूल्हे को ट्रक पर ले जाते हुए। हमारे जिले में कादीपुर का स्थान है वहां 50 गाड़ियां प्रतिदिन पास होती हैं। ढाई हजार यात्री प्रतिदिन गुजरते हैं। वहां पीने के पानी का भी इन्तजाम नहीं है। हैंड पाइप लगा नहीं सकते। जो स्टेट ट्यूबवेल नजदीक में हैं वहां से ही कुछ इंतजाम पानी का कर सकते हैं। साथ ही कम से कम वहां एक स्टेशन इंचार्ज भी होना चाहिये। इसके अतिरिक्त एक कैन्टीन की भी व्यवस्था हो जानी चाहिये। इसी तरह गुप्तारगंज कूड़ेभार, दोस्तपुर का स्थान है। वहां से अनेक बसें पास होती हैं।

[श्री अम्बिका प्रसाद सिंह]

वहां स्टेशन बना दें। एक सुझाव और देना चाहता हूं जिससे विभाग की आमदनी बढ़ेगी। सुल्तानपुर के चारो तरफ जो सड़क आती है उन पर सिटी बस चला दें। जैसे सुल्तानपुर से लमुहारू, रामगंज, धम्मौर, अलीगंज, कुरवार, कुड़ेभार, धनवतगंज, भोगतपुर। यहां 9 गाड़ियों की व्यवस्था कर दें।

एक बात करप्शन के बारे में कहना चाहता हूं। जिस तरह से रेलवे मे मजिस्ट्रेट की चेकिंग होती है उसी तरह से परिवहन में हो। अगर कोई बगैर टिकट पाया जाय तो कण्डक्टर और उस यात्री दोनों को जेल भेज दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जैसा नेगी जी ने कहा वह सही है कि इस एमरजेन्सी में भी इस विभाग पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस प्रकार वर्कशाप के लिये एक चेकिंग स्क्वैड बना दें। उसमें भी तभी सुधार हो सकता है। पर्यटन के विषय में भी एक सुझाव है। सुल्तानपुर अवध का अंग है। विजथुवा महावीर में कालनेमि का वध हुआ था और यह एक धार्मिक स्थान है। धोपाप वह जगह है जहां पर लंका विजय करने के बाद राम ने स्नान किया था। कुड़ेभार में बौद्धकालीन ऐतिहासिक जगह मिली है। अमेठी में मलिक मोहम्मद जायसी की मजार है। अगर इनको पर्यटन का स्थान बना दें तो बड़ा हित होगा। लाल बत्ती का हम आदर करते हैं इन चन्द सुझावों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मुझे दो बातों पर मुख्य रूप से प्रकाश डालना है। एक बात तो बसों से सम्बन्धित है और दूसरी पर्यटन से। अन्य बहुत से सुझाव आ चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि विभाग में जो मुख्य गड़बड़ियां हैं उनकी ओर मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया है। लखनऊ से कोई बस आजमगढ़ या बलिया को जाती है तो हर दस बस में एक बस ऐसी होगी जो सड़क पर डीजल की लकीर छोड़ती जाती है। मरम्मत के बाद कानपुर या लखनऊ से बस निकली है तो उसकी हालत यह होती है। मैं अपने जिले के फैजाबाद डिपो की बात बताना चाहता हूं।

वहां से जितनी गाड़ियां निकलती हैं वे पहले डिपो में जाती हैं और हर एक गाड़ी की मरम्मत होती है लेकिन वहीं पर घपला कर दिया जाता है और चीजें बदली जाती हैं। हर एक बस रास्ते में घंटों के लिये खड़ी हो जाया करती है। कानपुर से एक बस टान्डा जाती है। मैं उसी बस से पारसाल गया और मुझे भिटरिया में 4 घंटे तक रुकना पड़ा। मैं अपने क्षेत्र में चलने वाली बसों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बार मैंने जलालपुर के लिये एक बस किराये पर ली थी। जलालपुर एक बुनकरों की प्रमुख बस्ती है और उसका सम्बन्ध विशेषरूप से कानपुर से है और भी वहां पर कई उद्योग हैं और वह एक अच्छी कपड़ों की भी मंडी है। हमारे यहां कोई ट्रेन नहीं है, करीब स्टेशन नहीं है। भूतपूर्व मंत्री जी से भी मैंने बस सर्विस के विषय में निवेदन किया था और अधिकारियों तक भी मैंने इतनी दरख्वास्त दीं कि बन्डल हो गया होगा परन्तु कुछ हुआ नहीं। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था परन्तु फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं राज्य मंत्री के कार्यालय में भी गया और वहां से भी आश्वासन मिल गया परन्तु क्या कुछ हुआ? मैं यहां से शुक्रवार को जाता हूं और शनिवार को अपने क्षेत्र में दोपहर 12 बजे पहुंचता हूं। यह तो 20 किलोमीटर की दूरी की बात है। मैंने रेफरेंस भी दिया था कि देवरिया और कसया के बीच में सात गाड़ियां चलती हैं जो खाली जाती हैं, वहीं से कुछ प्रबन्ध हो जाय। गाजीपुर से आजमगढ़ सुल्तानपुर होते हुये 6 गाड़ियां चलती हैं। परन्तु हमारे क्षेत्र में बसों का सर्वथा अभाव बना है। मैं एक उदाहरण दूं कि एक बार मेरी वाइफ बहुत बीमार थीं और उनको ट्रेन से नहीं लाया जा सकता था परन्तु मैं कोशिश करने पर भी बस को नहीं पकड़ सका। आप यहां की आवश्यकता को तो देखें। जलालपुर अहरौला तक एक सिटी बस चलाई जानी चाहिये। मैंने इसके लिये रिक्वेस्ट भी की थी। हमारे फैजाबाद बस सर्विस की भी बड़ी

दुर्दशा है। जो वहां का बस सेन्टर है वहां पर पानी का बड़ा भारी अभाव है। वहां पर एक भी नल नहीं है। फैजाबाद बस सेन्टर से जो गाड़ियां निकलती हैं, वहां पर जो मेकेनिक्स गये हैं वे सभी सामान चुराते हैं। नतीजा यह होता है कि गाड़ियां रास्ते में खराब हो जाती हैं और पैसिन्जर को बड़ी भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये फैजाबाद बस स्टेशन पर आपको तुरन्त ध्यान देने की जरूरत है।

*श्री राम लखन (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे परिवहन और पर्यटन विभाग की अनुदानों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, ये विभाग ऐसे हैं जिनसे हमारे पूर्वी जिलों को बड़ा बल मिला है। प्रार्थी माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इलाके में बस लाइन न होने केकारण लोगों को ट्रेन से आना जाना पड़ता है जिससे उन्हें काफी असुविधा होती है। आपात कालीन स्थिति की घोषणा के बाद सुधार अवश्य हुआ है लेकिन फिर भी गाड़ियों की संख्या इतनी कम है कि हम लोगों को समय से लखनऊ या कानपुर पहुंचना असम्भव हो जाता है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय गाड़ियों की संख्या वहां बढ़ायें। जैसा कि माननीय भगौती प्रसाद जी ने कहा है कि कही तो खाली बस ही जाती है और कहीं खाली नहीं मिलती है। यह बात जरूर है कि बसों का किराया ट्रेन से ज्यादा हो गया है। आज तक किराया इतना ज्यादा नहीं था इसलिये लोग अपना काम वगैरह करके अपने निवास स्थान को सुविधा से लौट जाते थे लेकिन आज किराया बढ़ा दिया गया है। मेरे क्षेत्र हरैया में बस रुकती नहीं हैं। लखनऊ से जो बस चलती है, हरैया में उसका स्टेशन नहीं है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे ऐसे आदेश दें कि वहां पर बसें रुकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बसें आपके विभाग के द्वारा चलती हैं उनकी दशा बहुत ही जीर्ण है। धकापेल गाड़ियां चलती है। इसका मुख्य कारण यही है कि वर्कशापों में चोरियां होती हैं। जहां पर डांट फटकार दी जाती है तो कहा जाता है कि उन्हें सामान नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि निगम तो सामान देता ही होगा। हमें विश्वास है कि जिस शान के साथ मंत्री जी ने कहा है, पूरे प्रदेश में बसों के द्वारा सुविधा हो जायेगी। आज ही मैंने निगम के बड़े उच्च अधिकारियों से बात की तो मुझे बताया गया है कि नई बसें भेज दी गई हैं। हमारा बस्ती जिला बहुत बड़ा है, जनसंख्या भी ज्यादा है। वहां के लोगों को ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पाती।

तीसरी बात यह है कि जहां कहीं भी रास्ते में बसें खड़ी होती हैं—बाजार में या सेन्ट्रल मुकाम पर, वहां पर गर्मी, बरसात से बचने के लिये कोई सुविधा नहीं है। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि हर स्टेशन पर जहां बस रुके वहां पीने के पानी की सुविधा हो और गर्मी, सर्दी तथा बरसात से बचने के लिये शेडों की व्यवस्था की जाय।

पर्यटन विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे बस्ती जिले के हरैया तहसील में मखौरा नामक स्थान है जहां महाराज दशरथ ने मन्हैयत की थी और भगवान ने जन्म लिया था। वहां पर आज भी इसका मेला लगता है। मैं चाहता हूं कि वहां पर पर्यटन विभाग की ओर से व्यवस्था हो जाय। मान्यवर, मैं फिर अपने मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस शान और सख्ती के साथ उन्होंने बजट पेश किया है उसका हम लोग समर्थन करते हैं और उनका बजट का उद्देश्य पूरा होना चाहिये जिस उद्देश्य के लिए वह बना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

(परिवहन मंत्री के खड़े होने पर) दो तीन सदस्य और बोलने वाले हैं, उनको बुला लेते हैं, फिर आप बोलें।

बाबू प्रभाकर सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, हमारे परिवहन मंत्री जी ने बजट के सम्बन्ध में जो भाषण दिया वह बहुत ही आश्वासनपूर्ण है और उससे दो बातें उभर कर आई हैं। पहली बात तो यह है कि इस प्रदेश को परिवहन से एक करोड़ से ऊपर का लाभ हुआ है और उत्तरोत्तर इस बात का प्रयास जारी रहेगा कि आमदनी चौगुनी हो जाय। दूसरी बात यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य में बस सेवा लोकोपयोगी हो।

श्री उपाध्यक्ष—

किराया बढ़ा कर मुनाफा हो या कार्यक्षमता बढ़ा कर।

बाबू प्रभाकर सिंह—

सेवायें जो हों वह लोकापयोगी हों। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि इसमें लाभ हानि का ध्यान नहीं रखा जायेगा। जहां तक आय बढ़ाने का सवाल है मेरा यह ख्याल है कि गतवर्ष भाड़े में वृद्धि की गई थी और इससे फायदा हुआ है। इसलिये ये आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि आमदनी आगे बढ़े और इस विभाग की सेवा लोकोपयोगी हो सके।

जहां तक बस सेवा बढ़ाने की बात है उन्होंने बताया कि शहरों में सेवायें बढ़ गई हैं और निकट भविष्य में एक हजार आठ सौ के लगभग और बसें बढ़ेगी। यह बात कही गई है कि कोई स्थान ऐसा नहीं होगा जहां से राजधानी को न जोड़ दिया जाय। मैं उनकी इस बात की सराहना करता हूं और इस सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहूंगा। जहां आप बसों का विस्तार करेंगे वहां उसके साथ जो छोटी-मोटी दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिये प्राथमिकता दी जाय। बस स्टेशनों पर समय से खिड़कियां खुल जाया करें, लोगों को समय पर टिकट मिल जाया करे, लोगों की जेब न कटे और बसे समय पर छूट जाया करें और समय पर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच जायं, यात्रा निरापद हो, हमारे साथियों को बस ढकेलना न पड़े, इन सब बातों पर ध्यान देने की भी जरूरत है ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। मैं देख रहा हूं कि हमारा परिवहन विभाग सजग है। आज हमारा जो राष्ट्रीय नारा है हमारी जो राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं उनका भी यह विभाग पर्याप्त प्रचार कर रहा है। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

मैं सुन रहा था कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका स्थानान्तरण कर दिया जाये। मैं इस राय से सहमत नहीं हूं कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उसको स्थानान्तरित कर दिया जाय तो वह ठीक हो जायेगा। वह तो एक जगह की गंदगी को दूसरी जगह ढकेल देने वाली बात होगी। ऐसी कोई प्रशासनिक व्यवस्था की जाय कि उस अधिकारी को निश्चित दोषी ठहराया जाय और उसके लिये उचित सजा दी जाए। यह नहीं होना चाहिये कि किसी विधायक ने या किसी और ने शिकायत की तो उसका स्थानान्तरण कर दिया।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जब नई बस सेवाएं चलावें तो लाभ-हानि का ध्यान रखने वाली नीति के अनुसार। आपके अधिकारीगण इस बात का ध्यान रखें कि आप का पूरे प्रदेश के आधार पर आकलन हो या वह जिला आधार पर हो, तहसील के आधार पर हो या क्षेत्रीय आधार पर हो। आप कोई सेवा शुरू करें तो उसकी आमदनी के आंकने में समय लगेगा और वहां कहीं ऐसा न हो कि आपके पास रिपोर्ट पहुंच जाय कि यहां पर आमदनी नहीं है और सेवा को बन्द कर दी जाय। तो जो आप आश्वासन दे रहे हैं, यह कदम उसके प्रतिकूल होगा। लेकिन आप इस पर समग्र रूप से विचार करेंगे, तो यह आपकी व्यापारिक नीति के अनुरूप होगा। तो थोड़ी उदारता के साथ नयी नीति के अनुसार

कार्य करने की आवश्यकता है। आप सेवाओं को और अधिक उपयोगी बनाना चाहते हैं, इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि आज जो हजारों पढ़े-लिखे लोग बेकार घूम रहे हैं, उनके लिये ड्राइवरों और कंडक्टरों की कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था कीजिए और योग्यता के आधार पर भरती कीजिए। इस सिलसिले में आपसे कहना चहता हूं कि विद्यार्थीगण जब पर्यटन हेतु रेल गाड़ियों से जाते हैं, तो उनको एक तरफ का किराया और दोहरी यात्रा की सुविधा मिलती है, अतः परिवहन विभाग को भी विद्यार्थियों के लिये सही नीति अपना कर उन्हें एक तरफ का किराया और दोहरी यात्रा की सुविधा देनी चाहिये। यात्रियों के एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने से उनको प्रकृति के मनोहारी दृष्य देखने को मिलते हैं इसके साथ ही उनके एक राष्ट्रीय एकता की भावना आती है।

अब जहां तक शिकायतों की बात है, तो दो उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आप तकालीन स्थिति की घोषणा के बावजूद भी प्रतापगढ़ में आज भी बहुत सी रूटों पर प्राइवेट बसें उसी तरह से चलती है, जैसे पहले चलती थीं। उनकी संख्या भले ही कम हो गई हों, लेकिन बन्द नहीं हुई है। इलाहाबाद के हमारे एक सम्भ्रान्त मित्र ने बताया कि इलाहाबाद से बांदा के लिये 30 से ऊपर रोज प्राइवेट बसें जाती हैं। कोई अच्छा अधिकारी यदि उनकी जांच करने के लिये सचेष्ट होता है तो नीचे से ऊपर तक ऐसा तालमेल वहां स्थापित है कि उन लोगों को मालूम हो जाता है और उस दिन मिलेंगी ही नहीं। इन दिक्कतों और गैर कानूनी कार्यवाहियों को आप दूर करने का प्रयास करें। सन् 1962 में परिवहन विभाग ने आउटसाइड कोटा के अन्तर्गत यात्रीकर/मालकर अधीक्षक की सेवाओं की भर्ती के लिये विज्ञापन किया गय था, उनके साक्षात्कार और परीक्षा की बात हुई थी और विधिवत उनका चयन किया था। कुछ लोग दो बार कमीशन के सामने गये। किन्तु उनकी सेवाएं स्थायी न हो सके यद्यपि उसके पहले कमीशन कुछ लोगों की सेवाएं स्वीकार कर चुका था। अतः ऐसे लोग जो 14-14 साल से आपकी सेवा में लगे हुए हैं और जिनका भविष्य अन्धकारमय हो गया है, उनके बारे में आप सोचें। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे कर्मचारियों को शीघ्र से शीघ्र स्थायी करने पर विचार किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस परिवहन और पर्यटन विभाग की अनुदान मांगों पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उनका समर्थन करता हूं और जो कटौती के प्रस्ताव हुए हैं, उनका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, परिवहन के दो हिस्से हैं। एक तो सड़क परिवहन-निगम के द्वारा संचालित व्यवस्था है, जिसको एक निगम का रूप सन् 72 में दिया गया है। उसके संबंध में मुझे निवेदन करना है कि गाड़ियों की दशा सुधारने की जरूरत है। यह उनको सुधारने का आश्वासन मंत्री जी ने दिया है और सेवाओं में सुधार के लिये भी कहा है और उच्च स्तर पर कुछ निर्णय लिए हैं। उनके नेतृत्व में इस संगठन में जो नई जान पड़ी है, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। पिछले वर्ष में जो संख्या बढ़ी है, जिसे पुस्तिका के परिशिष्ट 5 में दिया गया है, उसके अनुसार बसों की संख्या 5 गुना हुई है और ट्रकों की संख्या चौथाई रह गई है। यह भी परिवहन का एक अंग है, जहां रेलवे आदि नहीं हैं, जहां आप प्राइवेट ट्रक एलाउ नहीं करते हैं, लोग ट्रकों की बड़ी आवश्यकता महसूस करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा और पंजाब की तरह से

[श्री बाल कृष्ण सनवाल]

समानान्तर बस सेवा का प्राविधान होना चाहिये। चाहे उनको बहुत लम्बे अर्से तक के लिए न परमिट दीजिए परन्तु समानान्तर सेवा का आप प्रयास करे, ऐसा मैं अनुरोध करूंगा। जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा, आशा है कि आप इस तरह कदम उठायेंगे। जैसा आपने आर0टी0ओं0 और आर0 आई0 की बात कही है, मैं निवेदन करूंगा कि उन पर कोई एकाएक देखने का, चेक करने का प्रबन्ध हो कोई गाड़ी एक ही दिन में फिट हो जाती है; किसी में, विलम्ब होता है। मान्यवर, कुछ गाड़ियों को परमिट बनाने में बहुत विलम्ब होता है और कुछ गाड़ियों को बहुत ही शीघ्र बना दिया जाता है। मान्यवर, लाइसेन्स बदलने में जो गड़बड़ियां होती हैं, उनको भी दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिये। अब मैं पर्यटन के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा है पर्यटन के लिये हमारे पास दर्शनीय स्थल बहुत हैं, चाहे पूर्व में चले जायं, चाहे पश्चिम में चले जायं बड़े, सुन्दर स्थल हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सब लोग ध्यान दें।

श्री बालकृष्ण सनवाल—

मान्यवर, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि व्यक्तिगत लोगों को ऋण देकर जैसा कि 10 हजार हटस बनाने की सुविधा दी गयी है, इसी तरह से पर्यटन विभाग द्वारा सुविधा देने से यह बढ़ेगा पर्यटन विभाग, बन विभाग का आपस में समन्वय हो जिससे कि पर्यटक के लिये जो आवश्यक हो वह सुलभ हो सके और पर्यटन का कार्य बढ़े, जिससे जो दार्शनिक स्थल हैं उनमें वृद्धि हो सके। जो आपका पर्यटन कार्यालय है वहां पर मानचित्र उपलब्ध हो, जिससे यह मालूम हो सके कि कहां से कहां तक कितना किराया है और कौन सी रोड कहां पर जाती है। इससे मान्यवर, पर्यटकों को सुविधा होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में दो शब्द कहने का मौका मुझे दिया। मान्यवर, मंत्री जी ने जैसा कहा कि ट्रेन छूटती हैं, तो बसें मिल जाती हैं। मान्यवर, बहुत से अंचल ऐसे हैं कि जहां पर ट्रेन प्राप्त करने का सवाल ही नहीं पड़ता है। जैसे पर्वतीय अंचल हैं। उनके लिए सड़क परिवहन के अलावा कोई दूसरा परिवहन उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, वह लोग भी चाहते हैं कि जैसे आपात स्थिति लागू होने के बाद ट्रेन समय पर आने लगीं, उसी तरह से आशा यह थी कि आपात स्थिति के बाद आपकी बसें भी समय से चलने लगेंगी। मान्यवर, मैं बड़े दुःख के साथ कहूंगा कि आपात स्थिति का सब पर असर पड़ा है लेकिन एक ही विभाग पर नहीं पड़ा है, वह है परिवहन विभाग, सड़क परिवहन निगम, मान्यवर, आपकी बसेज समय से चलीं ही नहीं। मान्यवर, जो आपने प्रतिज्ञा की बात कही, उस पर भरोसा सारा सदन करेगा कि भविष्य में आप यह प्रयास करेंगे कि जितनी बसेज हैं वे समय पर चलेंगी। आज हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आपकी बसेज समय से चलने लगेंगी। पर्वतीय इलाकों में यह भी देखने में आया है कि छुट्टी पर आने वाले मिलिट्री के लोग स्टेशनों पर पड़े रहते हैं। उन्हें घर पहुंचने के लिये बसेज नहीं मिल पाती हैं। 4–4 दिन लग जाते हैं। बस प्राप्त करने में इस प्रकार से उनकी आधी छुट्टी इसी प्रकार से बस स्टेशनों पर गुजर जाती है और बड़ी कठिनाई से घर पहुंच पाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जो आप बसेज खरीद रहे हैं उनमें जितनी छोटी-छोटी बसेज हों, उनको उन पर्वतीय अन्चलों में भेजें जिससे आवागमन के साधन उपलब्ध हो सकें और जो कठिनाई वहां के रहने वालों को हो रही है वह दूर हो सके।

अब मैं अपने क्षेत्र हल्द्वानी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, आप कई बार हल्द्वानी गये होंगे। वह पर्वतीय अञ्चल का मुख्य द्वार है। वहां पर जो रोडवेज का स्टेशन है वहां पर कई सालों से टिन शैड पड़ा हुआ है। कई सालों से मैं सुनता आ रहा हूं कि उस स्थान पर रोडवेज के स्टेशन बनने का प्राविधान किया गया है लेकिन आज तक भी वह स्टेशन नहीं बन पाया है।

मान्यवर, रोडवेज में जो बसेज की कमी है, उसका विश्लेषण हमने किया है। देखने में आया है कि निगम का जो वर्कशाप और रनिंग स्टाफ है उसमें कोई तालमेल नहीं है। जो बस वर्कशाप में चली जाती है, वह निकलने का नाम नहीं लेती है। टायर और बैट्रीज के बारे में घपले की बात भी सुनने में आई है। जब तक आप इन पर राज्य सड़क परिवहन निगम का मार्क नहीं लगवायेंगे, आपका यह सामान चोरी से बिकता चला जायगा। आज होता क्या है कि नयी बैट्रीज के स्थान पर पुरानी बैट्रीज बदल दी जाती हैं और इसी प्रकार से आपके टायरों की भी दशा होती हैं। अगर इन चीजों पर नाम लिख दिया जायगा तो वहां पर भी ये चीजें बिकेंगी, वही पर बेचने वाले और खरीदने वाले पकड़े जायेंगे। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप इस सामान की चोरी को नहीं रोक सकते हैं। इन शब्दों के साथ प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं।

*श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

जब माननीय मंत्री जी यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्य-कलापों पर टिप्पणी पढ़ रहे थे तो मुझे इस बात की आशा थी कि मंत्री जी परिवहन व्यवस्था सस्ती कर रहे हैं। जिस प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री पुलों के टौल टैक्स में कटौती करने की बात कर रहे थे उसी प्रकार से परिवहन विभाग के मंत्री जी भी इस प्रदेश की जनता को राहत देंगे और यदि अधिक नहीं तो कम से कम जो कुछ दिन पूर्व 40 प्रतिशत किराया बढ़ाया है, उसको तो वापस लेकर 20 सूत्री कार्यक्रम और वर्तमान परिस्थिति का जायजा लेंगे और यहां की गरीब और ग्रामीण जनता को राहत देंगे। माननीय मंत्री जी ने और बातें तो कहीं जैसे बसेज बढाने की बात, आरामदेह बनाने की बात लेकिन किराये कम करने की बात बिल्कुल भी नहीं कही। मेरा निवेदन है कि परिवहन निगम आपकी बिजिनेस कम्पनी नहीं है। यह प्रदेश की जनता की आवश्यक सेवाओं के लिये है। इसको जितना सस्ता चला सकें और अच्छा चला सकें, उतना चलाना चाहिये। कई माननीय सदस्यों को देखने का अवसर हुआ होगा कि इस बढ़े हुए किराये के कारण कितने ग्रामीण लोग प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर देखने में आया है कि गर्मी की मौसम में, शादी विवाहों के दिनों में चूंकि वे लोग बसेज का किराया बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं उन्हें नव विवाहित वधुओं को भी पैदल ले जाने पर मजबूर होना पड़ता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में कुछ न कुछ व्यवस्था की जाय।

पर्यटन के बारे में, चित्रकूट के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अधिकारीगण और मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, हर अमावस्या में चित्रकूट कई लाख आदमी जाते हैं और बसेज की किल्लत होती है, नाकाफी होती है कि चलना मुश्किल होता है। पिछले साल प्राइवेट बसेज को बन्द कर दिया और हजारों आदमी बस स्टेशन पर पड़े रह गये, पहुंच नहीं पाये। तो निवेदन करूंगा कि चित्रकूट जो कि देश का पवित्र तीर्थस्थान है उसको आप पर्यटन के क्षेत्र में विकसित कर सकते हैं, वहां परिवहन को आगे बढ़ाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करने की कृपा करें ।

श्री देवकुमार यादव—

अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद जो राष्ट्रीय-कृत मार्ग थे उसमें अगर प्राइवेट रूट में 10-5 मील प्राइवेट गाड़ियां आ गयी हैं तो उनका चलना बन्द हो गया है। अगर राष्ट्रीय-करण पूरे रूट का आप कर सकें तब तो ठीक है, अपनी बस चलायें वरना उन प्राइवेट बसेज को बीच में चलने दें। हमारे जिले में ऐसे अंचल हैं जो कि राष्ट्रीयकृत मार्ग पर हैं, लेकिन इस असुविधा से लोगों को बीसों मील पैदल चलकर आना पड़ता है। इसमें कोई न कोई कारगर व्यवस्था करें ।

इन शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री शिव प्रसाद सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं सभी आदरणीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और उन सुझाओं के लिये धन्यवाद देता हूं। सुझाव ज्यादा हैं, सवाल कम हैं। वैसे भी ज्यादा सवालों का जबाब देना अच्छा नहीं होता। सुझाव मैंने सब एक-एक करके नोट कर लिये हैं सभी आदरणीय सदस्यों से मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है कि जब कभी उन्हें समय मिले, उनका स्वागत है और उनके साथ परामर्श करके उसी दिन उनको कार्यान्वित करने का प्रयास करूंगा। हमारे नेगी साहब बहुत मेहरबान हैं, पुराने हैं, हो सकता है उन्होंने कृपा की हो मेरे पास आने की और उस दिन मैं किसी दूसरी ड्यूटी पर लगा हूं, तो मेरी तो कोई बात नहीं है, मैं उनसे माफी चाहता हूं.....

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह मेरा सवाल नहीं है मान्यवर.....

श्री शिवप्रसाद सिंह—

कुछ ऐसा कार्यक्रम था कि अधिक बैठने का मौका नहीं मिला और जब मिला तो उसमें खाली काम करता रहा। मैं आगे इतना अधिक मौका दूंगा कि आप थक जायेंगे। बैठना शुरू करूंगा तो बैठा ही रहूंगा, 10 बजे के बजाय 8 बजे ही।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, कहीं ऐसा न हो इस नीति से कि वह हमको उठने ही न दें तो यह डिपार्टमेंट जो है इसकी गाड़ियां भी जमा हो जायं।

श्री शिव प्रसाद सिंह—

गोड़ियां नहीं रुकेंगी ।

चेतक सेवा चलायी गयी है। "चेतक" नाम कुछ सोच कर रखा गया है। उसकी एक विशेषता थी हिस्टारिकल।

समय लग जायगा नहीं तो मैं बता भी देता। एक सौदागर काबुल से दो घोड़े ले कर चला कि इनको बादशाह को दूंगा। उसको बीच में मालूम हुआ कि एक दूसरा व्यक्ति और ऐसा है जो उसी के जोड़ का है, जिसका छोटा राज्य है, हैसियत भी कम है मगर अकड़खां है। तो वह सौदागर पहले उसके यहां ही गया और कहा कि मैं दो घोड़े लाया हूं, मिलेगा एक, कीमत दनी पड़ेगी दोनों की। यह बात जब राणा को खबर हुई तो वह खुद बाहर देखने आये। तो उन्होंने कहा कि यह क्या दोनों की कीमत एक लाख रुपया मगर मिलेगा एक और अगर मैं दोनों लेना चाहूं तो। सौदागर ने कहा कि यह सम्भव नहीं है उसने कहा कि एक घोड़ा परीक्षा देगा और अगर वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायगा तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा आपको लेना पड़ेगा। कीमत दोनों घोड़ों की एक लाख रुपया देनी पड़ेगी। उसने कहा तैयार हो जाइये घोड़े पर बैठने के लिये। खुद राणा घोड़े पर बैठे। उसके बाद उस सौदागर ने पूरा सांग लोहें का घोड़े के पेट में एक तरफ मारा और दूसरी तरफ निकल गया। उसने कहा कि ले जाइये इसको, जितनी तेजी से चाहें ले जाइये। वह सांग उसके घुसा हुआ है। राणा जितनी दूर उसको ले जाना चाहते थे, ले गये और उसके बाद लौट कर जब फाटक के सामने उतरे तो वह घोड़ा गिरा और उसी वक्त मर गया। तब सौदागर ने कहा कि यह घोड़ा अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। अब आप यह दूसरा घोड़ा ले लीजिये और 1 लाख रुपया दीजिये। इस घोड़े की अगर टांग सही सलामत रहीं, कट नहीं गयी तो चाहे जैसी परिस्थिति हो यह आपको सुरक्षित पहुंचा देगा। इसलिये चेतक सर्विस रखी गयी है। अगर कोई गाड़ी फेल हो गयी तो चेतक तुरन्त आ जायगी और आपको बिठा कर चल देगी। यह चेतक सर्विस शहरों से बढ़ कर के देहाती क्षेत्रों में भी जायेंगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इस चेतक की टांगें ठीक हैं न ? (हंसी)

श्री शिव प्रसाद सिंह—

इसके साथ ही साथ एक मोबाइल वर्कशाप भी शुरू किया है। वह पूरा कारखाना शहरों में राउन्ड दि क्लाक मूव करता रहेगा। अगर कोई बस फेल हो गयी तो वह सूचना जितनी जल्दी वहां पहुंचा दी जायगी वह मोबाइल कारखाना वहीं पहुंच जायगा और उसको ठीक करके चला देगा। सारी मुश्किल तो यह है कि "रोम वाज नाट बिल्ट इन ए डे"। मैं सारी चीजें खुद ही समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया, लेकिन प्रयास मेरा है और मैं उसमें सहयोग चाहता हूं। हम नियमों से बंधे हुये हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम जिसको चाहें निकाल दें, जिसको चाहें उसको रख लें। अगर सारी बातें सही भी हों तो भी एक प्रक्रिया फालों करनी पड़ती है और वह समय लेती है। फिर प्रशासन की दृष्टि से एक चीज और है, सजा देना और फिर ऐसी सजा न देना जो पर्याप्त न हो और फिर उसको रखना कहां तक मुनासिब है। अगर सजा दी जायगी मेरे टाइम में तो आखिरी सजा होगी ताकि बीच में रह कर कोई गड़बड़ी न कर सके। या तो मैं यह कायदा निर्धारित करूंगा कि एक मर्तबा सब माफ, फिर से शुरू करो। अगर रेल पटरी से उतर जाती ह तो क्रेन आ कर उसे फिर पटरी पर रख देता है। किसी को नौकरी से अलग करना यह एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। क्योंकि जो आदमी आपकी 2-4 वर्ष सेवा कर लेता है वह फिर दूसरे काम के लायक नहीं रह जाता। नौकरी में जहां सिक्योरिटी है, वहां अलग होने पर वह बेकार भी हो जाता है। इसमें ज्यादातर नौजवान ही आते हैं। ड्राइवर हैं, कन्डक्टर्स हैं और गरीब मजदूर हैं। मैं सोच रहा हूं कि किसी तरह से इनको बचा दूं। मैं उनको एक मौका देना चाहता हूं ताकि वे ठीक हो सकें। अब यह स्टेप कहां तक मुनासिब होगा, मैं विचार कर रहा हू। अगर मैं बचा दूं तो आप कल को यहां एतराज भी करेंगे। इसके लिये कोई नीति अपनानी होगी और उसमें आप सब का सहयोग मैं लूंगा। कोई ऐसा रास्ता अपनाना होगा जिससे विभाग में शिथिलता भी न आये और अधिक सख्ती भी न करना पड़े। इसमें मैं आपका सहयोग लूंगा और मैं खुद आपके कमरे में चला आऊंगा। आपके सुझावों को मैंने नोट कर लिया है। कार्यान्वित करूंगा। एक दो बातें ऐसी हैं जिनका जवाब देना चाहता हूं। मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं माननीय जगदीश प्रसाद जी से निवेदन करना चाहता हूं, वे मुझे मंत्री की हैसियत से जानते हैं, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूं, हमारे यहां की यह परम्परा रही है जो

[श्री शिव प्रसाद सिंह]

यहां सदन में मौजूद न हो और जो यहां पर अपने को डिफेन्ड न कर सके उस पर आक्षेप नहीं करना चाहिये। वह अगर किसी ऐसे ओहदे पर है कि उसका विशेष महत्व है तो उस पर भी आक्षेप करना यहां उचित नहीं है। प्रशासन चलाने वाले तो आप हैं, आप जो नीति निर्धारित करते हैं उसका पालन हम करते हैं। अब प्रशासन के किसी ऐसे आदमी के बारे में यदि आप आक्षेप करें और हम तुरन्त कोई कार्यवाही न कर सकें तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या असर होगा? हम तो आपके हुकुम की तामील करने के लिये हैं, पर ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को कोई ठेस पहुंचे। उसका एडवर्स इफेक्ट हो।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इसका खयाल रखिये कि हर कर्मचारी के लिये इस सदन में जिम्मेदारी आपकी है। उसको आपको निभाना है।

श्री शिव प्रसाद सिंह—

माननीय श्रीपाल सिंह जी ने अपनी शुभकामनायें तथा आशीर्वाद मुझे दिया। पता नहीं आशीर्वाद उनका होना चाहिये या मेरा, क्योंकि किस की उम्र ज्यादा है, किस की कम. . . . . .

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आपके मूछ नहीं है, उनके मूछें हैं. . . . . (हंसी)

श्री शिव प्रसाद सिंह—

उन्होंने जो शुभकामनाएं मुझे दी हैं उनको मैं ग्रहण करता हूं और उसके अन्तर्गत ही मैं कार्य करूंगा। आपने जो बतला दिया वह ठीक है, मैं उसे देखूंगा, विचार करूंगा और आपसे अलग-अलग परामर्श भी कर लूंगा। मेरा निवेदन है कि आप स्वयं सक्षम हैं, मुझे बुला कर कहने के लिये। मैं सच कहता हूं कि अगर मुझे कोई शख्स एक लाइन लिख कर दे दे कि आपके विभाग के बारे में मुझे कुछ सूचना देना है तो आपके पास मैं खुद पहुंच जाऊंगा। आप करके देख लीजिये। आप कोई बात कहें, फिर वह ठीक न हो, कोई रास्ता न निकले, अभी आपको कहना चाहिये।

एक चीज मैं और निवेदन करना चाहता हूं। और वह यह है कि यू० पी० एस० आर० टी० सी० जो बना हैं, उसके भी कुछ अधिकार हैं। कमीशन का भी ऐक्ट होता है, उनको भी आप कुछ मौका दें कि वे स्वेच्छा से काम करें। हर मामले में हमारा और आपका इण्टर-फियरेंस करना कहां तक मुनासिब होगा। फिर अगर मुनासिब भी हो तो जैसा कि मैंने कहा, इस सदन में हर प्रश्न का उत्तर देने के लिय मैं उत्तरदायी हूं, इस लिये जिम्मेदारी हमारी है कि हम इन सारे पहलू पर अलग-अलग बात कहना चाहेंगे। मैं यह कह चुका हूं कि आप ऐसा मौका मत दीजिये। इसलिये कि आर० यू० पी० एस० आर० टी० सी० अपने को जस्टिफाई नहीं करता है, तो उसके एक्जीस्टेंस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा, मैं साफ कहना चाहता हूं कि मैं इस आइडिया का हूं कि उनको मौका देना चाहिये कि वे अपने को ठीक करें। एक दिन में रोम नहीं बना था। दो तीन महीने में कोई बात नहीं बनती। इसमें कुछ थोड़ा समय लगेगा। अभी तो मैंने ही सभी बातों को नहीं समझा है। इतना आप ध्यान रखें कि नो बाडी विल मिस दि बस।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और है जिसका मैं जवाब देना चाहता हूं। हरिजनों के कोटे के सम्बन्ध में कहा गया है। मैं बतला दूं कि परिवहन निगम में 38 हजार व्यक्ति इस वक्त काम कर रहे हैं। इनम से 10.50 यानी साढ़े 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं और अनुसूचित जनजाति के 14 व्यक्ति है। इस सम्बन्ध में मैं जनरल मैनेजर को और जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनको बुला कर कह चुका हूं कि इस कोटे को जितना शीघ्र मुमकिन हो पूरा किया जाय और हर महीने जो नियुक्तियां हों, वे मेरे नोटिस में लाकर बतलायी जायं। हमारा प्रयास है कि सरकार द्वारा निर्धारित कोटा समय के अन्दर पूरा हो जाय।

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी—

आफिसरों के अन्दर भी यह कोटा लागू हुआ है ?

श्री शिवप्रसाद सिंह—

कोटा पूरा करने के लिये अगर किसी ऐसे आदमी को रेलवे इन्जन में बैठा दिया जाय कि वह उस गाड़ी को चला ही नहीं सके तो यह नहीं होगा।

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी—

यही तो गड़बड़ी है।

श्री शिव प्रसाद सिंह—

जिसको कोटे के अन्दर लिया जायगा, उसे ट्रेनिंग मिलेगी, फिर वह तरक्की करके आफिसर बनेगा, चेयरमैन बनेगा और मिनिस्टर बनेगा।

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी—

और नीचे वाले वर्कर्स ऐसे ही पड़े रहेंगे ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

अगर कोई आदमी ऐसा बैठा दिया जाय जो आपको बस में बैठा कर गढ्ढे में गिरा दे, अगर आप कहेंगे तब भी मैं ऐसा नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री जगदीश नरायन जी, आप बैठने की कृपा करें।

श्री शिव प्रसाद सिंह—

बीस सूत्री कार्यक्रम के सिलसिले में यह कहा गया था कि इमर्जेन्सी का कोई इम्पैक्ट इस विभाग के ऊपर नहीं हुआ है। इस संबंध में मैं बतलाना चाहता हूं कि 250 नेशनल परमिट दिये गये हैं ऐसे ट्रकों को जो कि सारे हिन्दुस्तान में आ जा सकते हैं। भारत सरकार को इस संबंध में लिखा गया कि उत्तर प्रदेश की पापुलेशन को देखते हुये 250 बहुत कम है उनको बढ़ाकर 500 कर दीजिये। मुझे आशा है कि वह 500 कर दिये जायेंगे। अगर इमरजेंसी का इम्पैक्ट नहीं हुआ है तो इमरजेंसी का इम्पैक्ट लाया जायगा और उसके रास्ते में कोई शख्स आयेगा तो उसे रास्ते से हटा दिया जायगा, चाहे वह कोई भी हो।

(मेजों की थपथपाने की आवाजें)

मान्यवर, 2 करोड़ 80 लाख रुपये मिले हैं। 186 बसें खरीदी गयी हैं और शहरों में चल रही हैं। देने वाले ने जो आज्ञा दी उसका परिपालन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन का समय 15 मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री शिव प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा, हमारे साथी भी ऊब गये हैं। मैं साथ ही साथ आपके माध्यम से कटौती के प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपा करके, मुझे आप सक्षम बनाना चाहते हैं, तो कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें, सर्व सम्मति से इसको पास करिये फिर देखिये मैं कैसे आपकी सेवा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय जगदीश नरायन त्रिपाठी, आप कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हैं?

*श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी—

मान्यवर, अब, जब मंत्री जी ने इतना सब कुछ कहा है और मुझे आशा है कि जो सुझाव रखे गये हैं उनके हल करने में वह अगुवायी करेंगे। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सदन के सामने जो मामले प्रस्तुत किये हैं उन पर वह ध्यान देंगे। मैं एक लम्बी लिस्ट भी आपकी सेवा में भेजूंगा, आशा है आप उस पर विचार करेंगे। दरअसल उसमें से अगर आपको कोई जांच जाय तो अविलम्ब उस पर कार्यवाही करेंगे। मुझे आशा है कि श्रमिक जनों के बारे में जो मैंने समस्यायें रखी हैं, सेवा शर्तों के सवाल पर और अन्य विषयों पर. . . .

श्री शिव प्रसाद सिंह—

मैं आपसे खुद बात करूंगा।

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी—

उन पर नये दृष्टिकोण से देखेंगे और सुधार करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं यह आशा करता हूं कि जो किराया बढ़ाया गया है. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय त्रिपाठी जी अब अधिक बोलने की जरूरत तो नहीं रह गयी है।

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी—

मुझे आशा है कि बढ़ी हुयी किराये की दरों को घटाकर कुछ सस्ती सेवा करने की कृपा करेंगे।

(सदस्यों के आपस में बातचीत करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य सदन में शांति बनाये रखें।

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी—

अन्त में मान्यवर, मुझे आशा है कि जो भी सुझाव मैंने रखे हैं उनको मंत्री जी अवश्य स्वीकार करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या 12, अनुदान संख्या 59, अनुदान संख्या 64, अनुदान संख्या 65, अनुदान संख्या 84 और अनुदान संख्या 85 पर रखे गये कटौती के प्रस्तावों को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से समस्त कटौती के प्रस्ताव वापस हुए।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12—मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,94,86,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,58,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 12—मोटर गाड़ियों पर कर, अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन, अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन, अनुदान संख्या 65 पर्यटन, अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 85—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,58,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65—पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,35,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84—सड़क-परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,67,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत श्री मोहम्मद शकील अहमद का जूते के कारखाने मालिकों द्वारा लखनऊ नगर में जूते के कारखाने एकाएक बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न संकट के बारे में है। यह स्वीकृत हुआ। मंत्री जी इस पर वक्तव्य देंगे।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे प्रातः फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 7 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
7 मई, 1976।

सत्यप्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 122 पर)

जनपद गोंडा में अनुसूचित जनजातियों (थारुओं) के विकास की विभिन्न योजनाओं पर वर्ष 1968-69 से वर्ष 1974-75 तक व्यय की गयी धनराशि का विवरण

मांग मद	1968-69		1969-70		1970-71	
	व्यय की गई धनराशि	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	व्यय की गई धनराशि	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	व्यय की गई धनराशि	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
रहन सहन की दशाओं में सुधार—						
1—कूप निर्माण ..	..	.	20,000	9	14,500	7
2—हाथनल ..	..	..	..	8	..	2
3—गृह निर्माण ..	..		9,600	8	11,200	7
आर्थिक उत्थान—						
4—कुटीर उद्योग	12,500	44	6,500	21	20,000	64
5—कृषि उत्थान ..	13,000	26	6,500	13	21,000	42
6—पुनर्वास योजना ..	..	..	50,000	12	..	..
7—सहकारिता ..	..	..	..	..	..	..
शैक्षिक उत्थान—						
8—दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति ..	849	2	604	1	2,784	6
9—पूर्व दशम कक्षाओं में छात्रवृत्ति	9 312	383	12,000	308	12,000	401
	35,661	455	11,52,04	379	81,484	529

	1971-72		1972-73		1973-74		1974-75	
	व्यय की गई धनराशि	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	व्यय की गई धनराशि	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	व्यय की गई धनराशि	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	व्यय की गई धनराशि	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
	8	9	10	11	12	13	14	15
1—	28,000	12	18,000	9	..	..	..	..
2—	..	16	..	..	..	..	..	..
3—	62,400	39	11,200	7	28,800	18	24,000	15
4—	29,000	72	16,000	32	12,000	24	..	..
5—	31,000	62	16,000	32	12,000	24	12,000	12
6—		..	..	..	..	..	..	..
7—	30,000	2	6,000	2	6,000	2	5,000	2
8—	2,909	6	2,645	5	2,998	6	5,938	9
9—	13,062	460	12,848	356	22,000	696	33,440	738
	1,96,371	669	82,693	444	83,798	770	88,378	778

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 136 पर)

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी वन प्रखण्ड तुर्रा एवं अगोरी वन प्रखण्ड ओबरा में स्थानीय काश्तकारों को जो सुविधायें प्राप्त हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

1—(1) (अ) मकान बनाने तथा मरम्मत के लिए लकड़ी की सुविधा

पेड़ों की किस्म	पेड़ों की संख्या जो 5वें साल प्रति घर दी जाएगी
(क) साल, असना, तेंदू या सिद्ध के पेड़ 60 से0मी0 से 90 से0मी0 की गोलाई ..	1
(ख) अन्य प्रजातियां 30 से0 मी0 से 45 से0 मी0 की गोलाई	12

(आ) खेती के औजार के लिए लकड़ी देने की सुविधा

पेड़ों की किस्म	पेड़ों की संख्या प्रतिवर्ष प्रतिघर दी जाएगी
(क) खैर या साल 45 से0 मी0 से 60 से0 मी0 की गोलाई ..	2
(ख) कुकाठ प्रजातियां 45 से0 मी0 से 60 से0 मी0 की गोलाई	2

1—भूतपूर्व दुद्धी गवर्नमेंट स्टेट के मकानों के लिए आवश्यक लकड़ी मुफ्त देने का प्राविधान है इसके लिए मांग-पत्र नवम्बर तक आ जाना चाहिए।

2—बांस—भूतपूर्व दुद्धी गवर्नमेंट स्टेट के निवासियों को मकान बनाने तथा मरम्मत के लिए निम्न दर से देने का प्राविधान है —

बांस की संख्या	प्रति 100 बांस दर
(क) 100 बांस तक ..	1.50
(ख) 101 से 500 बांस तक ..	3.00
(ग) 500 से ऊपर ..	4.00

डोम तथा घरकारों के लिए प्रति 100 बांस 50 पैसे पर देने का प्राविधान है।

भूतपूर्व दुद्धी गवर्नमेंट स्टेट के मकानों के लिए मुफ्त बांस देने का प्राविधान है। इसके लिए मांग-पत्र नवम्बर तक आ जाना चाहिए।

1—(3) अन्य गौंड वन उपज—गिरी पड़ी सूखी लकड़ी, कटीली झाड़ियां, झांकड़; छप्पर वाली घास, महुलाइन का फलफूल, गगई घास, खाने वाले फलफूल तथा जड़ें निवासियों को मुफ्त और बिना परमिट ले जाने की सुविधा है।

(4) चराई—स्थानीय निवासियों को चराई की सुविधा निम्न प्रकार दी गयी है :—

जानवरों की किस्म		चराई की दर (रियायती)
(क) गाय तथा बैल	..	0.12 पैसे प्रति राशि प्रति वर्ष
(ख) भैंस	..	0.25 पैसे प्रति राशि प्रति वर्ष
(ग) घोड़े तथा बछड़े	..	0.25 पैसे प्रति राशि प्रति वर्ष
(घ) ऊंट	..	1.00 रुपए प्रति राशि प्रति वर्ष
(ङ) भेड़ तथा बकरी	..	1.50 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष
(च) हाथी	..	1.00 रुपया प्रति राशि प्रति वर्ष

रामगढ़, चुर्क रेंज, जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत स्थानीय काश्तकारों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण—वन क्षेत्र के निकटवर्ती ग्रामों को निर्धारित सीमा तक निःशुल्क पशुओं की चराई गिरी पड़ी जलाऊ लकड़ी, झांकड़, छप्पर बन्दी, हलबन्दी, घरेलू पत्थर, जंगली पेड़ों से अपने प्रयोग हेतु फल-फूल, घास कोल्हू व ढेंकी के लिए लकड़ी आदि दी जाती है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ 141 पर)

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष;

विधान सभा,

उत्तर प्रदेश;

लखनऊ।

श्रीमन्,

मैं आसुका (मीसा) के अन्तर्गत 2 जुलाई, सन् 1975 से निरुद्ध हूं और इस समय केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में हूं। 1975 के मेरी निरुद्धि काल में जो विधान सभा का सत्र हुआ उसके सभी उपवेशनों में मैं अनुपस्थित रहा। मेरी विवशता इसका कारण रही। अब 1976 के इस चालू सत्र में भी सभी उपवेशनों में अनुपस्थित रहूंगा। इसमें भी मेरी विवशता है। सरकार द्वारा की गई मेरी निरुद्धि अकारण, अवैध और अन्याय पूर्ण है। बिना मुकदमा चलाए मुझे इस जेल में बन्द रखा गया है। इच्छा होते हुए भी उपस्थित नहीं हो सकता।

अतएव सविनय प्रार्थना है कि वर्तमान सत्र के उपवेशनों की पूर्ण कालावधि के लिए मुझे अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाए। इसी आशय का एक आवेदन-पत्र इसके पूर्व भी मैंने 18 मार्च को भेजा था परन्तु उसकी प्राप्ति की स्वीकृति भी न मिलने के कारण पुन: यह आवेदन-पत्र आपकी सेवा में भेज रहा हूं। इसकी प्राप्ति की सूचना के लिए आभारी हूंगा।

आपका ही,

जमुना प्रसाद बोस;

एम0एल0ए0;

319, बांदा क्षेत्र।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ, 142 पर।)

मोहन लाल कपूर,
एम०एल०ए०;

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी;
दिनांक 25 मार्च, 1976।

सेवा में;

अध्यक्ष महोदय,
विधान सभा; उत्तर प्रदेश;
विधान भवन, लखनऊ।

मान्यवर,

निवेदन है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार बिना कारण बताए, मैं मीसा के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध हूं। विधान मन्डल का सत्र चालू है। आदरणीय सदन के उपवेशनों में सम्मिलित होने की पूर्णरूपेण इच्छा होने के बाद भी निरुद्धि के कारण उपस्थित सम्भव नहीं है।

अस्तु प्रार्थना है कि वर्तमान सत्र प्रारम्भ होने की प्रथम तिथि के उस तिथि तक के लिए जब तक कि सरकार मेरी निरुद्धि समाप्त कर कारागार से मुक्त न कर दें, आदरणीय सदन की उपस्थिति से मुझे मुक्त (exempt) करने अर्थात् अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।

अपेक्षा है कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के अधीन उचित कार्यवाही करके परिणाम से अवगत कराने की कृपा करें।

साभिवादन,

भवदीय,
मोहन लाल कपूर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ',

(देखिए पीछे पृष्ठ 142 पर।)

राजनैतिक बन्दी,
डी0 आई0 आर0
जिला कारागार, बहराइच।
दिनांक 12 अप्रैल, 1976।

प्रेषक,

बाबू लाल वर्मा,
विधायक,
बहराइच।

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, विधान सभा,
लखनऊ।

महोदय,

दिनांक 24 मार्च, 1976 व 2 अप्रैल, 1976 के आवेदन-पत्रों के सन्दर्भ में पुन: स्मरण कराते हुए अनुरोध है कि दिनांक 29 जून, 1975 को अपने निवास-स्थान जरवल रोड, से मैं पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसी दिन बहराइच कारागार में डी0आई0आर0 43 की धारा में बन्दी बनाया गया। तब से मैं बहराइच कारागार में विचाराधीन बन्दी हूं। इस कारण दिनांक 22 मार्च, 1976 से प्रारम्भ हुए वर्तमान बजट सत्र में उपस्थित होने में असमर्थ हूं।

अत: आप से अनुरोध है कि दिनांक 22 मार्च से आरम्भ हुए वर्तमान बजट की पूरी कालावधि के लिए मुझे अवकाश देने की कृपा करें।

कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने की कृपा करें।

आदर सहित—

भवनिष्ठ;
बाबू लाल वर्मा

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ 142 पर)

कल्याण सिंह,
एम0एल0ए0

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी,
दिनांक 25 मार्च, 1976।

सेवा में

माननीय अध्यक्ष महोदय,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
विधान भवन, लखनऊ।

मान्यवर,

निवेदन है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार बिना कारण बताए मैं, मीसा के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध हूं। विधान मन्डल का सत्र चालू है। आदरणीय सदन के उपवेशनों में सम्मिलित होने की पूर्णरूपेण इच्छा होने के बाद भी निरुद्धि के कारण उपस्थित सम्भव नहीं है।

अस्तु प्रार्थना है कि वर्तमान सत्र प्रारम्भ होने की प्रथम तिथि से उस तिथि तक के लिए जब तक कि सरकार मेरी निरुद्धि समाप्त कर कारागार से मुक्त न कर दे, आदरणीय सदन की उपस्थिति से मुझे मुक्त (exempt) करने अर्थात् अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।

अपेक्षा है कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के अधीन उचित कार्यवाही करके परिणाम से अवगत कराने की कृपा करेंगे।

साभिवादन।

भवदीय,
कल्याण सिंह,
एम0एल0ए0।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 142 पर ।)

प्रेषक,

हरिकेवल प्रसाद,
एम0एल0ए0,
सलेमपुर (देवरिया),
केन्द्रीय कारागार, वाराणसी,
26 मार्च, 1976।

माननीय वासुदेव सिंह,
अध्यक्ष, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

द्वारा—अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

मान्यवर,

निवेदन है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार बिना कारण बताए मैं मीसा के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध हूं। विधान मन्डल का सत्र चालू है। आदरणीय सदन के उपवेशन में सम्मिलित होने की पूर्ण रूपेण इच्छा होने के बाद भी निरुद्धि के कारण उपस्थित सम्भव नहीं है।

अस्तु प्रार्थना है कि वर्तमान सत्र आरम्भ होने की प्रथम तिथि से उस तिथि तक के लिए जब तक कि सरकार मेरी निरुद्धि समाप्त कर कारागार से मुक्त न कर दे आदरणीय सदन की उपस्थित से मुझे मुक्त करने अर्थात् अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।

अपेक्षा है कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के अधीन उचित कार्यवाही करके परिणाम से अवगत कराने की कृपा करेंगे।

साभिवादन।

भवदीय,
हरिकेवल प्रसाद,
सदस्य, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
26 मार्च, 1976।

नत्थी 'ज'

(देखिए पीछे पृष्ठ 142 पर)

राम अधार राय,
एम0एल0ए0

केन्द्रीय कारागार,
वाराणसी,
दिनांक 29 मार्च, 1976।

सेवा में,
अध्यक्ष महोदय,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
विधान भवन, लखनऊ।

मान्यवर,

निवेदन है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार बिना कारण बताए मैं मीसा के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध हूं। विधान मन्डल का सत्र चालू है, आदरणीय सदन के उपवेशन में सम्मिलित होने की पूर्णरूपेण इच्छा होने के बाद भी निरुद्धि के कारण उपस्थिति सम्भव नहीं है।

अस्तु प्रार्थना है कि वर्तमान सत्र आरम्भ होने की प्रथम तिथि से उस तिथि के लिए जब तक कि सरकार मेरी निरुद्धि समाप्त कर कारागार से मुक्त न कर दे आदरणीय सदन की उपस्थिति से मुझे अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।

आशा है कि आप प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के अधीन उचित कार्यवाही करके परिणाम से अवगत कराने की कृपा करेंगे। साभिवादन।

भवदीय,
राम अधार राय,
एम0एल0ए0,
आजमगढ़,
इस समय केन्द्रीय जेल, वाराणसी,
दिनांक 29-3-76।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 142 पर)

माननीय अध्यक्ष महोदय,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

अनुच्छेद 190(4) के साथ पठित नियम उ0 प्र0 विधान प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन 280(1) के नियमावली के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र।

मैं मीसा के अन्तर्गत जिला अधिकारी, फर्रुखाबाद के आदेश दिनांक 14-11-75 द्वारा निरुद्ध हो बन्दी गृह में रह रहा हूं। इस समय केन्द्रीय कारागार नैनी, इलाहाबाद में हूं। मुझे इस बात की आशंका है कि इस प्रकार कितने दिनों तक बन्द रहूंगा कि सदन के उपवेशनों में मेरी अनुपस्थिति 60 (साठ) दिनों की कालावधियां या इससे अधिक हो जाये ऐसी स्थिति में मेरा वहां उपवेशनों में समय पर उपस्थित होना असम्भव है।

अतएव सविनय प्रार्थना है कि वर्तमान सत्र के उपवेशनों की पूर्ण कालावधि के लिए मुझे अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाए। ताकि मेरा स्थान रिक्त होने का भय दूर हो जाय।

भवदीय,

झामलाल अहेरवार,
सदस्य, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
बन्दी नैनी केन्द्रीय कारागार, इलाहाबाद।

दिनांक 27-3-76

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ञ"।

(देखिए पीछे पृष्ठ 142 पर)

लक्ष्मण सिंह,
विधायक,
जिला—मुजफ्फरनगर।

केन्द्रीय कारागार,
बरेली,
3-4-76।

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा,
लखनऊ।

मान्यवर,

मैं केन्द्रीय कारागार, बरेली में मीसा व डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत बन्दी हूं और इस कारण विधान सभा में उपस्थित होने में असमर्थ हूं। मेरी विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने की व्यवस्था कराई जाय। अन्यथा मेरी अनुपस्थिति को कन्डोन करके मुझे उपस्थित माना जावे।

आपका,
लक्ष्मण सिंह,
विधायक,
जिला—मुजफ्फरनगर,
3-4-76

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नस्थी 'ट'

(देखिए पीछे पृष्ठ 142 पर)

माडेल जेल, लखनऊ।
19-4-76

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

मान्यवर,

निवेदन है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के आदेशानुसार बिना कारण बताए मीसा में केन्द्रीय कारागार माडेल जेल, लखनऊ में निरुद्ध हूं। विधान मन्डल का सत्र चालू है। आदरणीय सदन के उपवेशनों में सम्मिलित होने की इच्छा होने पर भी निरुद्धि के कारण माननीय सदन में प्रारम्भ काल से ही उपस्थित होना सम्भव नहीं है। इसका उत्तरदायित्व पूर्णरूप से राज्य सरकार पर ही है।

अस्तु प्रार्थना है कि वर्तमान सत्र प्रारम्भ होने की प्रथम तिथि से सत्र की अन्तिम तिथि तक के लिए आदरणीय सदन की उपस्थिति से अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।

अपेक्षा है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अधीन उचित कार्यवाही करके परिणाम से अवगत कराने की कृपा करेंगे।

इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र आपकी सेवा में मार्च, 1976 माह के अन्तिम सप्ताह में केन्द्रीय कारागार, वाराणसी से मैंने भेजा था परन्तु इस सम्बन्ध में कोई सूचना आपके कार्यालय से अभी नहीं प्राप्त हो सकी अतएव दुबारा कष्ट देने के लिए बाध्य हो रहा हूं।

भवदीय,

दिनांक 10-4-76

शारदा भक्त सिंह,
सदस्य, विधान सभा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 143 पर)

मान्यवर प्रोफेसर साहब,

आपने मेरे पत्र दिनांक 19 मार्च, 1976 को माननीय मुख्य मन्त्री जी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा। इसका मैं आभारी हूं।

मुझे मार्च, सन् 1976 का पे-बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, मैं आपको पहले भी अवगत करवा चुका हूं कि मैं यहां मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध हूं और विधान सभा की बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकता। अत: मेरी आपसे प्रार्थना है कि (* * * * * * * * *) नियमानुसार यदि विधान सभा में मेरी अनुपस्थिति 6 माह से ऊपर हो जाय तो उसे भी नजर अन्दाज करने की कृपा की जाय।

आपका शुभचिन्तक,
तीरथ राम कोहली,
विधायक।

प्रो० वासुदेव सिंह,
अध्यक्ष, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
दिनांक 15 अप्रैल, 1976

विधान सभा सचिवालय उ०प्र०

नत्थी 'ड'

(देखिए पीछे पृष्ठ 143 पर)

रजिस्टर्ड ए0डी0
अधीक्षक,
द्वारा जिला कारागार,
सुल्तानपुर।
दिनांक 23 अप्रैल, 1975

माननीय अध्यक्ष जी,
उत्तर प्रदेश, विधान सभा,
विधान भवन, लखनऊ।

महोदय,

मैं दिनांक 19 नवम्बर, 1975 से सरकार द्वारा आंतरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरुद्ध हूं। जिला कारागार, सुल्तानपुर में सम्प्रति, जिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर में चिकित्सार्थ भरती हूं। अत: विधान सभा के वर्तमान बजट सत्र जो 22 मार्च, 1976 से प्रारम्भ हुआ है, में मेरा उपस्थित रहना असम्भव है।

आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त प्रेषित है। सरकार द्वारा निरुद्धीकरण के कारण विधान सभा के वर्तमान सत्र में मुझे अनिवार्य उपस्थित से मुक्त (एक्जेम्ट) करने की कृपा करें। धन्यवाद।

भवदीय,
डा0 जितेन्द्र कुमार अग्रवाल,
सदस्य, विधान सभा,
द्वारा अधीक्षक, जिला कारागार,
सुल्तानपुर।

विधान परिषद सचिवालय

पी0एस0यू0पी0—एल0 115 वि0 सभा0(241)—1976—8401